लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 30-12-83
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15—मंगलवार, 8 मार्च, 1966/17 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 15—*Tuesday, March* 8, 1966/*Phalguna* 17, 1887 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	4265–68

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
387	अमरीका से खाद्य सहायता	Food Aid from U. S. A. . .	4269
388	अमरीका से खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains from U.S.A.	4270
389	अमरीका के साथ पी० एल० 480 करार	P. L. 480 Agreement with U.S.A.	4270–76
390	राशन व्यवस्था	Rationing	4276–78
392	परादीप पत्तन	Paradeep Port	4278–80
393	चीनी सम्बन्धी सेन समिति	Sen Committee on Sugar . .	4280–82

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
394	दिल्ली में सड़कें	Roads in Delhi	4282
395	अमरीका से अनाज	Foodgrains from U. S. A. . .	4283
396	केरावैल विमानों की उड़ानें	Caravelle Flights . . .	4283
397	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains . .	4284
398	मध्य प्रदेश में भूख से मृत्यु	Starvation Deaths in Madhya Pradesh.	4285
399	विधान मण्डलों तथा न्यायपालिका के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद	Jurisdictional Conflict between Legislature and Judiciary .	4285
400	पंजाब की सड़क विकास योजनायें	Road Development Schemes for Punjab	4286
401	प्रबन्ध अभिकरणों संबंधी समिति	Committee on Managing Agencies	4286
402	अमरिका से कृषि सम्बन्धी सहायता	Agricultural Assistance from U.S.A.	4287
403	प्रशान्त क्षेत्र यात्रा संस्था सम्मेलन	Pacific Area Travel Association Conference	4287
404	चुनावों का लड़ा जाना	Contesting of Elections . .	4287
405	रबी की फसल (1966) की सम्भावनायें	Prospects of Rabi Crop (1966) .	4288
406	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें	I. A. C. Flights	4288

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
407	तुलिहाल हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान को क्षति	Damage to I. A. C. Dakota at Tulihal Airport . . .	4289
408	ग्राम्य ऋण	Rural Credit	4289
409	पंजाब और दिल्ली के बीच पंजाब की रोडवेज सेवाएं	Punjab Roadways Services between Punjab and Delhi . .	4290
410	कपास की खेती के लिए काम में लाई जा रही भूमि में अनाज की खेती	Shifting of acreage under Cotton to Food Crops . . .	4290
411	डकोटा विमानों का बदला जाना	Replacement of Dakotas . .	4290–91
412	आसाम में परिवहन	Transport in Assam . . .	4291–92
413	खाद्यान्न का समाहार और वितरण	Procurement and Distribution of Foodgrains	4292
414	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा सर्दी के घंटों में काम बन्द कर देने की धमकी	No work in 'Cold Hours' Strike threat by I. A. C. Employees .	4292–93
415	प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली	Managing Agency System .	4293
416	मूंगफली और मूंगफली के तेल का मूल्य	Prices of Groundnut and Groundnut Oil	4293–94

अता०प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1691	सपरेटा पाउडर	Skimmed Milk Powder .	4294
1692	केरल में विधि आयोग	Law Commission in Kerala	4294
1693	मशीन से चलने वाली नावों का आयात	Import of Mechanised Boats .	4294–95
1694	किसानों को सहायता	Assistance to Farmers . .	4295–96
1695	खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains .	4296
1696	विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा जीपों का प्रयोग	Use of Jeeps by Block Development Officers . . .	4297
1697	केरल में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Kerala .	4297
1698	नेपाल द्वारा काठमंडू-ढाका विमान सेवा का चलाया जाना	Kathmandu-Dacca Air Service by Nepal	4297–98
1699	वन क्षेत्र का विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण	Pre-investment Survey of Forest Area	4298
1700	विदेशों को भेजे गये किसान	Farmer sent Abroad . . .	4298–99
1701	मध्य प्रदेश द्वारा ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors by M. P. .	4299
1702	पंचायत यूनियन स्तर पर कृषि विकास	Agricultural Developments at Panchayat Unions Level .	4299
1703	खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिये कार्यक्रम	Programme to attain self-sufficiency in Food . . .	4299–4300

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1704	निर्जल गोदियां	Dry Docks	4300
1705	अभावग्रस्त क्षेत्र	Scarcity Areas	4300
1706	उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilizers	4301
1707	विशाखापटनम पत्तन	Vishakhapatnam Port.	4301
1708	पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी कारखानों का विस्तार	Expansion of Sugar Factories in Eastern U. P. and Bihar	4301–02
1709	राशन वाली वस्तुओं का संभरण	Supply of Rationed Articles	4302
1710	दिल्ली में अतिथियों के लिये राशन कार्ड	Ration Cards for Guests in Delhi	4302–03
1711	तूतीकोरिन बन्दरगाह	Tuticorin Harbour	4303
1712	विधि मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Ministry of Law	4303
1713	सोयाबीन की खेती	Cultivation of Soya Beans	4304
1714	जापानी प्रदर्शन फार्म	Japanese Demonstration Farm	4304
1715	किसानों को बीजों का संभरण	Supply of Seeds to Farmers	4304–05
1716	मीनक्षेत्रों में अनुसन्धान	Research in Fisheries	4305
1717	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र सम्बधी मूल्यांकन समिति	Evaluation Committee on Panchayati Raj Training Centres	4305
1718	मक्का का तस्कर व्यापार	Smuggling of Maize	4306
1719	छोटी गंडक नदी पर गौतमी घाट पर पुल	Bridge over Choti-Gandak at Gothmi Ghat	4306
1720	केन्द्रीय सड़क निधि में से उत्तर प्रदेश को अनुदान	Grants from Central Road Fund for U. P.	4306
1721	उत्तर प्रदेश में संयुक्त खेती की प्रायोगिक योजना	Joint Farming Pilot Scheme in U. P.	4306–07
1722	कृषि उत्पादन के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता	Assistance to U.P. for Agricultural Production	4307
1723	खाद्य तेलों का उत्पादन	Production of Edible Oils	4307–08
1724	राशन वाली वस्तुओं के मूल्य	Prices of Rationed Articles.	4308
1725	आलू का निम्नतम मूल्य	Minimum Price for Potatoes	4308
1726	राशन व्यवस्था के परिणामस्वरूप आटा मिलों का बन्द हो जाना	Closure of Flour Mills due to Rationing	4309
1727	आसाम में फार्म एवं कृषि उद्यम	Farm-*cum*-Agricultural Enterprise in Assam	4309
1728	उड़ीसा में बागवानी का विकास	Development of Horticulture in Orissa	4310
1729	उड़ीसा को उर्वरक का संभरण	Supply of Fertilizers to Orissa	4310
1730	राजस्थान में छोटे सिंचाई कार्य	Minor Irrigation in Rajasthan	4311
1731	राजस्थान में गेहूं का उत्पादन	Production of Wheat in Rajasthan	4311

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1732	राजस्थान द्वारा फार्म-उत्पादन में वृद्धि के लिए ऋण	Loan for Increase in Farm Output by Rajasthan . . .	4311–12
1733	राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन	Co-operative Movement in Rajasthan	4312
1734	चावल को पालिश करने में चावल की छीजन	Wastage of Rice in Polishing .	4312–13
1735	खाद्यान्न समाहार योजना	Foodgrain Procurement Scheme	4313
1736	अमरीका से खाद्यान्नों का आयात	Imports of Foodgrains from U.S.A.	4313
1737	पैकेज प्रोग्राम	Package Programme . .	4314
1738	कश्मीरी गेट के बाहर बस स्टैंड	Bus Stand Outside Kashmiri Gate	4314–15
1739	आसाम अगरताला सड़क	Assam-Agartala Road. .	4315
1740	ग्रामदान आन्दोलन	Gramdan Movement . .	4315
1741	पंचायतों का कार्य करण	Functioning of Panchayats . .	4315–16
1742	खाद्य उत्पादन पर पी०एल० 480 के आयात का प्रभाव	Impact of P. L. 480 Imports on Food Production . . .	4316
1743	केरल को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Kerala . .	4316
1744	सेवानिवृत्त अधिकारियों की निर्वाचन आयोग में पुनर्नियुक्ति	Retired Officers Re-Employed in Election Commission . .	4317
1745	उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes in U. P. .	4317–18
1746	पंजाब द्वारा अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains by Punjab	4318–19
1747	भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in Freight Rates .	4319
1748	किसानों को ऋण	Credit to Farmers . . .	4319–20
1749	उर्वरकों की खपत	Consumption of Fertilisers .	4320–21
1750	तूतीकोरीन बन्दरगाह परियोजना	Tuticorin Harbour Project . .	4321
1751	मैसूर में छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Mysore	4321–22
1752	मैसूर में तालाब	Tanks in Mysore . . .	4322
1753	केरल में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Kerala	4322–23
1754	पंजाब में सामुदायिक विकास खंड	C. D. Blocks in Punjab . .	4323
1755	दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए ट्रक	Trucks for Delivery of Foodgrains in Famine Areas . . .	4323–24
1756	केरल को चावल का संभरण	Rice Supply to Kerala . .	4324
1757	खाद्यान्नों की ढुलाई में जापान से सहायता	Japanese help in Transporting Foodgrains	4324
1758	त्रिपुरा में सरकार द्वारा नियंत्रित कृषि फार्म	State Controlled Agricultural Farm in Tripura . . .	4325
1759	केरल में आटा मिलें	Flour Mills in Kerala . . .	4325
1760	गेहूं के आटे की सप्लाई	Supply of Wheat Flour . .	4325

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1761	सिंचाई तथा कृषि का विकास	Development of Irrigation and Agriculture	4326
1762	अमरीका से सूखा दूध	Dry Milk From U. S. A. . .	4326
1763	मैसूर के लिए अनाज	Food for Mysore . .	4327
	स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में—	Re : Motions for Adjournment and Calling Attention Notices—	
	पश्चिम बंगाल तथा मिजो पहाड़ियां जिले में स्थिति	Situation in West Bengal and Mizo Hills District . .	4327–28
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	4328
	सदस्य की रिहाई (श्री बदरुदुजा)	Release of Member (Shri Badruduja)	4329
	श्री उमानाथ के पैरोल के बारे में	Re : Parole of Shri Umanath .	4329–30
	कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
	पैंतालीसवां प्रतिवदन	Forty-fifth Report .	4330–32,4333
	कार्यवाही से निकाल दिये जाने के बारे में	Re : Expunctions . . .	4333
	रेलवे आयव्ययक, 1966–67—सामान्य चर्चा–	Raillway Budget, 1966-67—General Discussion— . . .	
	श्री राजाराम	Shri Rajaram . . .	4334
	श्री राणे	Shri Rane	4334–35
	श्री गुलशन	Shri Gulshan . . .	4335–36
	श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya .	4336–37
	श्री सुब्बारामन	Shri Subbaraman . .	4337–38
	श्री मुहम्मद इलियास	Shri Mohammed Elias .	4338–39
	श्री रामानन्द शास्त्री	Shri Ramananda Shastri .	4339
	श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey . .	4339-40
	श्री मौर्य	Shri Maurya . . .	4340–42
	श्री राम चन्द्र मल्लिक	Shri Ram Chandra Mallick .	4342
	श्री प्रताप सिंह	Shri Pratap Singh . .	4343
	श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	4361
	पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	Statement Re : Situation in West Bengal—	
	श्री नन्दा	Shri Nanda . . .	4343–44
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— .	
	मिजो पहाड़ी जिले की स्थिति	Situation in Mizo Hill District .	4345–47

विषय		पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment—	
पश्चिम बंगाल की स्थिति—	Situation in West Bengal—	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	4347–49, 4361
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	4349–50
श्री अ० चं० गुह	Shri A. C. Ghua	4350–51
श्री रंगा	Shri Ranga	4351–52
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharya	4352
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhuri	4352–53
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri	4353–55
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	4355–56
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedi	4356–58
श्री नंदा	Shri Nanda	4358
श्री ह० प० चटर्जी	Shri H. P. Chatterjee	4358–59
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	4359
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	4360

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16—बुधवार, 9 मार्च, 1966/18 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 16—Wednesday, March 9, 1966/Phalguna 18, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
417	अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन	International Social Security Conference	4363-66
418	कर्मचारियों की भविष्य निधि को पेंशन में बदलना	Conversation of Employees Provident Fund into Pension .	4367-70
419	राजनैतिक नजरबन्दियों की नजरबन्दी के बारे में नियम तथा शर्तें	Rules and Conditions of Detention of Political Detenus . .	4370-73
420	बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme	4373-76
421	औद्योगिक श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme for Industrial Workers . . .	4377-80
422	संश्लिष्ट (सिथेटिक) औषध कारखाना, हैदराबाद	Synthetic Drug Plant, Hyderabad	4380-81

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Nos.			
4	विदेशों से खाद्यान्न की सहायता	Food Aid from Abroad . .	4381-86
5	भूख से लोगों की मृत्यु	Starvation Deaths . . .	4386-95

प्रश्नों के लिखित उत्तर—WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
313	स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार को अनुदान	Grants to the Family of Late Prime Minister Lal Bahadur Shastri	4395
423	बडौदा में नाइलोन धागा कारखाना	Nylon Yarn Plant at Parcda .	4395-96
424	गांधी हत्या केस	Gandhi Murder Case . .	4396
425	अखिल भारतीय न्यायिक सेवा	All-India Judicial Service . .	4396-97
426	दिल्ली प्रशासन के लेखे	Accounts of Delhi Administration	4397

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked in the floor of the House by that Member.

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 8 मार्च, 1966/17 फाल्गुन, 1887 (शक)
Tuesday, March 8, 1966/Phalguna 17, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री शंकरराव शांताराम मोरे के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है। उनका 6 मार्च, 1966 को बंबई में देहान्त हो गया। उन की आयु 67 वर्ष थी।

श्री मोरे महाराष्ट्र के पूना निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे। वह पहली लोक सभा के सदस्य भी थे।

वह प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति तथा विधेयकों के लिये गठित बहुत सी प्रवर समितियों के सदस्य थे तथा उन समितियों और इस सभा की कार्यवाइयों में वह सक्रिय भाग लिया करते थे। संसदीय संस्थाओं के विकास में उन की गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने "प्रक्टिस एण्ड प्रोसीजर इन इण्डियन पार्लियामेंट" नामक एक पुस्तक लिखी है।

वह बहुत प्रसन्नवदन व्यक्ति थे और जब वह बोलते थे तो उस से उन के अपूर्वज्ञान तथा दीर्घ अनुभव का परिचय मिलता था।

हमें अपने मित्र की मृत्य पर गहरा दुःख है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदस्यगण शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश पहुंचाने में मेरा साथ देंगे।

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आप ने श्री मोरे के संबंध में जो कुछ कहा है। मैं उस से पूर्णतः सहमत हूं। मैं उन्हें वर्ष 1952 से बहुत निकटता से जानता हूं तथा मुझे अच्छी तरह यदि है कि वह संवैधानिक मामलों पर इतने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया करते थे कि श्री मावलंकार जैसे महान अध्यक्ष को भी अपना विनिर्णय देने में कुछ समय की आवश्यकता होती थी। वह स्वतंत्रता युद्ध के एक पुराने एवं दक्ष सेनानी होने के अतिरिक्त बहुत इमान्दार एवं बलाग व्यक्ति थे। वह स्पष्ट वक्ता थे तथा जब कभी उन का मत हम से भिन्न होता था, तब भी वह बहुत विवेकपूर्ण एवं सरल ढंग से अपनी बात कहते थे।

[श्री सत्यनारायण सिंह]

उनके लिये अपने सहयोगी तथा विरोधी दोनों समान थे। हमें बड़ा दुःख है कि एक पुराना स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी हमारे बीच से चला गया। कुछ मित्रों ने कहा है कि एक एक करके हमारे पुराने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हमें छोड़ कर जा रहे है। सत्य यह है कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है, उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है। परन्तु जब कभी कोई व्यक्ति इस असार संसार को छोड़ कर जाता है और विशेषत: ऐसा व्यक्ति जिस से हमारा निकट संबंध हो तो हमें गहरा दुःख होता है।

श्री रंगा (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, आपने तथा सभा नेता ने स्वर्गीय श्री मोरे के संबंध में जो विचार व्यक्त किये है, मैं उन से सहमत हूं। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों की दस वर्ष से अधिक समय तक महान सेवायें की हैं। वह किसान तथा श्रमिक दल (पीजेंटस एण्ड वर्कर्स पार्टी) के संस्थापक थ। यद्यपि हम उन से राजनतिक क्षेत्र में सहमत नहीं थे, तथापि जहां तक किसानों के आन्दोलनों का सम्बन्ध है हम उन के पूर्ण समर्थक थे। वह एक महान देश भक्त थे तथा लोगों की भलाई के इच्छक थे। उन के निधन पर हम सब को गहरा दुःख है। तथा उन के संबन्धियों और महाराष्ट्र के किसानों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी : अध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से मैं श्री मोरे के दुःखद देहावसान पर शोक प्रकट करता हूं।

मुझे वर्ष 1952 का वह अवसर याद है जब वह इस सभा में किसान तथा मजदूर दल (पीजेंटस एण्ड वर्कर्स पार्टी) के नेता के रूप में निर्वाचित हो कर आय थे। सभा सदस्य उन का बड़ा आदर करते थे तया पहली लोग सभा के पहले अध्यक्ष के चुनाव के लिये विरोधी दलों की ओर से एकमत हो कर उनका नाम प्रस्तावित किया गया था। उस के बाद की संसदीय कार्यवाही का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि हमारा चुनाव सर्वोत्तम था। उन्होंने संसदीय कार्य प्रणाली के विकास के लिये महान कार्य किया है। उनके चरित्र की महानता यही तक सीमित नहीं है कि वह एक श्रेष्ठ संवैधानिक विधिवत्ता थे, अपितु जैसा कि सभा नेता ने कहा है वह स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। समाज के पद-दलित तथा पिछड़े हुये वर्ग के लिये उन के दिल में सदा दया एवं सहानुभति का भाव रहता था। महाराष्ट्र में जब लोगों को अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने को बाध्य होना पड़ा, तो उन्होने लोगों के अधिकारों का पूर्ण समर्थन किया था। वह स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे तथा उन के विचारों का हम सदा आदर करते रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपना दल बदल लिया था और तीसरी लोकसभा में कांग्रेस की ओर से चुन कर आये थे।

उनके विचार सदा स्वतंत्र थे। वह कांग्रेस दल के सदस्य होते हुये भी आय व्ययक अथवा ऐसे ही किसी अवसर पर बोलते समय सरकार की आलोचना करते नहीं हिचकचाते थे, क्योंकि वह लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे थे। यदि कांग्रेस सरकार गलती करती तो वह उस की आलोचना करना ही अच्छा समझते थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन के चरित्र की महानता हमें सदा याद रहेगी। अब वह हमारे बीच नहीं है। अब हम उन्हें नहीं देख सकेंगे। हम सब को उन के निधन पर गहरा दुःख है। मेरा निवेदन है कि इस सदन की संवेदना उन के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तक पहुंचा दी जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्री मोरे की असमय मृत्यु पर मुझे गहरा दुःख है। वह एक बड़े लेखक तथा संसदीय प्रणाली के ज्ञाता थें और उन का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। जो कोई भी उन के संपर्क में आया उस ने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि वह तीव्र बुद्धि व्यक्ति और मिलनसार मित्र थे।

वह देश को समस्याओं पर किसी विशेष बात को ध्यान में रख कर विचार नहीं करते थे, अपितु वह समूची स्थिति का बौद्धिक मूल्यांकन करते थे।

मुझे वह अवसर याद है जब मैं इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहा था, तो उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। जब वह मुझे सभा से बाहर मिले तो मैंने उन से कहा कि आप जैसे अनुभवी संसदीय प्रणाली के विद्वान से यह आशा नहीं की जाती थी कि आप इस अवसर पर व्यवस्था का प्रश्न उठायें। तब उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया था कि यह मेरे जीवन में पहला अवसर है जब कि मुझे अपने दल के आदेश को मानना पड़ा है।

संसदीय प्रणाली के बारे में उन्होंने जो महान कार्य किया है, वह उनकी यादगार होगी। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उन के दुःखद निधन पर शोक प्रकट करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Speaker, one of our Hon. Members Shri More is no more amongst us. I had a long association with him and I came to the conclusion that every word which he used to utter and every action which he used to do, he used to do them all after a very thoughtful Considerations.

He had full sympathy for the cultivators. He took great interest in the welfare of farmers and fought for their cause, so much that he may be termed as a champion of their rights.

He had done memorable service to Maharashtra and the country as a whole. He had taken an oath to serve the nation till his last breath and he had dedicated his whole life for the service of society.

I associate myself and my party to pay out tributes to that great departed soul and pray to God to give courage to the members of his beveared family to bear this great loss.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I deeply mourn the death of Shri Shankarraoji who is no more amongst us to-day. I had a long association of 28 years with Shri Shankaraoji. I came in his contact in my youth, when I entered in politics. He had fought against casteism, social inequality, untouchability and other social evils. He fully realized that social evils could not be removed without political independence and hence he joined the national struggle against the English rule and he was jailed by the Britishers in 1941-42. Shri More also realised that the second reason of this social inequality was exploitation of one class of society to another class. In order to abolish inequality from society he became a socialist. But he was disappointed to note that socialistic forces were scattered and so he again joined Congress. But I am sorry to say that the ruling party did not make use of that learned man and great administrator in the way he deserved. He was an authority on parliamentary procedure, but his knowledge of parliamentary matters could not be made use of in the best way. Shri Shankarraoji was a fearless and forthright man. He never indulged in flattery, nor he liked it. In my opinion this great quality proved to be a disadvantage for him in this age.

During the last two or three years Shri Shankarraoji had to face two great misfortunes in one he lost his devoted wife and in the other he met a serious car accident.

We have inherited three great principles from the late Shri Shankarraoji; firstly loyality to nation, secondly equality among all human being and thirdly elimination of the exploitations of the weaker sections of society.

[Madhu Limaye]

Kindly carry our deep sense of sorrow to his son. Once again I pay my humble tributes on behalf of my party to the departed soul.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उपरोक्त भावनाओं के प्रति सहमति व्यक्त करते हुये हमें कुछ समय के लिये खड़े हो जाना चाहिये ।

(इस के पश्चात् सदस्य तब कुछ समय तक मौन खड़े रहे ।)

(The members then stood in silence for a short while)

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : इस से पहले की अगली कार्यवाही की जाये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । मैं उस कार्यवाही के बारे में कहना चाहता हूं जो अभी समाप्त हुई है । जब एक प्रतिष्ठित सदस्य के दुःखद निधन के संबंध में निधन संबंधी उल्लेख किया जा रहा था तो सभा के इस ओर के एक सदस्य निधन संबंधी उल्लेख करने के लिये खड़े हुये और गलती से उनके मुह से स्वर्गीय सदस्य का नाम गलत उच्चारण हो गया । इस पर सत्ताधारी दल में हंसी का एक फवारा छूट गया और वे हसते ही रहे ।

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मौकों पर यह बहुत अशोभनीय है तथा सभा की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है । मेरा निवेदन है कि आप कोई ऐसा निर्णय करें जिसके आधार पर इस सभा में भविष्य में ऐसा व्यवहार असंभव हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि यह एक ऐसा मौका था, जिस में हंसी के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये था । परन्तु शायद क्षणिक भावना के कारण एसा हो गया हो। जहा तक मैं समझता हूं ऐसा करना नहीं चाहता था । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना न हो इस बारें में अधिक ख्याल रखा जायेगा ।

प्रश्न संख्या 388, 389, 395 और 397 के बारे में
RE. QUESTIONS 388, 389, 395 AND 397

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में प्रश्नों के उत्तर दिये जायेंगे ।

श्री दाजी : मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या 388, 389, 395 और 397 को एक साथ लिया जाये ।

Shri M. L. Dwivedi : The first three questions are on the same subject. They may be taken up together.

एक माननीय सदस्य : पांचों प्रश्नों को एक साथ लिया जाये ।

Shri Madhu Limaye : The questions are different . So they cannot be taken up together.

श्री रंगा : श्रीमान्, यह केसे संभव है कि इन सबको एक साथ लिया जाय । तब तो आप को हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये कम से कम 25 मिनट का समय देना होगा ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : श्रीमान्, पहले तीन प्रश्न एक साथ लिये जा सकते है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, प्रश्न संख्या 387, 388 और 389 का उत्तर एक साथ दिया जावे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अमेरिका से खाद्य सहायता

+

*387. श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री लाटन चौधरी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती बिमला देवी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० श्रीनिवासन :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री म० सू० मूर्ति :
श्री एम बरूआ :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री ह० च० सोय :
श्री रा० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री द० ब० राजू :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका भारत को दो दीर्घकालीन खाद्य सहायता देने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये किए गये करार की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यह सहायता किन शर्तों पर दी जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) मामला अभी भी उनके विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

अमरीका से खाद्यान्नों का आयात

*388. श्री मधु लिमये :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प० ह० भील :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की सरकार इस वर्ष भारत की खाद्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कमी को पूरा करने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका की सरकार ने भारत को शीघ्र अनाज भेजने की व्यवस्था कर दी है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितना अनाज देने का वचन दिया गया है, और

(घ) अनाज भेजने के लिये क्या व्यापक प्रबंध किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया है । तथापि संयुक्त राज्य अमेरिका से पी०एल० 480 के अधीन गेहूं और माइलों की सप्लाई जारी है और समय समय पर अमेरिका से खाद्यान्न खरीदने के लिये सितम्बर, 1964 के करार के अधीन अनुपूरक निधि सुलभ की जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) : सितम्बर, 1964 के पी० एल० 480 करार में पिछला संशोधन 5 फरवरी, 1966 को किया गया था । इसके अन्तर्गत 20 लाख टन गहूं और 10 लाख टन माइलो के लिये निधि की व्यवस्था की गयी है । माल का लदान शुरु हो चुका है । आशा है कि गहूं की उपर्युक्त मात्रा अप्रैल तक ढोयी जाएगी ।

भारत सरकार द्वारा उच्चतम अग्रता के आधार पर खाद्यान्नो के लदान का काम किया जा रहा है । यह सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं कि अनाज लाने वाले जहाज़ ने केवल तुरन्त लदना करे और संयुक्त राज्य अमेरिका से बिना किसी देरी के रवाना हों बल्कि हमारी बन्दरगाहों पर पहुंचने पर तत्परता से माल उतारें।

P. L. 480 Agreement with U. S. A.

*389. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether any additional facilities have been provided under the new PL 480 agreement signed with U. S. A. for the import of foodgrains ; and

(b) If so, the nature thereof ?

The Dy. Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) & (b). No new PL 480 Agreement has been signed with U. S. A. so far. The supplies of foodgrains from U. S. A. are, however, continuing under the PL 480 Agreement of September, 1964 as amended from time to time.

श्री रा० गि० दुबे : गत तीन महीनों में कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हुआ है और क्या विभिन्न छोटे अथवा बड़े पत्तन खाद्यान्न उतारने की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हर महीने हमें मोटे तौर पर लगभग 7,00,000 से 8,00,000 टन गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। माल उतारने के संबंध में हमारी पत्तनों की क्षमता के बारे में अनुमान लगाया गया है और ऐसा अनुमान है कि वर्ष के उन महीनों में जब कि वर्षा का मौसम नहीं होता हम अन्य माल के अतिरिक्त 12 लाख टन खाद्यान्न और वर्षा के महीनों में 9 लाख टन खाद्यान्न प्रति मास उतार सकते हैं।

श्री रा० गि० दुबे : क्या खाद्यान्न के वितरण का कोई विवेकपूर्ण प्रबन्ध है ? उदाहरणार्थ जब बंबई पत्तन पर अनाज उतारा जाता है, तो वह किन किन राज्यों में वितरित किया जाता है अर्थात बंबई पत्तन के वितरण क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : साधारणतया हम बंबई से उत्तरी राज्यों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और महाराष्ट्र तक तथा कुछ हद तक मध्य प्रदेश को भी खाद्यान्न भेजते हैं।

Shri Madhu Limaye : I would like to know the basis on which America is likely to give assistance to us, because it is a question which is being given wide publicity by foreign press. One of the English papers perhaps "Times" has expressed that people are dying one by one in India due to starvation and this fact is not known. But this fact will be made known after ten years at the time of census that many people had died due to starvation. May I know whether Government is going to import foodgrains and distribute them among the people in order to save them from dying due to starvation ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम ने अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया है तथा इस वर्ष भुखमरी से बचने के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का आयात किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has Government's attention been drawn to the fact that the food grains, supplied by the Central Government to the State Governments are sold by them at higher prices and as such they are earning a huge profit ? Moreover the States which are having foodgrains are also selling them at high prices and thus earning a profit of Rs. 16 to Rs. 20 per quintal. If so, the steps taken by Government ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक आयातित खाद्यान्नों का प्रश्न है उन का मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है तथा इसी आधार पर उन्हें बेचा जाता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, I have asked a pointed questions.....

Mr. Speaker : He has said that price has been fixed.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : राज्य सरकारें महंगे भाव पर बेच कर मुनाफा कमा रही हैं।

श्री रंगा : भारत सरकार आयातित खाद्यान्नों के लिये एक विशेष मूल्य निर्धारित करती है और उन्हें राज्य सरकारों के बच देती है। उनका प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकारें वास्तविक उपभोक्ता को अधिक महंगे भाव पर खाद्यान्न बेच कर मुनाफा कमा रही हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम वह मल्य निर्धारित करते हैं जिस पर राज्य सरकारों को उपभोक्ताओं में अनाज वितरण करना होता है। यह मूल्य निर्धारित करते समय हम अनाज के उतारने चढ़ाने तथा उसके लाने ले जाने पर होनेवाले व्यय को ध्यान में रखते ह। इस के अतिरिक्त यह अनाज उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बचा जाता है अत: इस में मुनाफाखोरी करना संभव नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या खाद्य मंत्री का ध्यान खाद्यान्न व्यापार निगम के भतपूर्व प्रधान श्री पाई के उस वक्तव्य की ओर गया है जो सेवानिवृत्त होते समय उन्होंने समाचार पत्रों के लिये दिया था. . . .

श्री हरि विष्णु कामत : त्याग पत्र ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं, वह त्याग पत्र नहीं था ।

श्री हरि विष्णु कामत : तो फिर वह क्या था ? क्या उन्हें हटाया गया था ?

श्री हरि विष्णु कामत : . . . . . कि यदि राज्यों की सरकारें केन्द्र का सहयोग दें तो पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से आयातित खाद्यान्न रक्षित भंडार बनाने के काम लाया जा सकता है और साधारण आवश्यकताओं को आयातित खाद्यान्नों के बगैर ही पूरा किया जा सकता है, परन्तू यह तभी हो सकता है, जब राज्य सरकारें सहयोग दें और वे सहयोग नहीं दे रही हैं? इस बारे में सरकार की क्या राय है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सब से पहले मैं यह भ्रम दूर करना चाहता हूं कि खाद्य निगम के प्रधान ने त्याग पत्र दिया है। वास्तव मे वह एक वर्ष के लिये नियुक्त किये गये थे तथा इस के पश्चात उन्होंने सवानिवृत्ति प्राप्त कर ली। इस लिये त्याग पत्र का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वासुदेवन् नायर : क्या उनके साथ कोई मतभेद था ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : म दावें से कह सकता हूं कि खाद्य मंत्री तथा खाद्य निगम के प्रधान के बीच कोई मतभेद नहीं था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने वक्तव्य दिया है कि वह खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ काम नहीं कर सकें। क्या यह वक्तव्य सही है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय मुख्य प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं मानता हूं कि विदेशों के आयात किया गया खाद्यान्न रक्षित भंडार बनाने के काम लिया जाना चाहिये, न कि सामान्य वितरण के लिये। परन्तु दुर्भाग्य से इस वर्ष हम असाधारण परिस्थिती का सामना कर रहे हैं। वर्षा न होने के कारण उत्पादन में बहुत कमी हुई है इस लिये यह एक एसा अवसर है जबकि आयातित खाद्यान्नों का उपयोग करना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान्, उन्होंने मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल यह कहा है कि श्री पाई तथा उन के बीच कोई मतभेद नहीं था। श्री पाई के इस वक्तव्य के बारे में कि राज्य सरकारें सहयोग नहीं दे रही ह, और इसी कारण से यह संभव नहीं है कि आयातीत खाद्यान्न का योग केवल रक्षित भंडार बनाने के लिये किया जाये, उन की क्या प्रतिक्रिया है ? दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा है कि यदि उन्होंने सहयोग दिया होता, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बात तब उठती यदि उत्पादन सामान्य होता और प्रत्येक फालतू अनाज वाले राज्य में कमी वाले राज्यों को अनाज भेजने के लिये अनाज की वसूली की जाती। परन्तु खेद की बात है कि फालतू अनाज वाले राज्यों की भी कमी वाली स्थिति बन गई है। अतः यह कहना कि राज्यों के सहयोग से आयात की आवश्यकता न होती, ठीक नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi : What would be the quantity of wheat and other foodgrains to be received from U. S. A. under P. L. 480 and otner agreements during this year ? I want to know whether these quantities would be brought by Indian ships or by American ships and the freight that we would have to pay?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें सामान्यतः गेहूं और मिलों प्राप्त हो रहा है। दूसरे अनाज उपलब्ध नहीं हैं।

पहले हमें 2 से 3 लाख टन चावल मिलता था परन्तु इस वर्ष अमरीका में चावल नहीं है। समझौते के अन्तर्गत अमरीका से 15 प्रतिशत मात्रा अमरीकी जहाजों द्वारा आयेगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस साल कुल कितनी मात्रा का आयात होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस वर्ष की आवश्यकता 1 करोड से 1 करोड 10 लाख टन होगी। हमें आशा है कि हम इसका आयात करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : भारत सरकार ने कई बार उत्सुकता दिखाई है कि दीर्घ अवधि के लिये समझौते किये जायें और इसी प्रकार अमरीका भी हमारी सहायता करना चाहता है। यदि यह ठीक है तो दीर्घावधि का एक समझौता न करने के क्या कारण हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अमरीका ने जो मुख्य बात कहीं है वह यह है कि हम पी०एल० 480 पर बहुत समय से निर्भर कर रहे है और यह आशा थी कि हम तीसरी योजना के अन्ततक आत्म निर्भर हो जायेंगे। अब चौथी योजना में भी हमें पी०एल० 480 पर निभर करना पड़ेगा। अब वह आश्वासन चाहते है कि क्या हम कभी आत्मनिर्भर हो भी जायेंग ? उन्होंने हमें सचित किया है कि 5 वर्षों के बाद उनके पास हमें देने के लिये फालतू अनाज नहीं होगा। इस लिये भारत के लिये यह आवश्यक है कि अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भरता हो जाय। उन्होंने हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाने को कहा है क्योंकि पी०एल० 480 पर ही निर्भर करना भारत के लिये खतरनाक होगा।

श्री वारियर : समझौते में किया गया मुख्य संशोधन क्या है ? क्या शर्तों या निर्धारित मूल्यों में कोई विशेष परिवर्तन किया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : परिवर्तन केवल मात्रा में हुआ है। 1964 का समझौता केवल 40 लाख के लिये है। इसमें परिवर्तन होता रहता है क्योंकि और धन उपलब्ध हो जाता है।

श्री कपूर सिंह : क्या अमरीका ने हमारी खाद्यान्नों की कमी को पूरा करते समय कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कहा है कि हमारे समाजवाद और खाद्यान्नों की कमी का कुछ सम्बन्ध है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। मैं इस बारे में नहीं जानता।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Have Government made any assessment of the adverse effect this import under P. L. 480 would have on our efforts for increasing our own production ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें हर प्रकार के उपाय करने होंगे ताकि उत्पादन बढ़ सकें। हम आयात तो खाद्यान्नों के मामले में कमी को पूरा करने के लिये ही कर रहे हैं।

श्री राम सहाय पाण्डे : आज समाचारपत्रों में आकड़े छपे हैं। कि विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में उत्पादन सब से कम है। चौथी योजना में कृषि के लिये जो 4300 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है क्या उसमें वृद्धि की जायेगी ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जेसे कि माननीय मंत्री जानते है कि हम उपलब्ध संसाधनों के द्वारा कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे है चाहे अन्य क्षेत्रों में कटौती भी करने पड़े, परन्तु कृषि के लिये आवश्यक धन दिया जायेगा। धन के अभाव से कार्यक्रम असफल नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या सरकार ने अमरीका सरकार को कोई आश्वासन या संकेत दिया है कि भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने एक दस्तावेज में अपने उत्पादन कार्यक्रम को दिखाया है कि संभवत: 1970–71 में हम आयात बन्द कर दें।

श्री हेम बरूआ : एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में चूहों की संख्या मनुष्यों से 5 गुना है। ये देश का 20 प्रतिशत उत्पादन समाप्त कर देते है। चूहों को समाप्त करने या बिल्लियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम तो चूहों को समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के वक्तव्य से जान पड़ता है कि स्थिति इतनी अधिक खराब नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान श्रीमती इन्दिरा गांधी की संवाददाताओं से भेंट में कही गई इस बात की ओर दिलाया गया है कि दो महीनों तक स्थति बहुत खराब हो जायेगी। क्या इस में कुछ तथ्य है ? इस बात का आधार क्या है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य जानते हैं कि सामान्यत: मई, जून, जुलाई और आगस्ट के महीने हमारे देश में कमी वाले महीने है क्योंकि इस समय फसल नहीं होती है। मौनसून के समय पर न होने के कारण इन महीनो में कठिनाई होगी परन्तु मैं आश्वासन देता हूं कि हम स्थिति का सामना करने के लिये स्टाक तैयार कर रहे है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हम भुखमरी नहीं होने देंगे और स्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि अमरीका से लम्बे समय का समझौता इस लिये संभव नहीं है क्योंकि भारत की बन्दरगाहों मे पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : अमरीका से एक दल आया था और उसने स्थिति को देखा है और पाया है कि वर्तमान सुविधाओं से हम वर्ष में 1 करोड़ 10 लाख टन तक अनाज बन्दरगाहों में उतार सकते है और कुछ और प्रबन्ध करने पर हम एक वर्ष में 40 लाख टन और अधिक अनाज उतारने का प्रबन्ध कर सकते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि अमरीका सरकार भारत को पी०एल० 480 के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनाज के रूपये को भारत में ही सिंचाई योजनाओं के लिये ऋण के रूप में देने को तैयार है ? यदि हां, तो क्या भारत सरकार लोगों द्वारा इस ऋण को लेने को प्रोत्साहित करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : धन का उपयोग वित्त मंत्रालय का काम है। यदि माननीय सदस्य जानना चाहती हैं तो उस मन्त्रालय से प्रश्न पूछे।

Dr. Ram Manohar Lohia : What has been the annual total quantity and cost of foodgrains that have been imported from U. S. A.? What was the rates of foodgrains purchased in cash, purchased on loan and received as donation.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पिछले दस वर्षों के मैं इस समय आंकड़े नहीं दे सकता। यह लगभग 2 करोड़ टन होगा। मैं यही कह सकता हूं। भुगतान हम रुपयों में करते है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि हमने कितना खरीदा, कितना दान में लिया और कितना ऋण के रूप में लिया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह भुगतान तुरन्त ही रुपयों में कर दिया जाता है। अतः ऋण की बात नहीं है। मालभाड़ा भी हम तुरन्त चुका देते है। इस प्रकार बहुत सी चीजें भुगतान द्वारा ली जाती है जो रुपयों के रूप में होता है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, please remind the hon. Minister that he should answer a little carefully. He has said that there is no loan etc. and all purchases are made on payment. This is not the question whether payment is made in rupees or pounds or dollars. The question is as to how much is purchased in cash, how much did we get as loan and how much as gift? He is saying 20 millions. It will not be good if it is corrected afterwards.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने लगभग कहा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह तो अर्थ निकालने पर निर्भर करता है। वास्तव में हम रुपयों में भुगतान करते हैं और वह रुपया यहीं रहता है। इस प्रकार यह भुगतान के आधार पर है। इस धन का उपयोग कैसे हो इस बात पर भारत तथा अमरीका सरकार को समझौता करना है।

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister has said that top priority is given to agriculture. I want to know as to how much amount has been paid to U. S. A. and Canada as payment for foodgrains and the amount paid to farmers in India as subsidy for growing more food ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ये आंकड़े प्रत्येक वर्ष उपलब्ध होते हैं। हम योजना के लक्ष्य और व्यय किये गये धन के बारे में जानकारी प्रकाशित करते हैं। यदि वास्तविक आंकड़े चाहियें तो मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : कुछ समय पूर्व जब अमरीका सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता बन्द कर देने की धमकी दी थी तो ऐसा पता चला था कि सरकार खाद्यान्नों के बारे में दो प्रकार की योजनायें बना रही है। इन में से एक तो ऐसी स्थिति के लिये थी कि जब अमरीका से अनाज आयात होता रहे और दूसरे ऐसी स्थिति के लिये कि जब अमरीका से अनाज आना बन्द हो जाये। मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी योजना की क्या प्रगति है ? क्योंकि इस से हमें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। क्या इस पर चर्चा की जायेगी ताकि देशको अपने कर्तव्य से अवगत कराया जा सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निसंदेह हमने ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये तैयारी करने का सोचा था कि यदि अमरीका से सहायता बन्द हो जाये तो क्या करना होगा परन्तु इस से देश के लिये कठिन स्थिति खड़ी हो सकती है। हमने भरसक प्रयत्न किया कि अनाज प्राप्त हो। इस आयात के बावजूद पश्चिमी बंगाल और केरल और देश के अन्य भागों में जलूस निकाले जा रहे हैं। इस समय हम हर महीने लगभग 8,50,000 टन गेहूं मंडियों में दे रहे हैं। इस के होते हुए भी सदस्य शिकायत करते हैं कि देश में भूखमरी फैली हुई है।

Shri Sheo Narain : I want to know the names of countries from where we are getting rice apart from U. S. A.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बर्मा, थाईलैंड और संयुक्त अरब गणराज्य तीन मुख्य देश हैं जहां से हम चावल प्राप्त कर रहे हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey : I want to know whether the U. S. Government has advised our Government that in order to tide over the difficult food situation we should grow less sugarcane and cotton and grow more food crops ; if so, the reaction of Government in this regard ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भारत सरकार को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने भारत को कहा है कि उनके लिये हमारी अनाज की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं होगा और हमें कपास के स्थान पर खाद्यान्नों वाली फसलें बोनी चाहिये और अमरीका हमें खाद्यान्नों के स्थान पर कपास देना अच्छा समझेगा ? यदि हां, तो हमारी इस सुझाव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : भारत सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister said that by 1971 we shall not only be selfsufficient in the matter of food but will also be in a position to export. What is the basis of his estimate when tnere is continuous shortage of food in the country and our population is multiplying rapidly ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमारी नीति और कार्यक्रम के संबंध में एक विवरण पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है, और उसमें हमने यह भी दिखाया है कि लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं । इस आधार पर हम लक्षित उत्पादन तक पहुंचने की आशा रखते हैं ।

श्री दाजी : अमरीकी गेहूं किस मूल्य पर आयात किया जाता है, इसके सम्बन्ध में प्रशासन तथा वितरण का अनुमानित प्रसार क्या है तथा उप भोक्ता को यह किस मूल्य पर बचा जाता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : थोक स्तर पर हम 52 रु० प्रति क्विंटल की दर से देते हैं । अन्य सभी प्रभार .50–51 पैसे आते हैं । हम किस मूल्य पर आयात करते हैं इसकी जानकारी इस समय अलग से उपलब्ध नहीं है ।

Rationing

*390. **Shri Bhagwat Jha Azad** :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Smt. Savitri Nigam :
Shri P. C. Borooah :
Smt. Maimoona Sultan :
Shri Bade :
Shri R. S. Pandey :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foodgrains previously available in the market suddenly disappeared in the day on which the rationing commenced in Delhi;

(b) whether any enquiry has been made into this mysterious disappearance of foodgrains; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Dy. Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Shinde) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि आज भी कोई भी नागरिक दिल्ली की मण्डी में जाकर चाहे जितना अनाज खरीद सकता है ? यदि हां, तो सरकार यह कैसे कहती है कि यह सच नहीं है कि सारा अनाज गायब हो गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : राशन व्यवस्था को लागू करते ही हमने व्यापारियों से अपना स्टाक घोषित करने के लिये कहा था । 10,034 क्विंटल देशी गेहूं और 2,185 क्विंटल चावल तथा अन्य वस्तुओं के स्टाक घोषित किये गये । यह संभव है कि कुछ स्टाक की घोषणा नहीं की गई हो । परन्तु यह बहुत थोड़ी मात्रा हो सकती है । व्यवस्था चाहे कुछ भी हो और कितनी भी कड़ी क्यों न हो थोड़ी बहुत चोरी तो होती ही है ।

श्री भागवत झा आजाद : यदि थोड़ी से मात्रा ही छिपाई गई हो तो उसका स्थिति पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ सकता । परन्तु जब राशन व्यवस्था लागू है और खुले बाजार में आप चाहे जितना अनाज खरीद सकते हैं तो सरकार यह कैसे कह सकती है कि थोड़ी मात्रा छिपाई गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऊंचे भाव पर, शायद कुछ कुछ ही व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद सकते हैं । परन्तु, यदि सारे लोगों को सप्लाई करने का प्रश्न है तो यह मात्रा पर्याप्त नहीं होगी । जो स्टाक छिपाया गया है वह थोड़े समय में समाप्त हो जायेगा ।

Shri M. L. Dwiwedi : Do Government propose to make any change in the present method of rechecking weeks so that a person has not to forfeit his ration for the last week in case he passed that week by taking ration from anybody on loan ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राशन बुधवार से मंगलवार तक के लिये सप्ताह के हिसाब से दिया जाता है और इस प्रकार सप्ताह का कोई भी दिन नहीं खोया जाता ।

श्री स० चं० सामन्त : एक व्यक्ति को कितना राशन दिया जाता है तथा अतिथियों के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह 2 किलो ग्राम अनाज दिया जाता है । यदि अतिथि 2 या 3 दिन से अधिक के लिये ठहरते हैं तो हम अतिथि कार्ड भी जारी करते हैं और उनपर वे राशन खरीद सकते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : स्टाक को छिपाने से रोकने के लिये प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं, क्योंकि राजधानी में जो कुछ होता है अन्य क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम सभी संभव कदम उठा रहे हैं । कोई भी ऐसी पद्धति जिसमें मनुष्य काम करते हैं दोषरहित नहीं है । हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी कुछ न कुछ मात्रा के छिपाये जाने की संभावना है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : राशन की दुकानों द्वारा जो मिलावाट की जाती है उसको दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसा करना विभिन्न अपमिश्रण कानूनों के अन्तर्गत दण्डनीय है ।

श्रीमती अकम्मा देवी : 1965 में यह निर्णय किया गया था कि केरल के अतिरिक्त, कानूनी राशन व्यवस्था सभी बड़ी आबादी वाले शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में लागू की जायेगी। क्या यह निर्णय सभी शहरों में जिनकी आबादी 10 लाख है और एक लाख या इससे अधिक की आबादी के चुने हुए क्षेत्रो में लागू की गई हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम। 10 लाख और इससे अधिक की आबादी वाले शहरों में से बम्बई में राशन व्यवस्था 1, अप्रैल या इससे भी कुछ पहले लागू कर दी जायेगी । अहमदाबाद को छोड़ कर 10 लाख और इससे अधिक की आबादी के सभी शहरों में राशन लागू कर दिया जायेगा ।

परादिप पत्तन

+

*392. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने रेलवे मंत्रालय को सुझाव दिया है कि वह परादीप पत्तन को, जो लौह अयस्क के यातायात के लिये खुल जायेगा, रेल से मिलाने के लिये अधिक पूर्ववर्तिता दे,

(ख) क्या खानों से सीधे लौह अयस्क लाने ले जाने के लिये सुविधायें प्रदान करने हेतु गाड़ियां तथा वाहन निर्धारित तिथि से पूर्व ही बना लिये गये हैं,

(ग) क्या पत्तन पर प्रथम जहाज के पहुंचने से पहले ही पत्तन अधिकारियों ने लौह अयस्क इकठ्ठा करना आरम्भ कर दिया है, और

(घ) क्या अमरीका से हाल ही में आयात किये गये खाद्यान्नों के लिये परादीप पत्तन का प्रयोग किया जायेगा और यदि हां, तो क्या बिहार और उत्तर प्रदेश को गेहूं भेजने के लिये रेल सुविधायें उपलब्ध हो जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) कच्चे लोहे को धरने उठाने के संयंत्र के लगाये जाने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है ।

(ग) संयंत्र के निकट लगभग 55000 टन कच्ची धातु संकलित कर ली गई है ।

(घ) खाद्यान्न को धरने उठाने के लिये परादीप पत्तन को व्यवहार में लाने का प्रश्न विचाराधीन है । परादीप पत्तन पश्चदेश से रेल द्वारा संबंधित नहीं है । परादीप पत्तन पर उतारे गये खाद्यान्न को सड़क द्वारा कटक भेजना पड़ेगा, जो पत्तन से लगभग 58 मील की दूरी पर है, और फिर वहां से वह विभिन्न स्थानों को रेल द्वारा भेजा जायेगा । एक विकल्प यह भी विचाराधीन है कि परादीप पर खाद्यान्न को तटीय पोतों पर उतार लिया जाय और उन्हें कलकत्ता ले जाया जाये ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इसको रेलवे लाइन से मिलाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मामला विचाराधीन है। वास्तव में रेलवे द्वारा नयागढ़ खान क्षेत्र से यातायात की क्षमता का सर्वेक्षण किया जा रहा है, और सर्वेक्षण समाप्त हो जाने के बाद रेलवे के निर्माण के संबंध में अन्तिम प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकारने कोई अनुमान लगाया है कि लोह अयस्क के निर्यात के अतिरिक्त इस पत्तन पर कितना अनाज उतारा जा सकेगा ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी, हां। 20 लाख टन लोह अयस्क की निर्यात संभावनाओं के अतिरिक्त लगभग 90,000 टन तक आयात किये गये अनाज को उतारने की संभावना पर विचार किया गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : By what time the construction of the railway line will be completed and by what time this proposal will be implemented ? What is the cost of carrying the goods by ship and by Railway, separately ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जब रेलवे लाइन का निर्माण हो जायेगा तो निःसंदेह परिवहन लागत काफी कम होगी, परन्तु बीच की अवधि के लिये उड़ीसा सरकार ने एक 'एक्सप्रेस वे' के निर्माण की योजना बनाई है और इसके द्वारा लोह अयस्क को काफी फायदे से ले जाया जा सकेगा।

Shri Madhu Limaye : Paradeep port has been established mainly for the export of iron ore. Which is a very heavy substance. May I know whether factories will be established at Vishakhapatam or Paradeep for the processing of iron ore and reducing its weight as also for increasing its price ?

श्री चे० मु० पुनाचा : परादीप पत्तन पर लोह अयस्क को शुद्ध करने का प्रश्न इस समय पैदा नहीं होता है क्योंकि तोमका दम्तारी और नयागढ़ क्षेत्र में लोह अयस्क के निक्षेप ढेलों के रूप में उपलब्ध है जिनकी विदेशों की मण्डी में मांग है।

Shri Yashpal Singh : May I know the handling capacity of this port in respect of iron ore and foodgrains ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि लोह अयस्क के निर्यात के लिये 20 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है और आयातित माल के उतारने के लिये जिसमें खाद्यान्न भी शामिल है 90,000 टन का लक्ष्य रखा गया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या परिवहन मंत्रालय रेलवे लाइन को सब से अधिक प्राथमिकता दे रहा है और क्या इस रेलवे लाइन की जांच की गई थी जो कि कटक से परादीप को तोमका दम्तारी खान हो कर लम्बे रास्ते से जाती है और इस पत्तन से लोह अयस्क का निर्यात करने की स्थिति में हम कब होंगे ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि लाइन का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : कटक पर भी बाद में विचार किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पत्तन के महत्व को देखते हुए, क्या पत्तन के अच्छे प्रशासन के लिये किसी पत्तन न्यास का कोई प्रस्ताव है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ज्यों ही यह बन्दरगाह काम करने लगेगी, इसे पत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत एक मुख्य पत्तन घोषित कर दिया जायेगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या पराद्वीप पत्तन के विकास के लिये बृहत् योजना तैयार करते समय रेलवे लाइन के बिछाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण ह ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जब इस पत्तन पर विचार किया गया था तो विचार यह था कि खान क्षेत्रों से मिली हुई एक सीधी सड़क के रास्ते इस पत्तन को माल पहुंचाया जायेगा। बाद में यह देखा गया कि सीधी सड़क की अपेक्षा इसको रेलवे से मिलाना अधिक लाभप्रद होगा और रेलवे अब इसका सर्वेक्षण कर रही है। इन बातों पर विचार करने के बाद रेलवे लाइन के निर्माण पर निर्णय किया जायेगा।

चीनी सम्बन्धी सेन समिति

+

*393. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रा० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सम्बन्धी सेन समिति की सभी सिफारिशों को मान लिया गया है और क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों को भी इस आशय का कोई आश्वासन दिया गया है कि गन्ने की कीमत कम नहीं की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : 1965–66 की फसल में गन्ने की न्यूनतम कीमत के बारे में सिफारिश को छोड़कर, शर्करा सम्बन्धी सेन आयोग की सिफारिशों की अभी जांच पड़ताल हो रही है। 1965–66 की फसल के लिये गन्ने की कीमत के बारे में निर्णय की घोषणा कर दी गयी है।

(ग) जी हां, वर्ष 1965–66 में गन्ने की कीमत में कोई कमी नहीं की जाएगी।

श्री स० मो० बनर्जी : सेन आयोग की सिफारिशों को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा और निर्णय कब किये जायेंगे ?

श्री शिन्दे : सेन आयोग की सिफारिशों का मुख्य रूप से संबंध उद्योग, राज्य सरकारों के अधिकरण, चीनी उत्पादकों आदि से है। प्रतिवेदन की छानबीन से पूर्व उन सबकी भी सलाह लेनी पड़ेगी, परन्तु सरकार यह चाहती है कि यह सब यथाशीघ्र हो जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे खुशी है कि गन्ना उत्पादकों को 1965–66 के लिये संरक्षण दिया गया है, परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके पश्चात् गन्ने के मूल्यों को घटाने के संबंध में इस निर्णय में कभी कोई परिवर्तन करेगी अथवा यह आश्वासन हमेशा के लिये है ?

श्री शिन्दे : ऐसा आश्वासन हमेशा के लिये नहीं हो सकता क्यों कि मूल्यों, फसलों आदि जैसे कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है । परन्तु जहा तक वर्तमान वर्ष का संबंध है वर्तमान मूल्य चालू रहेंगे ।

श्री रा० बरुआ : चीनी के निर्यात की क्या संभावना है और क्या गन्ने के मूल्य पर इसका असर पड़ेगा ?

श्री शिन्दे : जहां तक निर्यात की संभावना का संबंध है हम निर्यात को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत कम है, और फिर भी हम पर्याप्त राज्य सहायता देकर निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सेन आयोग की किन विशिष्ट सिफारिशों पर तथा किस स्तर पर इस समय विचार किया जा रहा है ?

श्री शिन्दे : सिफारिशों का विभिन्न पहलुओं से संबंध है जैसे कि गन्ना, गुड़ और खडंसारी के मूल्य प्रतिस्पर्धा, लाइसेंस संबंधी नीति, चीनी तथा विभिन्न अन्य संबंधित विषयों का मूल्य ढांचा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या यह सच है कि एक कारखाने में दूसरे कारखाने से चीनी का मूल्य भिन्न है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री शिन्दे : जी, हां । 22 खंड है और चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय इसकी लागत पर विचार किया जाता है । स्वभावत: लागत एक स्थान पर दूसरे स्थान से भिन्न होती है ।

श्री दे० द० पुरी : यह देखते हुए कि 1966-67 में सप्लाई किया जाने वाला गन्ना अब बोया जा रहा है, क्या सरकार 1966-67 के मौसम के गन्ने के मूल्य के बारे में वक्तव्य देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मामला विचाराधीन है और हम यथा शीघ्र इसकी घोषणा करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Do Government propose to ban the movement of sugar from one State to another untill the demand of the State in which it is produced is full y met so that the transport cost of 15 paise per kilo can be avoided ?

श्री शिन्दे : सारे देश में चीनी की खपत को हमें ध्यान में रखना पड़ता है और स्वभावत: कुछ मामलों में चीनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जरूरी होता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उत्पादकों के पास इस समय चीनी की कितनी मात्रा है और सरकार उसको किस तरह उपयोग में लाना चाहती है ?

श्री शिन्दे : पिछले साल की बची हुई मात्रा तथा वर्तमान उत्पादन को लगाकर इस समय हमारे पास 20 लाख टन चीनी है । लगभग 27 लाख टन चीनी की हमारे देश में खपत होगी; 6 लाख टन की निर्यात के लिये आवश्यकता होगी और फिर कुछ मात्रा बच रहेगी ।

Shri Tulsidas Jadhav : The stock of sugar has been accumulated and consequently the mill owners are not in a position to make immediate payment to the caneggrowers. What steps Government has taken in this regard ?

श्री शिन्दे : सरकार इस स्थिति से अवगत है और सरकार उद्योग को सहायता देने की संभावनाओं पर विचार कर रही है ।

Shri Rameshwaranand : This time the sugar mills in Punjab have not purchased even that quantity of sugarcane which they had produced. Are Government aware that in view of this the farmers will grow even less quantity of sugarcane in future ?

श्री शिन्दे : सूखे के कारण गन्ना उत्पादकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । राज्य सरकार भी इससे चिंतित है और किसानों की सहायता के लिये प्रयत्न कर रही है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या इस समिति ने सिफारिश की है कि सहकारी क्षेत्र में चीनी के उद्योग के लिये लाइसेंस उदारता से दिये जाये ?

श्री शिन्दे : सरकार समय समय पर स्थिति को स्पष्ट करती रही है । नये लाइसेंसों के संबंध में हम सहकारी क्षेत्र को अधिमान देना चाहते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Roads in Delhi

***394. Shri Bagri :**
Shri Utiya :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the condition of roads in Delhi is deteriorating day by day;

(b) whether Government's attention has been drawn to the fact that most of the roads remain closed for a long time when water pipes and electricity supply lines are laid ; and

(c) if so, the steps taken by Government to improve the matters ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (c). The roads in Delhi are in charge of the Delhi Administration, the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee. These roads were not originally designed to meet the needs of the present day traffic. In spite of this, they have stood the strain well and are generally in fairly good condition. Some of the roads in the charge of the Delhi Municipal Corporation which have not been strengthened, get deteriorated but action is being taken to strengthen these roads.

In order to ensure that roads are not closed for unduly long periods for laying water pipes and electricity supply lines, the New Delhi Municipal Committee give permission for cutting the roads for these purposes only on the condition that the work is done in stages at night. The Delhi Administration and the Delhi Municipal Corporation are taking all steps necessary to see that roads are not closed for unduly long periods for the purpose of laying pipes, etc. All concerned have been directed to repair the broken surface of roads expeditiously.

अमरीका से अनाज

*395. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 के गेहूं की सप्लाई के द्वारा देश की खाद्य स्थिती में कितना सुधार हुआ है,

(ख) यह गेहूं किन-किन राज्यों को दिया जाएगा, और

(ग) क्या बाहुल्य वाले राज्यों को भी कोई अभ्यंश दिया जाएगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) हम प्रत्येक माह 850 हजार मीटरी टन आयातित गेहूं का वितरण कर रहे है जिससे देश में खाद्यान्नों की उपलब्धि में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

(ख) सभी राज्य ।

(ग) जी हां ।

केरावैल विमानों की उड़ानें

*396. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में केरावैल-विमानों की कितनी उड़ानें होती हैं ;

(ख) ये उड़ाने किन किन वायु मार्गों पर चलाई जाती हैं ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में देश के अन्य स्थानों तक केरावैल विमान सेवाओं को लागू करने का कोई विस्तार कार्यक्रम बनाया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) :

विवरण

(क) 8 ।

(ख) (1) बम्बई-दिल्ली
(2) कलकत्ता-दिल्ली
(3) कलकत्ता-मद्रास
(4) बम्बई-कलकत्ता
(5) बम्बई-बंगलौर-मद्रास
(6) दिल्ली-हैदराबाद-मद्रास

(ग) 5 कारवेल विमानों के विद्यमान बेड़े से किसी भी नये स्टेशन के लिए कारवेल सेवाओं की व्यवस्था करना संभव नहीं है । जब कभी कारवेल विमानों के विद्यमान बेड़े में बढ़ोतरी की जायेगी तो श्रीनगर और गोहाटी के लिए कारवेल सेवाओं और विद्यमान कारवेल मार्गों में से कुछ पर अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था करने का विचार है ।

Import of Foodgrains

*397. **Shri Bade :**
Shri Shree Narayan Das :
Shri Linga Reddy :
Dr. P. Srinivasan :
Shri Paramasivan :
Dr. Ranen Sen :
Shri Dinen Bhattacharya :
Shri Daljit Singh :
Shri D. C. Sharma :
Shri P. C. Borooah :
Shri H. C. Soy :
Shri Kapur Singh :
Shri P. K. Deo :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri J. B. S. Bist :
Shri M. Rampure :
Shri Dharmalingam :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government have made any efforts to import foodgrains from countries other than U. S. A.

(b) if so, the names thereof ; and

(c) the quantity supplied or promised by each country separately ?

The Dy. Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). A statement is laid on the table.

Statement

Commercial Imports :

A contract was signed on the 17th February, 1966 for the purchase of 1.5 lakh metric tons of rice from Thailand. An agreement for the purchase of 2.0 lakh tons of rice from Burma is being finalised. Negotiations are in progress to enter into a new agreement for the purchase of rice from the U.A.R. An offer by British Guiana to sell rice to India is under consideration. Negotiations are underway for the purchase of wheat from Australia commercially.

Emergency Assistance Imports:

To meet the situation arising out of the recent drought the following quanties of oodgrains have been offered by various countries:

Canada		1,25,600	tons of wheat (in addition to about 33,000 tons of wheat flour).
Australia	about	1,00,000	tons of wheat (in addition to some wheat flour).
Greece	,,	5,000	tons of wheat
World Food Programme	,,	54,000	tons of wheat

मध्य प्रदेश में भूख से मृत्यु

*398. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा० बरूआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बड़े :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष देश में विशेषत: मध्य प्रदेश में भूख के कारण बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो 1965 में इस वर्ष अब तक सम्पूर्ण देश में तथा मध्य प्रदेश में इससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ग) दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्र कौन-कौन से हैं और इस प्रकार से होने वाली मृत्यु से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मैसूर के कुछ भागों में कमी की स्थिति है । केन्द्रीय भण्डारों से इन राज्यों की खाद्यान्नों की सप्लाई में वृद्धि कर दी गयी है । राज्य सरकारों ने भी प्रभावित क्षेत्रों में कमी सम्बन्धी राहत कार्य खोले हैं ।

विधान मण्डलों तथा न्यायपालिका के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद

*399. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **विधि** मंत्री 23 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 390 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री केशव सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है;

(ग) सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुये, विधान-मंडलों तथा न्यायपालिका के बीच विशेषाधिकारों संबंधी विवाद के बारे में क्या निर्णय किया है; और

(घ) जनवरी, 1965 में बम्बई में हुई पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) संविधान में संशोधन आवश्यक नहीं समझा गया है । उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनाये गये निर्णय के प्रकाश में, विधान मंडल और न्यायपालिका अपनी अपनी निरूढ़ियां विकसित करेंगी ।

पंजाब की सड़क विकास योजनायें

400. श्री बलजीत सिंह : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को राज्य की सड़क विकास योजनाओं के लिये 1965-66 में अब तक केन्द्र द्वारा कितनी तथा किस रूप में सहायता दी गई ; और

(ख) इसके लिये राज्य की वास्तव में कितनी मांग थी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

अन्तर्राज्य या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिये केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों की सड़क विकास स्कीम के लिये केन्द्रीय सड़क फंड से और केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है । इन दो स्रोतों से पंजाब सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता की सीमा और 1965-66 में उनके द्वारा मांगी गई वास्तविक राशि नीचे दी जाती है :

	मांगी गयी राशि	1965-66 में दी जाने वाली प्रस्तावित राशि
		(रु० लाख में)
अन्तर्राज्य या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों का केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम . .	42.36	34.86
केन्द्रीय सड़क फंड . . .	30.55	23.00

प्रबन्ध अभिकरणों संबंधी समिति

*401. **श्री वारियर :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री मधु लिमये :**
श्री प्रभात कार : **श्री किशन पटनायक :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध अभिकरणों संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Agricultural Assistance from U. S. A.

*402. **Shri Vishram Prasad** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** & **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during his visit to Washington, he had detailed discussions with the American authorities about the nature of agricultural assistance to be given by that country in the Fourth Five Year Plan besides the long term supply of food-grains under PL 480.

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the amount of assistance expected from U. S. A.

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) Discussions of a general nature were held concerning the strategy and measures for stepping up agricultural production and the ways in which U. S. A. could assist this programme in the next five years.

(b) Details were not discussed. The strategy and programme of agricultural production have been circulated among members of Parliament in the document entitled "Reorientation of Agricultural Programme" on 29-11-65.

(c) No indication has yet been given by U. S. A. Government.

प्रशान्त क्षेत्र यात्रा संस्था सम्मेलन

*403. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री सू० ला० वर्मा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या प्रशान्त क्षेत्र यात्री संस्था ने, जिसका सम्मेलन जनवरी, 1966 में दिल्ली में हुआ था, यह सिफारिश की है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों को बिना विलम्ब वीसा दिया जाना चाहिये अथवा यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उन्हें उन के परिचयपत्रों के दिखाये जाने के आधार पर ही देश में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जाये, और यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जी नहीं, प्रशान्त क्षेत्र यात्रा संस्था ने यह सिफारिश नहीं की है कि भारत में प्रविष्ट होने के लिये आइडेन्टिटीकार्ड को पर्याप्त यात्रा लेख्य मान लिया जाये । उन्होंने पर्यटकों के आने जाने में सुविधा के लिये कई और उपायों की सिफारिश की है जिनमें बगैर देरी किये वीसा का दिया जाना भी शामिल है ।

चुनावों का लड़ा जाना

*404. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरे आम चुनावों के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़े जाने की संभावना को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : सरकार ने, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों की बहुतायत को समाप्त करने या सारवान् रूप से कम करने के लिये निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है और इस निमित्त कोई कदम न उठाने का विनिश्चय किया है ।

रबी की फसल (1966) की सम्भावनायें

*405. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में हाल में हुई वर्षा से रबी की फसल की सम्भावनाएं अच्छी हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय इस बात का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि हाल ही में हुई वर्षा से रबी की फसल के सुधार की सम्भावनाओं में किस हद तक वृद्धि हुई है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवायें

*406. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बड़े नगरों को मिलाने वाले बड़े ट्रंक हवाई मार्गों के बीच इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों के चलने में बारबार होने वाले विलम्ब तथा विमान सेवाओं के रुक जाने के बारे में सरकार को मालूम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने तथा विमान द्वारा यात्रा करने वाले लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : जी, हां । ट्रंक हवाई मार्गों पर आई० ए० सी० की उड़ानों में होने वाले बहुत से विलंबों तथा उनकी विमान सेवाओं के रुक जाने के बारे में सरकार को मालूम है । इन विलम्बों के विश्लेषण से यह मालूम हुआ है कि सबसे अधिक संख्या में विलम्ब परिणामिक हैं; उदाहरण के लिए, 0600 बजे रवाना होने वाले एक कारवेल विमान को दिनभर 5/6 सेवाएं चलानी होती हैं । इन सेवाओं में से किसी में भी शुरू में होने वाले विलम्ब का उस सब दूसरी सेवाओं पर असर पड़ता है जिन्हें वह विमान चलाता है । इन विलम्बों से बचा जा सकता है या ये विलम्ब काफी कम किये जा सकते हैं यदि जरूरत के समय काम आने वाले (स्टैण्डबाई) विमानों की व्यवस्था कर दी जाय । कारपोरेशन अतिरिक्त विमानों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है लेकिन यह विमानों की खरीद के लिए विदेशों से उपलब्ध होने वाले ऋणों पर निर्भर करता है; कुछ विलम्ब इस कारण से होते हैं कि देरी से की गयी उड़ानों और उड़ान कर्मीदल के ड्यूटी का समय समाप्त होने के कारण दूसरे उड़ान कर्मीदल को लाना पड़ता है । इंजीनियरी खराबियां के कारण होने वाले विलम्ब काफी होते हैं । इनकी जांच एक समिति द्वारा की गयी है जिसने कुछ सिफारिशें की हैं जोकि दूसरी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के साथ इंजीनियरी व्यवस्था के पुनर्गठन के बारे में है । इन आधारों पर पुनर्गठन की एक योजना का बोर्ड ने हाल ही में अनुमोदन किया है । हाल में अधिकांश विलम्ब कलकत्ता और दिल्ली में कुहरे के कारण हुए हैं और कई विलम्ब कुछ कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत व्यावसायिक तरीके का अनुसरण करने की वजह से भी हुए है । ऐसे मामलों में कारपोरेशन द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

तुलिहाल हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान को क्षति

*407. **श्री द्वारका दास मंत्री :**

श्री प्र० चं० बरूआ :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक डकोटा विमान को 19 फरवरी, 1966 को तुलिहाल हवाई अड्डे पर उतरने पर क्षति पहुंची; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना की जांच हो रही है।

ग्राम्य ऋण

*408. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाओं को समेकित करके ग्रामीण ऋण की वर्तमान प्रणाली में सरकार का परिवर्तन करने का विचार है।

(ख) क्या सरकार का विचार ग्राम्य ऋण को भूमि के क्षेत्रफल के साथ संबद्ध करने तथा ऋण की कसौटी में परिवर्तन करने का है; और

(ग) क्या जमीन के मालिकों को कार्ड देने तथा ऋण प्रणाली की प्रक्रिया के सरल बनाने का सरकार ने निर्णय कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) कृषि उत्पादन के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था करने की दृष्टि से फ़सल ऋण प्रणाली तैयार की गई है और राज्यों से उसे लागू करने की सिफारिश की गई है। इस प्रणाली के अनुसार काश्तकारों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण भिन्न-भिन्न फसलों के बारे में होने वाले प्रति एकड़ उत्पादन व्यय को देखते हुए किया जाता है और उनकी पूर्ती नकदी तथा जिस के रूप में उधार लेने वाले की क्षमता को देखते हुए की जानी है।

(ग) फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य के लिए हर वर्ष एक सामान्य ऋण विवरण तैयार किया जाना है, जिसमें उसकी ऋण की पात्रता नकदी तथा जिस के रूप में दी जानी है। यह कार्ड का काम देगा। एक बार सदस्य को ऋण सीमा निर्धारित हो जाने पर वह उसके आधार पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण ले सकेगा तथा उसे हर बार आवेदन-पत्र देने की आवश्यकता नहीं रहेगी ह।

पंजाब और दिल्ली के बीच पंजाब की रोडवेज सेवाएं

*409. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और दिल्ली के बीच अन्तर्राज्जीय सड़कों पर पंजाब रोडवेज सर्विस को बसों को गैर कानूनी तौर पर चलाये जाने के संबंध में अन्तर्राज्य परिवहन निगम के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में पंजाब रोडवेज की बसें यात्रियों को दिल्ली के संघीय राज्य क्षेत्र से पंजाब के उन गंतव्य स्थानों तक ले जाती है जिनके लिये दिल्ली परिवहन प्राधिकरण द्वारा उन्हें लिखित रूप में कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो मोटर-गाड़ियों अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : दिल्ली और पंजाब के बीच अंतर्राज्यिक रास्तों पर चलने के लिये जहां तक पंजाब रोडवेज की गाडियों को परमिट मिले हुये है और प्रतिहस्ताक्षर हुये हैं वहां से आगे उन गाड़ियों को चलाने के बारे में अन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग के कार्यालय में पंजाब रोडवेज से ये अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि ऐसी गाड़ियों को दो परमिट एक साथ देकर उनकी सेवा आगे के स्थानों तक बढ़ा दी जाये। यह प्रश्न आयोग के विचाराधीन है कि क्या पंजाब रोडवेज का अपनी सेवाओं को इस प्रकार और आगे बढ़ाना वैध है।

कपास की खेती के लिए काम में लाई जा रही भूमि में अनाज की खेती करना

*410. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री महेश्वर नायक :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास की खेती के लिये इस समय काम में लाई जा रही भूमि में से लगभग आधी भूमि को अनाज की फसलों के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में अमरीका ने भारत को सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

डाकोटा विमानों का बदला जाना

*411. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री कर्णी सिंहजी : **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री हेम बरूआ : **श्री विभूति मिश्र :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० सी० 3 डकोटा विमानों के स्थान पर फ्रांस में निर्मित नार्ड तथा एवरो 748 विमान चलाने का प्रस्ताव है, क्योंकि डकोटा विमान को चलाने से भारी हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा समेत कितना खर्च होने का अनुमान है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) डकोटाओं को जिनका परिचालन बहुत अलाभप्रद है, बदलने की आवश्यकता को कारपोरेशन ने कई वर्ष पहले स्वीकार कर लिया था। कारपोरेशन ने क्षेत्रीय मार्गों के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से 15 अवरो 748 सीरीज II विमानों को खरीदने की संविदा की है। कारपोरेशन की कम यातायात वाले छोटे मार्गों के लिये अधिक छोटे टर्बोप्राप विमानों को खरीदने की भी योजना है। इस प्रकार के विमानों, जिन पर कारपोरेशन विचार कर रहा है, में से एक विमान नार्ड 262 है जिसमें 25 से 26 तक यात्रियों के बैठने की सीटें हैं।

(ख) आई० ए० सी० की चौथी योजना के मसौदे में 15 अवरो 748 या एफ-27 टाइप विमानों और छोटे मार्गों के लिए 15 अधिक छोटे विमानों को खरीदने के लिए 15·14 करोड़ की रुपये व्यवस्था शामिल है।

आसाम में परिवहन

*412. **श्री बागड़ी :** **श्री यशपाल सिंह :**

श्री राम सेवक यादव : **श्री लीलाधर कटकी :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

श्री किशन पटनायक : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 7 दिसंबर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1995 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार से वर्तमान रेल-व-सड़क तथा रेल-व-नदी परिवहन व्यवस्था और मालभाड़े की दरों के संबंध में कोई पत्र इस बीच प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उस प्रदेश में सड़क तथा नदी के मार्गों पर माल भाड़े में तालमेल बैठाने का भी निश्चय किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह निश्चय कब तक होने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : परिवहन और विमान मंत्रालय को आसाम सरकार से कोई पत्र नहीं मिला है। किन्तु आसाम सरकार ने केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को सड़क परिवहन भाड़े में कमी के सुझाव के बारे में लिखा था।

(ग), (घ) और (ङ) : परिवहन के विभिन्न प्रकारों, अर्थात् रेल, सड़क और नदी, द्वारा भाड़े के ढ़ांचे के समायोजन का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

खाद्यान्न का सामाहार और वितरण

413. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री हेमराज :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरूआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री लखमू भवानी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में, राज्यवार, खाद्यान्न के समाहार और वितरण के बारे में अब तक कितना कार्य किया गया है ;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अब तक खाद्यान्न की कितनी मात्रा का समाहार किया गया है; और

(ग) क्या भारत के खाद्य निगम की गतिविधियां देश के सभी भागों में आरम्भ की जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, केरल और केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचरी और कराईकलमों या तो केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के खाद्य में चावल और धान की अधिप्राप्ति का काम अपने हाथ में लिया है। निगम मद्रास और उड़ीसा से निर्यात चावल की मात्रा के संचलन का काम भी करता है। पंजाब में, यह आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर को चने की दाल भेजने की व्यवस्था कर रहा है। निगम दक्षिणी राज्यों और उड़ीसा तथा राजस्थान में रोलर आटा मिलों को आयातित गेहूं का विवरण भी कर रहा है।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय तथा अपने खात में खरीदे गये विभिन्न खाद्यान्नों की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5704/66]**

(ग) जी हां। धीरे धीरे यथा समय में निगम की गतिविधियां देश के अन्य भागों में भी बढ़ायी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा सर्दी के घंटों में काम बन्द कर देने की धमकी

*414. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **परिवहन, उड्डन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कर्मचारी संघ ने घटिया गर्म कपड़े की वर्दियों की सप्लाई के विरोध में सर्दी के घंटों में काम बन्द कर देने की धमकी दी थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई और इसके परिणाम-स्वरूप विमान सेवाओं में अव्यवस्था को रोकने के लिये क्या कदम उठाय गये है ?

परिवहन, उड्डन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) कारपोरेशन के चेयरमैन 30 नवम्बर, 1965 को, जिस तारीख से यूनियन ने हड़ताल करने की धमकी दी, यूनियन के प्रतिनिधियों से मिले और उनकी 2 दिसम्बर को और बैठक हुई। इन दो बैठकों में यूनियन को स्थिति से पूर्ण परिचित कराया गया उस कार्यवाही के बारे में भी पूरी तरह बताया गया, प्रबन्धक वर्ग का वर्दियों की सप्लाई यथाशीघ्र पूरी करने के लिए जिसको करने का विचार है।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली

*415. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रबंध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने के बारे में क्या निर्णय किया है ;

(ख) क्या वर्ष 1965 के अन्त में समाप्त होने वाले तथा इस वर्ष में समाप्त होने वाले प्रबन्ध अभिकरणों की अवधि को बढ़ाने का सरकार ने निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का निर्णय क्या है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) सरकार ने, अभी तक प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) और (ग) : जी हां, महोदय। ऐसा निर्णय किया गया है कि उन प्रबन्ध अभिकरणों का, जिनका कार्यकाल 32 दिसम्बर, 1965 या 1966 में किसी तारीख को समाप्त होने वाला था, कार्यकाल सामान्यतः किसी और अगली अवधि तक, जो 31 मार्च, 1967 के बाद की न होगी, बढ़ा दिया जायगा परन्तु शर्त यह होगी कि व्यक्तिगत मामलों में समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 326(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत समवाय विधि बोर्ड को कार्यकाल में वृद्धि अस्वीकृत करने का भी अधिकार रहेगा।

31-12-1965 या 1966 के दौरान किसी भी तारीख को समाप्त होने वाले प्रबन्ध अभिकरणों और 1965 के दौरान प्राप्त आवेदनों के आधार पर वे प्रबन्ध अभिकरण जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या इससे अधिक के लिए पढ़ाया गया है की सूचना बताने वाला विवरण सभा पटल-पर रखा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5705/66**]

Prices of Groundnut and Groundnut Oil

***416. Shri Bade :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of groundnut and groundnut oil are rising; and

(b) if so, whether Government propose to import soyabean and soyabean oil under P. L. 480 in view of the poor crop of groundnut?

The Dy. Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) The prices of groundnut and groundnut oil had been rising until October 1965, but have since remained fairly stable.

(b) A proposal for import of soyabea oil is under consideration.

सपरेटा पाउडर

1691. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री 23 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब सपरेटा पाउडर के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) तथा (ख) : जी हां। एक विवरण नत्थी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5706/66**]

केरल मे विधि आयोग

1692. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने केरल के लिए एक विधि आयोग बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह आयोग कब नियुक्त किया जायेगा; और

(ग) इसके सदस्य कौन होंगे तथा निर्देश-पद क्या होंगे ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) : केरल सरकार ने राज्य के लिये विधि आयोग पहिले ही बना लिया है।

(ग) श्री टी० आर० बालकृष्ण अय्यर को आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति होना अभी बाकी है।

आयोग के निर्देश-पद इस प्रकार हैं :—

(i) राज्य विधियों की विस्तार से जांच-पड़ताल करना; और

(ii) उन सूत्रों की सिफारिश करना जिनके अनुसार राज्य विधियों को सरल बनाया जाए, समेकित किया जाए, संशोधित किया जाए या पुनरीक्षित किया जाए या अन्यथा अद्यतन बनाया जाय।

मशीन से चलने वाली नावों का आयात

1693. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये मशीन से चलने वाली नावों का आयात करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत ऐसी कितनी नावों का आयात किया जा रहा है;

(ग) ये नावें किस देश से मंगाई जा रही है; और

(घ) उन पर लगभग कितना व्यय होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) यह सोचा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि म वाणिज्यिक आधार पर मछली पकड़ने के लिए 200 मध्यम आकार की मत्स्यनौकाएं उनके आवश्यक पुर्जे आयात कर चलाई जाएं।

(ख) और (ग) : सूडान सरकार द्वारा पेश की गयी ऋण सुविधाओं से लगभग 25 शिरम्प मत्स्यनौकाएं प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) प्रत्येक सूडानी मत्स्यनौका की अनुमानित लागत 5 लाख रुपये है।

किसानों को सहायता

1694. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने अधिक अन्न पैदा करने में किसानों की सहायता करने के लिए केरल, आन्ध्र प्रदेश और मसूर में कुछ स्थान चुने है;

(ख) यदि हां, तो केरल में कौन कौन से स्थान चुने गये है तथा वह कितने एकड़ भूमि है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम किसानों को किस प्रकार की सहायता देगा;

(घ) किसानों को किस कसौटी के आधार पर चुना गया है; और

(ङ) क्या किसानों को ऋण देने की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां। आगामी खरीफ की फसल में इन राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में किसानों को खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने में सहायता देने के लिए एक पाइलट योजना भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है।

(ख) अस्थायी तौर पर चूना गया क्षेत्र केरल के पालघाट जिले में है और इसके अन्तर्गत लगभग 50 हजार एकड़ भूमि है।

(ग) निगम नकद राशि और अपेक्षित निविष्ट जैसा कि उन्नत किस्मों के बीच, उवर्रक और किटनाशक सप्लाई करेगा।

(घ) किसान चुनने की कसौटी निम्न प्रकार है :

(1) वे उन्नत बीजों का प्रयोग करने और सम्बन्धित राज्य कृषि विभाग द्वारा निर्धारित और निगम द्वारा अनुमानित कृषि के तरीकों को अपनाने के लिए तैयार होने चाहिएं, और

(2) वे सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर प्रति एकड़ कम से कम अेक मीटरी टन धान निगम को देने के लिए करार करने के लिए तैयार होने चाहिए।

(ङ) जी हां। निगम यदि आवश्यक समझे तो खेती के खर्चे को पूरा करने के लिए दी जाने वाली फसल की निर्धारित कीमत का 25 प्रतिशत नकद दे सकता है।

खाद्यान्नों का समाहार

1695. श्री अ० क० गोपालन: क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने समाहार कार्यक्रम को और सख्ती से क्रियान्वित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो नई वसूली का आधार क्या है;

(ग) क्या दो एकड़ भूमि वाले लोगों को इस वसूली से मुक्त किया गया है;

(घ) क्या अपनी फसल देने वाले व्यक्तियों को सरकार ने अधिक बोनस देने का निश्चय किया है;

(ङ) कितने एकड़ वाली भूमि को इस वसूली से मुक्त रखा गया है;

(च) किस व्यवस्था के द्वारा उत्पादिता निधारित की जाती है; और

(छ) क्या यह कार्य पंचायतों को सौपंने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख) : केरल चावल तथा धान (लेवी द्वारा अभिप्राप्ति) आदेश, 1964 के अधीन आरोही स्लाब के आधार पर लेवी की समान दर निर्धारित की गयी थी जो कि सारे राज्य पर लागू होती है। केरल चावल तथा धान (लेवी द्वारा अभिप्राप्ति आदेश, 1965 के अधीन भूमि की उत्पादिता को ध्यान में रखकर राज्य के धान पैदा करने वाले क्षेत्रों का चार श्रेणियों अर्थात्, क, ख, ग, और घ में वर्गीकरण कर दिया गया है और लेवी के लिए विभिन्न पैमाने अपनाए गए है। क और ख श्रेणियों के लिए अब लागू की गयी लेवी में थोड़ी सी बढ़ोतरी है जबकि ग और घ श्रणियों के मामले में कुछ स्लाबों के लिए लेवी में कटौती कर दी गयी है।

केरल सरकार ने मिल-मालिकों या व्यापारियों के उत्पादन के 50 प्रतिशत पर भी लेवी लागू कर दी है।

(ग) जी नहीं, घ श्रेणी को छोडकर।

(घ) राज्य सरकार धान के मूल्य के अतिरिक्त यदि काश्तकार कुछ अधिसूचित तारीखों से पहले सुपुर्दगी देता है तो रु० 1.19 प्रति क्विंटल की दर से सुपुर्दगी बोनस और अधिसूचित लेवी से ज्यादा धान देने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रेरणा बोनस देगी।

(ङ) क और ख श्रेणियों में एक एकड़ की छूट सीमा है जबकि ग और घ श्रेणियों क्रमश: में $1\frac{1}{2}$ और 2 में एकड़ की छूट है।

(च) सांख्यकी ब्योरा द्वारा भूमि की उत्पादिता आंकी जाती है। यह ब्योरा प्रत्येक फसल के लिए निरंतर फसल कटाई सम्बन्धी परीक्षण करता है।

(छ) जी नहीं।

विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा जीपों का प्रयोग

1696. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारियों की दी गई जीपों के बेहतर उपयोग के सम्बन्ध में उनके द्वारा मांगी गई सलाह के प्रत्युत्तर में संसद सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : चुनावों के दौरान राजनीतिक कार्यों के लिए जीपों का दुरुपयोग रोकने के प्रश्न पर संसद सदस्यों से सुझाव मांगे गए थे। मुख्य रूप से यह सुझाव दिया गया था कि राजनीतिक कार्यों के लिए जीपों का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसे प्रभावी तथा ठोस उपाय तैयार किए जाये जिनसे खण्डों के कार्यों का हर्ज कम से कम हो।

केरल में भू-संरक्षण

1697. श्री प० कुन्हन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में भू-संरक्षण के लिये केरल राज्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या तीसरी योजनावधि में कन्नानूर जिले में कोई संरक्षण योजना चालू की गई है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि होसदुर्ग तालुक में करियान-कोदू नदी के दोनों ओर की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में नदी द्वारा बहा ली जाती है;

(घ) क्या बाढ़-नियंत्रण के लिये रोकथाम की कार्यवाही करने के लिए डी० डी० सी० कन्नानूर जिला ने सरकार से सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) केरल की तीसरी पंचवर्षीय योजना में भूमि संरक्षण योजनाओं के लिये 120 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 334 रुपये की लागत से 1700 एकड़ कृष्य भूमि पर भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो चुका है। यह कार्य कन्नानूर जिले के 3,000 एकड़ के एक अन्य भूमि क्षेत्र में चालू है और इस पर 13.27 लाख रुपया व्यय होगा।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह मामला इसके नोटिस में आया है और वे इसके विषय में जांच करवा रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

नेपाल द्वारा काठमांडू-ढाका विमान-सेवा का चलाया जाना

1698. श्री राम हरख यादव : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने काठमांडू और ढाका के बीच विमान सेवा आरम्भ करने के लिये भारत सरकार की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) : जी, हां। नेपाल ने भारतीय क्षेत्र के ऊपर से जाने वाली काठमांडू और ढाका के बीच की अनुसूचित विमान सेवाओं को फिर आरम्भ करने की अनुमति मांगी है।

(ख) आवश्यक अनुमति 10 फरवरी 1966 को दी गयी और रायल नेपाल एयर-लाइंस कारपोरेशन ने इस सेवा को 18 फरवरी, 1966 से चलाना शुरू कर दिया।

वन क्षेत्र का विनियोजन पूर्व सर्वेक्षण

1699. श्री राम हरख यादव :
श्री पें० वेंकटासुबय्या :
श्री क० चं० पंत :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1966 को पूर्व विनियोजन के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि के विशेषज्ञों के एक दल ने हलदानी तथा उसके समीपवर्ती वन क्षेत्र का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या इस विषय पर उपरोक्त दल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दौरे का उद्देश्य क्या था;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) हलदानी तथा उसके समीपवर्ती वन क्षेत्र के दौरे का उद्देश्य परियोजना सलाहकारों को शीघ्र उगने वाली किस्मों के पौदों की वृद्धि सम्बन्धी सरकार के कार्यक्रम से परिचित कराना है ताकि वे इन क्षेत्रों में प्राप्त परिणामों से परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में लाभ उठा सकें।

(ग) परियोजना के अन्तर्गत रोपण कार्यक्रम के लिए की गई सिफारिशों में एकत्रित जानकारी से लाभ उठाया जाएगा, अतएव हलदानी के समीप रोपण के लिए वे अलग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेंगे।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Farmers sent abroad

1700. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1100 on the 23rd November, 1965 and state :

(a) the basis on which Indian farmers to be sent abroad are selected and the name of the selecting authority ?

(b) the details of work done for increasing agricultural production by the farmers sent abroad so far ; and

(c) the names of the institutions of farmers which approached Government for aid during the last ten years but were not granted any aid ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri S. D. Mishra) : (a), (b) and (c). A statement is attached. [**Placed in Library. See No. L.T./5707/66**].

मध्य प्रदेश द्वारा ट्रैक्टरों का आयात

1701. श्री लखमू भवानी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री 7 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1635 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को भारी क्रालर ट्रैक्टरों के आयात के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दी गई है; और

(ख) यदि हां, कितनी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : जी नहीं।

पंचायत यूनियन स्तर पर कृषि विकास

1702. श्री वै० तेंवर : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब पंचायत स्तर पर कृषि विकास के भिन्न भिन्न कार्यों के अन्तर्गत वित्तीय लक्ष्य निश्चित किये जाते हैं, तो यह जानने के लिये कि एक निश्चित राशि व्यय होने पर कृषि उत्पादन में कितनी अधिक वृद्धि होती है, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो यह बात कैसे जानी जाती है और निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का पता लगाने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) व (ख) : कृषि विकास के भिन्न-भिन्न कार्यों के बारे में वित्तीय लक्ष्य खण्ड स्तर पर आवश्यकताओं तथा उपलब्ध साधनों की देखते हुए निश्चित किए जाते हैं। किसी एक वर्ष में कृषि उत्पादन कितना हुआ, उसका अंदाजा भिन्न भिन्न कार्यक्रमों को लेकर नहीं, बल्कि कुल योग के आधार पर लगाया जाता है। अनुमानित उपज की जांच जिला स्तर पर सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक ढंग से फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से की जाती है। ये प्रयोग स्यालीपुलाक परीक्षा पर आधारित होते हैं। खण्ड स्तर पर पैदावार का अनुमान लगाने के लिए आंख से देखकर अनुमान लगाने और फसल कटाई प्रणाली का मिला जुला तरीका लागू किया गया है। फसल कटाई प्रयोग तथा देख कर आंकने का कार्य क्रमशः राजस्व विभाग तथा खण्ड एजेन्सी को सौंपा जाता है जो राज्य सांख्यिकी संगठन के मार्गदर्शन में काम करते हैं।

खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिये कार्यक्रम

1703. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल की अमरीका यात्रा के दौरान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिये भारत के अविलम्बिनीय कार्यक्रम के बारे में अमरीका सरकार के साथ बातचीत की थी ;

(ख) भारत में खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने की सम्भावना के सम्बन्ध में उनके द्वारा बताई गई स्थिति से अमरीका सरकार कहां तक सहमत हुई है ; और

(ग) क्या अमरीका सरकार भारत को इस अभियान के लिये विदेशी मुद्रा तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के लिये सहमत हो गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) हमारे कार्यक्रमों तथा लक्ष्यों से प्रायः सहमति प्रकट की गई ।

(ग) इस विषय का सम्बन्ध चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में मिलने वाली कुल आर्थिक सहायता से है । इस पर अभी विचार हो रहा है ।

निर्जल गोदियां

1704. श्री कोल्ला वेंकेय्या :
श्री म० ला० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन,** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज निर्माण सम्बन्धी योजना दल के प्रतिवेदन में सुझाव दिये गये मरम्मत-कार्य के लिये उच्चतर क्षमता वाली अतिरिक्त निर्जल गोदियों की स्थापना कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कहां; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी स्थापना कब तक की जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : साठ हजार कुल टन भार तक के जहाजों को सेवा उपलब्ध करने के प्रयोजन से हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम् के अनुबंध के रूप में एक सूखी गोदी निर्माण के लिये सरकार ने प्रारंभिक कार्यवाही कर ली है । जहां तक इस से उच्चतर क्षमता की सूखी गोदियों का संबन्ध है व पत्तन विकास कार्यक्रम के प्रसंग में सरकार के विचाराधीन है ।

अभावग्रस्त क्षेत्र

1705. श्री महेश्वर नायक :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा न होने तथा फसल खराब हो जाने के कारण अभावग्रस्त राज्यों ने नलकूपों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता देने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि की सहायता मांगी गई है; और

(ग) सरकार ने उनकी प्रार्थना पर क्या निर्णय लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमं ी (श्री श्यामधर मिश्र) (क) वर्षा न होने तथा फसलें खराब हो जाने के कारण अभावग्रस्त राज्यों ने नलकूपो के निर्माण के लिये सहायता हेतु कोई अनुरोध नहीं किया है । सहायता देने के प्रतिमान के अन्तर्गत नलकूप ऐसी मद नहीं है जिसके लिये वित्तीय सहायता सम्भव हो ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

उर्वरकों का वितरण

1706. श्री कोल्ला वेंकेय्या :

श्री म० ला० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 7 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1960 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के लेने-देने में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, उर्वरकों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के सुझाव के अनुसार राज्य सरकारों ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) कितने मुकादमें चलाये गये हैं ;

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को सजा हुई; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : जानकारी राज्यों/संघ क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

विशाखापत्तनम पत्तन

1707. श्री कोल्ला वेंकेय्या :

श्री म० ला० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम् पत्तन में परीक्षण के रूप में प्रयोग किये गये अयस्क-घाटों (और बर्थ) के बारे में पत्तन अधिकारियों के निष्कर्ष क्या है; और

(ख) क्या कोई दोष पाये गये है और यदि हां, तो उन दोषों को दूर करने पर कितनी लागत आयेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : विशाखापत्तनम् पत्तन पर पश्चिम धातुक बर्थ जिनका अभी हाल ही में निर्माण किया गया था नियमित रूप से व्यवहार में लाई जा रही है और परीक्षण पर नहीं है । उत्तर धातुक बर्थ का निर्माण 16 दिसंबर, 1964 को और दक्षिण धातुक बर्थ का 5 जून, 1965 को पूरा हो गया था और बर्थों में कोई दोष नहीं पाया गया है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी कारखानों का विस्तार

1708. श्री श्रीनारायण दास : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चीनी कारखानों ने प्रार्थना की है कि उनका विस्तार किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है,; और

(ग) क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 30 और बिहार के 16 शकरा कारखानों ने अपने प्लाटों का विस्तार करने के लिये कहा है ।

(ख) और (ग) : पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमश: 18 और 8 कारखानों का विस्तार करने की अनुमति दी गयी है। गन्ने की अपर्याप्त सप्लाई के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 और बिहार के 4 कारखानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। 7 आवेदन-पत्रों (पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 और बिहार के 4) पर विचार हो रहा है।

Supply of rationed Articles

1709. Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the rules relating to the supply of rationed articles to public eating houses, hotels, and restaurants in Delhi ; and

(b) the arrangements to provide food to extra persons who might happen to visit casually some eating house ?

The Dy. Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cotoperation (Shri Shinde): (a) The supply rationed articles to public eating houses, hotels, restaurants and dhabas etc. in Delhi is regulated by the Delhi Rationing Order, 1965 and Regulations made thereunder.

(b) The ration quotas of such establishments have been fixed on the bas is of their past consumption which included service of meals to casual visitors.

Ration cards for Guests in Delhi

1710. Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to rationing such persons of Delhi who receive guests frequently have to spend a lot of their time in getting ration cards for them ; and

(b) whether the Chief Controller of Rationing is not empowered to make arrangements to issue ration cards for such guests at the railway stations or at other transport centres or otherwise make some other suitable arrangements ?

The Dy. Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) No, Sir. Temporary ration cards are issued promptly from 31 circle rationing offices functioning in different parts of Delhi.

(b) The Chief Controller of Rationing is empowered to make the said arrangements if they are considered necessary.

तूतीकोरिन बन्दरगाह

1711. श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
डा. राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुथिया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 7 दिसंबर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1996 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों पर कब तक निर्णय हो जाने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणियों सहित परियोजना रिपोर्ट पर योजना आयोग की सलाह से परीक्षण किया जा रहा है और उस पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

Use of Hindi in the Ministry of Law

1712. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Sidhanti :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the use of Hindi in his Ministry and its attached Offices since the 26th January, 1965 ;

(b) whether work in this connection is being carried on according to some plan ; and

(c) if so, the progress expected during the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) The work done in the Ministry of Law in the Legislative department; the Department of Legal Affairs and the Department of Company Affairs is mostly of a technical nature leaving very little scope for noting and drafting in Hindi. It is, therefore, difficult to compute the exact percentage of increase in the use of Hindi. In the Official Language (Legislative) Commission, however, the increase in the use of Hindi since the 26th January, 1965 is 50%.

(b) Hindi work is being carried on according to the general orders issued by the Ministry of Home Affirs from time to time.

(c) For the reasons stated in answer to part (a) above, it is not possible to anticipate the progress expected during the current year in any of the Departments except the Official Language (Legislative) commission. In the Official Language (Legislative) Commission, it is hoped that the work in Hindi will progressively increase.

Cultivation of Soyabeans

1713. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government are considering to have larg-scale cultivation of soya-beans in the Kangra and Kulu valleys of Punjab during the Fourth Five Year Plan period ;

(b) if so the area to be brought under cultivation for that purpose ; and

(c) whether Government have made ample provisions for supplies of seeds of soya beans for better yield ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) to (c) : The Punjab Government have drawn up an intensified Soyabean development programme to cover 25,000 acres in mixture with maize in the Fourth Plan period. They propose to cover an area of 5,000 acres under this scheme during 1966-67. As an advance action, arrangements are reported to have been made for the multplication of the seeds reqiured for sowing during 1966-67.

Japanese Demonstration Farm

1714. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state the nature of experience gained and progress made in the four demonstration farms established under the agreement entered into between India and Japan in 1964 ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : The four Japanese Agricultural Demonstration Farms, which were established under an Agreement between Government of India and Japan in 1964 at Khopoli (Maharashtra), Chengamanad (Kerala), Mandya (Mysore) and Bapatla (A.P.), started their operations from April-June, 1965, have completed their first crop season and are in the middle of the second.

This being the first year of the operation of these farms the Japanese Technicians are still gaining familiarity with the climatic, soil and crop conditions in the area. Besides, some immediate problems have engaged much of their time and efforts such as land shaping for proper control of irrigation and drainage, selection of varieties most suitable for intensive cultivation, and studying local conditions in respect of adoptation of their techniques and tools to these conditions.

किसानों को बीजों का संभरण

1715. श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किसानों को दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक आधार पर, अर्थात् आगामी खरीफ की फसल के लिये, पर्याप्त मात्रा में बढ़िया बीज देने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या बड़े बीज फार्म सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में और उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितने अनुपात में बीजों का उत्पादन किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : पूछी गई जानकारी राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और उनसे मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

मीनक्षेत्रों में अनुसन्धान

1716. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में मीनक्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ; और

(ग) वे कौन सी संस्थाएं हैं, जहां मत्स्य पालन में उच्च शिक्षा दी जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) (1) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसन्धान संस्थान, मंडपम कैम्प ।

(2) केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसन्धान संस्थान, बैरकपुर ।

(3) मात्स्यकी औद्योगिकी का केन्द्रीय संस्थान, एरनाकुलम ।

(ग) मात्स्यकी शिक्षा का केन्द्रीय संस्थान, बम्बई ।

पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र सम्बन्धी मूल्यांकन समिति

1717. श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों का मूल्यांकन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) व (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Smuggling of Maize

1718. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the introduction of rationing system in the Capital, smuggling of maize has started ; and

(b) if so, the steps taken by Government to prevent it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

छोटी गंडक नदी पर गौतमी घाट पर पुल

1719. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटी गंडक नदी पर गौतमी घाट (बिहार) पर एक पुल बनाने की योजना मंजूर कर दी है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलायेगी; और

(ख) यदि हां, तो पुल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): जी हां ।

(ख) पुल के निर्माण करने का काम अभी हाल ही में हाथ में लिया गया है और नींव के लिये कुये गलाने का काम प्रगति पर है ।

केन्द्रीय सड़क निधि में से उत्तर प्रदेश को अनुदान

1720. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि में से राज्य की सड़क विकास योजनाओं के लिये वर्ष 1965-66 में कितनी राशि के अनुदान दिये गये ; और

(ख) वर्ष 2966-67 में उस राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 35.00 लाख रुपये ।

(ख) 35.00 लाख रुपये ।

उत्तर प्रदेश में संयुक्त खेती की प्रायोगिक योजना

1721. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वर्ष 1966-67 में संयुक्त खेती की प्रायोगिक योजनाएं आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसी अवधि में इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी प्रायोगिक परियोजनाएं इस समय चल रही हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में इन के लिये कितनी रकम मंजूर की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) वर्ष 1966-67 में प्रायोगिक तथा अप्रायोगिक क्षेत्रों में 50 सहकारी खेती समितियां गठित करने का विचार है।

(ख) 1966-67 में 50 समितियों को सहायता देने के लिए राज्य बजट में 2.25 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ग) इस समय 45 प्रायोगिक परियोजनाएं चल रही हैं और इस कार्य के लिए 55.96 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

कृषि उत्पादन के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता

1722. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास** तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उत्तर प्रदेश सरकार को फार्म उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई अल्पकालीन ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : 1965-66 की अवधि में विशेषकर फार्म उत्पादन बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के लिये कोई अल्पकालीन ऋण मंजूर नहीं किया गया है। परन्तु 1965-66 में उत्तर प्रदेश सरकार के लिये उर्वरकों के क्रय तथा वितरण हेतु 450 लाख रुपये का एक अल्पकालीन ऋण स्वीकार किया गया है।

खाद्य तेलों का उत्पादन

1723. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के उत्पादन के मामले में देश आत्म-निर्भर है; और

(ख) यदि नहीं, तो आत्म-निर्भर बनने के उद्देश्य से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) 2.66 करोड़ रुपये की लागत से 17 राज्यों में तिलहनों के विकास की समन्वित योजनायें स्वीकार की गई हैं। मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 यूनिटों के लिये भी मंजूरी दी गई हैं। 9 राज्यों में 32 अतिरिक्त पैकेज यूनिटें कार्य कर रही हैं।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, लघु सिंचाई योजनाओं के लिये ऋण तथा उपदान की व्यवस्था, भूमि संरक्षण कार्यक्रमों की त्रियान्विति, रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों तथा सुधरे औजारों के अधिक उपयोग तथा वनस्पति रक्षा कार्यों के माध्यम से कृषि सुविधाओं की व्यवस्था करके खाद्य उत्पादन (जिसमें तिलहन भी शामिल है) को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाये गये हैं।

राशन वाली वस्तुओं के मूल्य

1724. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में दिये गये राशन वाली वस्तुओं के मूल्यों तथा राशन की दुकानों पर वसूल किये जाने वाले मूल्यों में अन्तर है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि समाचारपत्रों में दिये गये मूल्यों में राशन-शुल्क शामिल नहीं किया जाता; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) : राशन पर दी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं किये गये हैं क्योंकि कोई विशिष्ट ब्योरे नहीं दिये गये हैं इसीलिये यह जांच करना सम्भव नहीं है कि किस समाचार पत्र में कौन से मूल्य दिये गये हैं और दिये गये मूल्य सही हैं अथवा नहीं।

आलू का निम्नतम मूल्य

1725. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आलू की नई फसल जब बाजार में आती है, तो उस के मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है; और

(ख) गत वर्ष के दौरान आलू की कीमतें क्या थीं, और क्या इस फसल के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी, 1965 से देश के कुछ केन्द्रों में आलू की कीमत सम्बन्धी एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **पुस्तकालय में रखा गया। [देखिए संख्या एल० टी० 5708/66]**

अभी आलू की न्यूनतम कीमतें निर्धारित करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी कीमतों में गिरावट आने के कारण उत्पन्न स्थिति को सम्भालने के लिए आलू की साहाय्य कीमत (यू० पी० में लागू करने हेतु, के लिए एक योजना पर विचार हो रहा है।

राशन व्यवस्था के परिणामस्वरूप आटा मिलों का बन्द हो जाना

1726. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों की राशन व्यवस्था लागू किये जाने के परिणामस्वरूप देशभर में कितने आटा मिल बन्द हो गये हैं;

(ख) इन आटा मिलों के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) बेरोजगार हुए लोगों को दूसरा काम देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों की राशन व्यवस्था लागू किये जाने के परिणामस्वरूप कोई भी रोलर आटा मिल बन्द नहीं हुई है। दिल्ली में चक्कियों पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) दिल्ली में कितने कर्मिकों पर इसका प्रभाव पड़ा है, उसकी संख्या मालूम नहीं है।

(ग) दिल्ली में जनवरी के मध्य से राशन की दुकानों पर आयातित गेहूं देनी शुरु की गयी थी। इससे कुछ हद तक छोठी चक्कियों को सहायता मिली है। २ मार्च, १९६६ से राशन की दुकानों पर देशी गेहूं भी दी जा रही है। इससे छोटी चक्कियों की स्थिती में और सुधार होगा। मोटे अनाज जिनका राशन नहीं है, वे भी चक्कियोंके पीसने के लिये उपलब्ध है।

आसाम में फार्म एवं कृषि उद्यम

1727. **श्री रा० बरुआ :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डनमार्क के सहयोग से आसाम में फार्म एवं कृषि उद्यम स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या डेनमार्क की सरकार ने इस उद्यम के लिये कोई सहायता देने की पेशकश की है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) डेनमार्क सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नही होता।

उड़ीसा में बागवानी का विकास

1728. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66 में उड़ीसा को बागबानी के विकास के लिए मंजूर की गई धनराशि का पूर्णत: उपयोग किया गया है; और

(ख) वर्ष 1966–67 में इस कार्य के लिये उक्त राज्य कितनी धनराशि देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : पूछी गई जानकारी एकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा को उर्वरक का संभरण

1729. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में अब तक उड़ीसा को वस्तुत: कितनी मात्रा में उर्वरकों का सम्भरण किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1966–67 में उर्वरकों का अभ्यंश बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

ऊर्वरक की किस्म	नियतन (1965-66)	(आंकडे मीटरी टनों में) 15-2-66 तक दी गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया	12,297	5,987 प्रेषण जारी है ।
यूरिया	504	403
केल्शियम अमोनियम नाईट्रेट	57,500	41,443
अमोंनियम फास्फेट	3,000	2,892

(ख) तथा (ग) : 1966–67 में राज्य सरकारों के लिये नियतन सामान्य पद्धति के अनुसार त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा । 1966–67 में उर्वरकों की उपलब्धि के अनुमानों में सुधार होने से 1966–67 की अवधि में केन्द्रीय पूल से उड़ीसा सरकार को 1965–66 की तुलना में अधिक नियतन होने की सम्भावना है ।

राजस्थान में छोटे सिंचाई कार्य

1730. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि 1966–67 में राज्य में छोटे सिंचाई कार्यों के लिये अतिरिक्त धन दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1966–67 के लिए राज्य योजना में राजस्थान सरकार द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं हेतु दिए गए 395 लाख रुपये के पूरे खर्च को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया था। 1966–67 में राजस्थान में छोटे सिंचाई कार्यों के लिए अतिरिक्त धन हेतु राज्य सरकार से कोई प्रार्थना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

राजस्थान में गेहूं का उत्पादन

1731. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में अब तक राजस्थान में गेहूं का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसी अवधि में राजस्थान तथा अन्य राज्यों में कितनी मात्रा में गेहूं दिया गया; और

(ग) उसका मूल्य कितना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) राजस्थान में मार्च-अप्रैल में ही गेहूं की फसल की कटाई होती है। 1965–66 की उपज के आंकड़ों के बारे में कोई पक्का अनुमान इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1965 में राजस्थान और अन्य राज्यों को गेहूं की सप्लाई की गई मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) पहली अप्रैल से 14 नवम्बर, 1965 तक आयातित गेहूं की गंतव्य स्थान तक निष्प्रभार लागत रु० 480/– प्रति मीटरी टन थी, 15 नवम्बर, 1965 से यह लागत बढ़ाकर रु० 500/– प्रति मीटरी टन कर दी गयी है।

राजस्थान द्वारा फार्म-उत्पादन में वृद्धि के लिए ऋण

1732. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार को 1965–66 में फार्म-उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई अल्पकालीन ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : 1965–66 में विशेषतया फार्म-उत्पादन बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार को कोई अल्पकालीन ऋण नहीं दिया गया है। फिर भी 1965–66 के दौरान उर्वरकों की खरीद तथा वितरण, किसानों में सुधरे बीज तथा कीटनाशक औषधियां उधार बांटने के लिए राजस्थान सरकार को 255.00 लाख रुपये के अल्पकालीन ऋण स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है :—

	रुपये लाखों में
1. सुधरे बीजों की खरीद तथा वितरण	155.00
2. संकर मक्की के बीजों को उगाने के लिए संकर मक्की के बीजों, उर्वरकों की खरीद	1.00
3. उर्वरकों की खरीद तथा वितरण	95.00
4. आलू विकास योजना के लिए सुधरे बीजों तथा कीटनाशक औषधियां, उर्वरकों की खरीद तथा वितरण।	4.00
	255.00

राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन

1733. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1965–66 में राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार को कोई ऋण अथवा सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) व (ख) : जी हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से अब तक 12.1 लाख रुपए का ऋण और 12.4 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है। योजना व्यय के आधार पर मिलने वाली और सहायता राज्य सरकारों से प्रत्याशित खर्च का ब्यौरा प्राप्त होने पर वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले मंजूर की जाएगी।

चावल को पालिश करने में चावल की छीजन

1734. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पालिश करने की क्रिया में चावल की कितनी छीजन होती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : धान कुट्टन उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंसिंग) नियम, 1959 के अधीन 3–5 प्रतिशत तक चावल पालिश करने की सीमा है। उपर्युक्त नियम में निर्धारित सीमा से अधिक पालिश करने को बर्बादी समझा जा सकता है और इससे उसी सीमा तक उत्पादन में कमी हो सकती है।

क्योंकि इन उपबन्धों को कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा था, इसीलिये खाद्य विभाग ने सितम्बर, 1965 में राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि अधिक पालिश करने से होने वाली बर्बादी को रोकने के लिये चावल की पालिश 4 प्रतिशत तक सीमित करें।

खाद्यान्न समाहार योजना

1735. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल जैसे कुछ विशेष राज्यों में खाद्यान्न समाहार योजना की क्रियान्विति में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में; और

(ग) किन राज्यों में निर्धारित समाहार लक्ष्यों की प्राप्ति होने की संभावना नहीं है और कितनी कमी होने का अनुमान लगाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल और राजस्थान में अधिप्राप्ति योजनाओं के कुछ पहलुओं अर्थात उत्पादकों पर लेवी के बारे में कुछ कठिनाई अनुभव की गयी है।

(ग) अधिप्राप्ति के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है उनसे अधिप्राप्ति में किस सीमा तक कमी हो सकती है इसके बारे में अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि ऊपर उल्लिखित चारों राज्यों में अधिप्राप्ति कार्यक्रमों में कुछ धक्का लग सकता है। मौसम की प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुये उत्तर प्रदेश और मैसूर में भी अधिप्राप्ति कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

अमरीका से खाद्यान्नों का आयात

1736. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बसुमतारी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पी० एल० 480 की धारा 2 के अन्तर्गत अमरीका से लगभग दस लाख टन खाद्यान्न दिये जाने की प्रार्थना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह मात्रा किस आधार पर निर्धारित की गई है; और

(ग) इस प्रार्थना पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) : संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के टाइटल II के अधीन खाद्यान्नों के आयात सम्बन्धी मामले पर भारत सरकार विचार कर रही है। आयात की जाने वाली मात्रा के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

पैकेज प्रोग्राम

1737. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पैकेज प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में यह कार्यक्रम किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : एक विवरण मेज पर रखी है ।

विवरण

सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) जो तीसरी योजना के शुरू में देश में 16 चुने हुए जिलों में आरम्भ किया गया था और जिसका उद्देश्य "पैकेज" को अपना कर खाद्य उत्पादन की वृद्धि को प्रदर्शन करना है, ने लगभग पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं । पैकेज की क्रियान्विति के दौरान जो अनुभव प्राप्त हुए उसके आधार पर देश के विभिन्न भागों के 114 जिलों में इसे लागू किया गया । इन जिलों में 1964–65 के शुरू से "सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम" नामक एक कार्यक्रम चालू है । ये चौथी योजना के दौरान ये कार्यक्रम चुने हुए जिलों में जारी रहेंगे ।

हाल ही में धान तथा गेहूं की अच्छी उपज वाली किस्मों (टाइचुंग नेटिव 1, टाइचुंग 65 और टाइनन 3 धान तथा मैक्सीकन किस्मों में, सोनारो 64 तथा लोरमा राजो) को अभिन्न अंग समझा गया है । देश में किये गए व्यापक परीक्षणों ने जाहिर कर दिया है कि ये विदेशी किस्में 5,000 से 6,000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के हिसाब भारी उपज के योग्य हैं । इसी प्रकार मक्का, ज्वार तथा बाजरा के हाईब्रिड भी भारी उपज के योग्य माने गए हैं । कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु इन भारी उपज बढ़ाने वाली किस्मों से पूरा लाभ उठाने की दृष्टि से चौथी योजना के दौरान बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है । यह योजना सघन कृषि जिलों में शुरू की जाएगी जहां आवश्यक संगठन तथा अन्य सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं । चौथी योजना के अन्त तक 32.5 मिलियन एकड़ भूमि में इन किस्मों को उगाया जाएगा । आगामी वर्ष (1966–67) के लिए लगभग 4.89 मिलियन एकड़ भूमि पर खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । भारी उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम हेतु चुने हुये क्षेत्रों के लिए बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

कश्मीरी गेट के बाहर बस स्टैंड

1738. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्य स्टेशन से भीड़ कम करने के उद्देश्य से बस स्टैण्ड बनाने के लिये कश्मीरी गेट, दिल्ली के बाहर की भूमि का (जो हिन्दू कालेज ग्राउंड के नाम से प्रसिद्ध है) विकास कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भूमि कब तक और किन शर्तों पर दी जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा आवंटन के मदों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आसाम-अगरतला सड़क

1739. श्री दशरथ देव : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा स्थित आसाम-अगरतला सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का निर्णय किया है; और

(ख) इसकी देखभाल पर कितना वार्षिक खर्च होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय शिलांग-अगरतला सड़क से है। यह राज्य सड़क है जो अंशतः आसाम में और अंशतः त्रिपुरा में है। समय समय पर इस सड़क को राष्ट्रीय मुख्यमार्ग घोषित किये जाने के प्रस्ताव रखे गये हैं। किन्तु वित्तीय सीमाओं के कारण अभी तक इन प्रस्तावों को स्वीकृत करना संभव नहीं हो सका है। फिर भी उस क्षेत्र में यातायात की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये भारत सरकार पासी से बदरपुर तक सड़क में गायब टुकड़ों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता कर रही है। इस काम में 2.22 करोड़ रुपये की लागत का प्राक्कलन है और यह प्रगति की अग्रिम अवस्था में है। इसके अलावा इस सड़क में कुछ और सुधार किये जाने का प्रस्ताव भी है। (शिलांग-अगरतला) सड़क की देखरेख का दायित्व संबद्ध राज्य सरकारों का है। प्राक्कलित किया जाता है कि इस मद में लगभग 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष का व्यय होगा।

ग्रामदान आन्दोलन

1740. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामदान आन्दोलन का हमारे समाज पर हुए प्रभाव के बारे में क्या कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायतों का कार्यकरण

1741. श्री दशरथ देव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त पंचायत सैक्रेट्रियों के माध्यम से किये जा रहे अत्यधिक नियंत्रण के कारण सम्पूर्ण भारत में पंचायतों के सफलतापूर्ण कार्यकरण तथा उनके सामान्य विकास में बाधा पड़ रही है;

(ख) क्या अनेक राज्यों में यह मांग की गई थी कि पंचायत सैक्रेट्रियों को सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने की अपेक्षा वे संबंधित पंचायत समितियों द्वारा निर्वाचित किये जाने चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो क्या देशभर में सरकार द्वारा नियुक्त पंचायत सेक्रेट्रियों के स्थान पर निर्वाचित पंचायत सैक्रेट्रियों को रखने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

खाद्य उत्पादन पर पी० एल० 480 के आयात का प्रभाव

1742. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात माल का देश में खाद्य समस्या पर हुए प्रभाव के बारे में अध्ययन करने के लिए सरकार का विचार किसी निष्पक्ष आयोग अथवा समिति की नियुक्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल को चावल की सप्लाई

1743. **श्री प० कुन्हन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल ने 1963–64 और 1964–65 (वर्षवार) में कुल कितना चावल मांगा था और उसे कुल कितना चावल दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : केरल सरकार की चावल की मांग कैलेण्डर वर्ष के बारे में है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1963 और 1964 में मांगी गयी मात्रा और वास्तव में सप्लाई की गयी मात्रा निम्न प्रकार है :

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी चावल की मात्रा	केन्द्रीय भण्डारों से दी गयी मात्रा
1963	2.50	1.97
1964	4.50	3.96

केरल में नवम्बर, 1964 से अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू होने से राज्य की राशन सम्बन्धी आवश्यकताएं केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी की जाती हैं। 1965 में केरल में वितरित की गयी मात्रा 9.1 लाख मीटरी टन थी।

Retired Officers Re-employed in Election Commission

1744. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some retired officers have been re-employed by the Election Commission ;

(b) if so, their number and the post they are holding ;

(c) since when they are holding these posts and how long they are expected to remain in service ;

(d) the reasons for their re-employment ;

(e) the steps Government propose to take to make regular appointments against these posts ; and

(f) the time by which a decision to this effect is likely to be taken ?

The Minister in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c).

Number of Officers re-employed	*Post-held*
(i) One	Deputy Election Commissioner.

Re-employed with effect from 13-11-1964, for the period upto 3-11-1965 Extension of re-employment granted for a further period from 4-11-1965 to 31-3-1967.

(ii) One	Peon

Re-employed as Peon with effect from 9-6-1965 for a period of one year or till the delimitation work is over whichever is earlier.

(d) The officers have been re-employed in the interest of public service and administrative convenience.

(e) and (f). The post of Deputy Election Commissioner is sanctioned on a temporary basis for the period upto 11-8-1967.

(i) As, however, the present incumbent of the post is re-employed for the period upto 31-3-1967, the question of making regular appointment against this post is likely to be taken up before that date.

(ii) As regards re-employment in the post of peon it may be stated that appointment has been made against a temporary post created for delimitation work. As the delimitation work will be over by the end of April, 1966, the question of making regular appointment in the post of Peon does not arise.

उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाएं

1745. श्री राम हरख यादव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने नलकूपों को बिजली से चलाने तथा छोटी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये 15 करोड़ रुपये से अधिक राशि का ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : चालू वित्तीय वर्ष 1965–66 में नलकूपों को बिजली से चलाने तथा छोटी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने धन मांगा है। इन योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1 नलकूपों को विद्युतयुक्त करना

1965–66 के लिए सामान्य योजना जिसके अन्तर्गत ग्रामों में विद्युत लाने और पम्प सैटों को विद्युतयुक्त करने हेतु 400 लाख रुपये की राशि पहले ही अनुमोदित हो चुकी है, के अतिरिक्त 1965–66 में उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 800 नलकूपों तथा 2400 खुले कूओं को विद्युत युक्त करने हेतु उत्तर प्रदेश स्टट इलैक्ट्रिकसिटी बोर्ड से एक योजना प्राप्त हुई है जिस पर 460 लाख रुपये खर्च आते हैं। योजना के लाभों को ध्यान में रखतें हुए 1965–66 में राज्य सरकार को 100 लाख रुपये का खर्च निर्धारित किया गया था। बाद में राज्य सरकार ने 525 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए प्रार्थना की। धन की उपलब्धि के आधार पर 125 लाख रुपये के अतिरिक्त निर्धारण राज्य सरकार को किए गए। इस प्रकार 1965–66 के दौरान 225 लाख रुपये का निर्धारण हुआ।

2 लघु सिंचाई योजनाएं

चालू वित्तीय वर्ष 1965–66 के दौरान भारत सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1511 लाख रुपये के खर्च के लिए सहमत हो गई। बाद में राज्य सरकार ने 400 लाख रुपये के अतिरिक्त धन के लिए केन्द्र से प्रार्थना की। टैक्मो-एनोमिक सम्भाव्यता तथा निधि की उपलब्धिता को देखते हुए मई तथा सितम्बर, 1965 में राज्य सरकार को क्रमशः 90 लाख रुपये तथा 150 लाख रुपये का अतिरिक्त निर्धारण किया गया। इस प्रकार राज्य सरकार को निर्धारित की गई राशि 1751 लाख रुपये है।

गैर-सरकारी कूओं/नलकुपों के निर्माण के लिए लैंड मौर्टगेज बैंकस से अतिरिक्त निधि प्राप्त करने की राज्य सरकार को सलाह दी गई है।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना से मालूम होता है कि 100 लाख रुपये की राशि लघु सिंचाई योजनाओं के लिए अपवर्तित की जा रही है और राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों से अतिरिक्त धन प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पंजाब द्वारा अनाज की सप्लाई

1746. श्री गुलशन : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1965 से फरवरी, 1966 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार के भंडार से पंजाब से विभिन्न राज्यों को कुल कितना गेहूं, चने की दाल, मक्का तथा चावल भेजा गया,

(ख) इसी अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब को कुल कितना आयातित गेहूं दिया गया, और

(ग) इस लेनदेन से पंजाब सरकार को कुल कितना लाभ हुआ ?

खाद्य, कृषि, सादायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क)

गेहूं—171 हज़ार मीटरी टन ।

मक्का—47 हज़ार मीटरी टन ।

चावल—309 हज़ार मीटरी टन ।

केन्द्रीय सरकार के खाते में पंजाब में न तो चने की दाल की अधिप्राप्ति की गयी है और न ही बाहर भेजी गयी है ।

(ख) लगभग 164 हजार मीटरी टन ।

(ग) इन सौदों से पंजाब सरकार को कोई लाभ नही हुआ था ।

भाड़े की दरों में वृद्धि

1747. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करमहम सम्मेलन ने यह निर्णय किया है कि भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन महाद्वीप के बीच होने वाले व्यापार के लिये भाड़े की दरों में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि करने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां, हमारे आयात व्यापार पर वृद्धि 1–6–1966 से लगेगी और निर्यात व्यापार पर 12–8–1966 से ।

(ख) और (ग) : पूर्वाभिमुख व्यापार में 1961 से दरों में कोई सामान्य वृद्धि नही हुई है और पश्चिमाभिमुख व्यापार में 1963 से । तब से कार्यकारी लागतें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं और लाइनों के लिये यह संभव नही हो सका है कि और युक्तिसंगत तरीके से वृद्धि को निष्प्रभावी कर सकें । इन परिस्थितियों में वृद्धिको रोकना संभव न हो सका । फिर भी भारतीय पोतवणिको की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Credit to Farmers

1748. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 640 on the 16th November, 1965 and state :

(a) whether the Working Group appointed by the National Co-operative Development Corporation has since submitted its report ;

(b) if so, the salient features thereof ;

(c) the conclusions arrived at by Government after considering them ; and

(d) the amount of loans given to the farmers by the co-operative societies in various States during the last five years and the names of such States and the position in regard to the recovery of these loans ?

The Deputy Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

(d) A statement is appended.

Statement

State	Loans advanced (Rs. lakhs)					Percentage loans overdue				
	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1960-61	61-62	62-63	63-64	64-65
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
Andhra Pradesh .	1,895	21,37	2,973	2,040	2,425	17	19	18	17	24
Assam .	42	29	23	16	35	74	71	76	86	86
Bihar . .	184	246	330	525	678	45	48	42	32	25
Gujarat .	2,359	2,588	2,894	3,299	3,759	22	25	25	22	21
J. & K. .	108	133	95	95@	100	21	25	37	37@	38
Kerala .	509	648	823	1,003	1,017	17	17	19	19	22
Madhya Pradesh .	1,787	1,843	1,973	2,499	2,785	18	29	31	27	26
Madras .	2,436	2,895	3,390	4,122	4,407	12	10	10	14	18
Maharashtra	4,036	4,215	4,560	5,693	6,250	20	29	34	22	20
Mysore .	1,415	1,382	1,234	1,518	1,775	34	46	48	38	37
Orissa .	255	335	389	777*	877*	20	20	21	25	22
Punjab . .	1,176	1,498	1,544	1,870	2,150	26	23	26	23	22
Rajasthan .	565	539	509	499	584	31	45	47	52	50
U. P. . .	3,098	3,802	4,333	4,818	5,338	9	12	15	14	14
West Bengal .	327	457	554	639	801	33	29	22	23	21
Union Territories	83	84	107	107	104	20	30	32	33	41
TOTAL .	20,275	22,831	25,737	29,520	33,085	20	25	25	22	22

*Including grain gola societies.

@Data relate to 1962-63.

NOTE.—Data for 1964-65 are provisional.

उर्वरकों की खपत

1749. डा० महादेव प्रसाद : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश में क्रमशः 1964 और 1965 में उर्वरकों की कितनी खपत हुई थी; और

(ख) वर्ष 1966 में देश में उर्वरकों की कितनी खपत होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्रा) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :-

वर्ष	नाइट्रोजन के रूप में खपत (मिटरी टन)
1964–65	5,38,000
1965–66 (अनुमानित)	6,00,000
1966–67 (अभी अनुमानित)	8,00,000

तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना

1750. श्री मुथिया : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना में पनकट दीवार का (ब्रेकवाटर) निर्माण कुछ समय के लिये बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क), (ख) और (ग) : उत्तर और दक्षिण पनकट दीवारों के घटा तीन मीटरों तक निर्माण के लिये प्राक्कलन 1964 में स्वीकृत कर लिये गये थे। यह कार्य इस महीने के अन्त तक पूरा हो जायेगा। घटा तीन मीटर से आगे और अन्त तक पनकट दीवारों के निर्माण के लिये प्राक्कलन और मुख्य इंजीनियर तथा प्रशासक, तूतीकोरिन पत्तन परियोजना द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित विचाराधीन है। घटा तीन मीटर से आगे पनकट दीवार के निर्माण के लिये प्राक्कलन पर निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

मैसूर में छोटी सिंचाई योजनायें

1751. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक मैसूर राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा सहायता के अन्तर्गत सिंचाई के लिये कितने कुओं की मंजूरी दी गई और कितने कुएं खोदे गये;

(ख) अब तक कितनी रकम खर्च की गई और कितने कुएं खोदे गये ;

(ग) इन कुओं से कितनी भूमि में सिंचाई होगी ;

(घ) क्या राज्य से चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय ऋण तथा सहायता से राज्य में सिंचाई के निमित्त अधिक कुओं की व्यवस्था के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर राज्य में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई के लिये 42,700 कुओं (जिनमें 1960–61 के 16,700

अतिशेष कुओं भी शामिल हैं) की मंजूरी दी गई है। अन्तिम उपलब्ध सूचना के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों की अवधि में 24,500 कुओं पूरे किये गये है। 18,200 कुओं खोदे जा रहे हैं। इन कुओं में वे 1500 कुओं शामिल नहीं हैं जो असफल रहे हैं। योजना के प्रथम चार वर्षों में नये कुओं की खुदाई पर 714.82 लाख रुपये व्यय किये गये थे। 1965–66 के मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान में कुओं पर 100 लाख रुपये व्यय होंगे और 8,700 कुओं पूरे हो जाने की आशा है।

(ग) तीसरी योजना के अन्त तक मैसूर राज्य में नये कुओं के निर्माण से 66.400 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

(घ) तथा (ड़) : विशेषकर मैसूर राज्य के शुष्क क्षेत्रों में कुओं खोदने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। मैसूर सरकार ने अपने 1966–67 के प्रस्तावों में निम्न व्यय शामिल किया है :–

(1) तीसरी योजना की अवधि में 8,000 कुओं को पूरा करने के लिये स्वीकृत हुई 75 लाख रुपये की वह राशि जोकि चतुर्थ योजना में भी खर्च हो सकेगी।

(2) 10,000 नये कुओं के लिये 75 लाख रुपये का व्यय।

1966–67 में मैसूर सरकार के लिये विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 620 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है और इस में कुओं की व्यवस्था भी शामिल है।

मैसूर में तालाब

1752. श्री लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में छोटी सिंचाई के अन्तर्गत इस समय कितने तालाब हैं ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में छोटी सिंचाई के अन्तर्गत मरम्मत, पुनःस्थापन तथा नये तालाबों के लिये कितनी रकम मंजूर की गई ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिये गये धन से कितने तालाबों की मरम्मत की गई, कितने पुनः स्थापित किये गये तथा कितने नये तालाब बनाये जा रहे हैं; और

(घ) छोटी सिंचाई कार्यों पर, अर्थात कुओं और तालाबों पर, अब तक कितनी रकम खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : पूछी गई जानकारी मैसूर सरकार से इकट्ठी की जा रही है और उनसे मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में पर्यटन का विकास

1753. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 31 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वालम को समुद्रवर्ती रमणीय स्थान के रूप में विकसित करने के लिय अब तक क्या कार्यवाही की गई है और क्वालम योजना के कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ख) क्वालम के विकास के लिये कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कोवलम् को समुद्रतटीय मनोरंजक स्थान के रूप में विकसित करने के लिये पहली कार्यवाही बीच पर एक भवन की व्यवस्था करना है, जहां यात्री ठहर सकें, स्नान कर सकें, भोजन करें और रात्रि के लिये ठहर सके। इन सुविधाओंको बड़े पैमाने पर विकसित किया जा रहा है। एक मास्टर योजना तैयार की गई है, पहाडी की चोटी पर आउट हाउसों सहित एक प्राचीन महल उपलब्ध कर लिया गया है और उसे फिर से संवारा जा रहा है, कुटीरों के लिये डिजाइन को अन्तिम रूप दिया गया है, उनकी स्थिति योजनान्वित की जा चुकी है और उनके निर्माण के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) मास्टर योजना के विचारी हुयी स्कीम में तीन करोड़ रुपये के लागत का प्राक्कलन किया जाता है किन्तु केन्द्रीय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 60 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

पंजाब में सामुदायिक विकास खंड

1754. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वर्ष 1966–67 में उस राज्य में सामुदायिक विकास खंडों के लिये नियतन में वृद्धि की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता :

दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए ट्रक

1755. **श्री नारायण रेड्डी :**

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास] तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोप पाल ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि वह दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने के लिये ट्रक भेजेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को ये ट्रक मिल गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो ये ट्रक कब] तक प्राप्त हो जायेंगे ;

(घ) क्या संकट टल जाने के बाद ये ट्रक वापस लौटाये जायगे;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उन से धन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो अब तक कितना धन प्राप्त हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इनकी शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है।

(घ) नहीं, भारत को ट्रक उपहार में दिये गये हैं।

(ङ) जी हां।

(च) रु० 4,75,000 (100,000 डालर के बराबर)

केरल को चावल का संभरण

1756. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिली में केरल के लिए चावल बचाओ अभियान के फलस्वरूप बचाया गया चावल अभी तक केरल नहीं पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : दिल्ली में केरल के लिये चावल बचाओं आन्दोलन के फलस्वरूप राशन की दुकानों से चावल की कम मात्रा की निकासी होने की आशाँ है। इस प्रकार बची चावल की मात्रा का केरल के लिये उपयोग किया जाएगा।

खाद्यान्नों की ढुलाई में जापान से सहायता

1757. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री धर्मलिंगम :

क्या **खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकाल पर काबू पाने के लिए भारत ने जापान सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि वह भारत में अनाज पहुंचाने में मदद दे,

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रस्ताव पेश किया गया है, और

(ग) जापान सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) : खाद्य की कठिन स्थिति के संदर्भ में जसे अन्य कई मित्र देश से सहायता मांगी गयी है वैसे ही जापान से मांगी गयी थी। यह संकेत दिया गया था कि निम्न-लिखित विशिष्ट मदोंके लिये सहायता अत्याधिक अपेक्षणीय होगी :—

(क) गेहूं, चावल और माइलों के उपहार

(ख) खाद्यान्नों और उवर्रकों के लिये दीर्घकालीन ऋण

(ग) बड़े हुये खाद्य आयातों के भाड़े की पूर्ति के लिये वित्तीय सहायता

(घ) अन्य खाद्य पदार्थ विशेषत: दुग्धपूर्ण, दुग्ध पदार्थ खाने के तेल आदि, और

(च) अन्य देशों से खाद्य प्रेषणों के परिवहन में सहायता।

उपयुक्त प्रार्थना के प्रत्युत्तर में, सहायता का कोई निश्चित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

त्रिपुरा में सरकार द्वारा नियंत्रित कृषि फार्म

1758. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) त्रिपुरा में सरकार द्वारा नियंत्रित कृषि फार्म कितने एकड़ भूमि में है;

(ख) उसमें कितने मजदूर काम करते हैं ;

(ग) अगली कृषि फसल तक उसमें कितना उत्पादन होने की आशा है ;

(घ) मजदूरों को किस आधार पर मजूरी दी जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : पूछी गई जानकारी त्रिपुरा सरकार से इकट्ठी की जा रही है और उनसे मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में आटा मिलें

1759. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय कितनी आटे की मिलें हैं;

(ख) क्या इन सभी मिलों को गेहूं दिया जाता है ताकि वे अपनी पूरी क्षमतानुसार काम कर सकें; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) इस समय केरल में रोलर आटा मिलों की संख्या 3 है ।

(ख) और (ग) : केरल में सभी रोलर आटा मिलों को सरकार द्वारा उनकी मान्यता प्राप्त पूरी क्षमता तक गेहूं नियत किया जा रहा है ।

गेहूं के आटे की सप्लाई

1760. **श्री मुहम्मद कोया :** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि केरल में यदि गेहूं को आटे के रूप में वितरित किया जाए तो उसकी वहां और अधिक खपत होगी, और

(ख) यदि हां, तो गेहूं के आटे के पैकेटों को राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और वह कहां तक सफल रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : यदि आटे के रूप में वितरण किया जाता है तो भी गहूं की खपत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा नहीं है । तथापि राज्य सरकार मैदा और सूजी थोक उपभोक्ताओं को बेच रही है और सहकारी समितियां एक किलों के पोलीथीन की थैली में पैक कर परचून में बेचती हैं । परचून में यह वितरण त्रिवेन्द्रम, एरनाकुलम और पालघाट जिला मुख्यालयों पर किया जाता है । चुने हुये केन्द्रों पर घर पर सुपुर्दगी भी की जा रही है । यह प्रबन्ध लोक-प्रिय सिद्ध हो रहा है और इस योजना को पहली मार्च से अल्लेपी जिले में भी लागू किया गया है । राज्य सरकार सोपान कार्यक्रम से अन्य केन्द्रों पर इसे लागू करेगी ।

सिंचाई तथाका कृषि विकास

1761. श्री मुहम्मद कोया : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की सिंचाई तथा कृषि योजनाओं में सुधार करने के लिये केरल सरकार ने कोई अन्तरिम योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना को स्वीकृति दे दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा राज्य की सिंचाई तथा कृषि योजनाओं में सुधार करने के लिए केरल सरकार से कोई अलग अन्तरिम योजना प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी 1965–66 में अतिरिक्त खर्च के लिए सरकार के कुछ प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए जून, 1965 में 178 लाख रुपये स्वीकृत किए गए जिनमें से 110 लाख रुपये बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं और 68 लाख रुपये कृषि योजनाओं (जिनमें भूमि संरक्षण, वन विज्ञान तथा मछली पालन शामिल है) के लिए हैं। यह 19565–66 के लिए वार्षिक योजना के हेतु अनुमोदित खर्च के अलावा है। मई, 1965 में राज्य सरकार को लघु सिंचाई योजनाओं के लिए और 30 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई।

इसके अलावा संकटकालीन खाद्य उत्पादन अभियान सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने एक योजना बनाई जिसमें ये शामिल हैं :–

(1) किसानों की खेती सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए शीघ्र सहायता।

(2) उत्पादन के नए तरीकों की खोंज।

(3) कृषि उत्पादन के सम्मिलित परियोजना में समूह रूप से भाग लेने को सुनिश्चित करना। संकटकालीन खाद्य उत्पादन अभियान के भाग के रूप में केरल सरकार द्वारा खाली भूमि में खेती करने सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था तथा पौद रक्षा के उपायों को दृढ़ करने हेतु अतिरिक्त कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं।

अमरीका से सूखा दूध

1762. श्री मुरली मनोहर :

श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने भारत को 7300 टन सूखा दूध तुरन्त भेजने का वचन दिया है,

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं, और

(ग) चिकनाई रहित सूखे दूध का मूल्य कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क), से (ग) : विश्व खाद्य कार्यक्रम और न कि संयुक्त राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी, ने कमी वाले क्षेत्रों में मुफत बांटन के लिये लगभग 2.7 लाख डालर के मूल्य का लगभग 7,300 मीटरी टन सपरेटा पाउडर सुलभ करना मान लिया है।

मैसूर के लिये अनाज

1763. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर सरकार ने कितनी अनाज की मांग की है और केन्द्रीय सरकार द्वारा गत वर्ष तथा इस वर्ष आज तक कितना अनाज दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : 1965 में मैसूर सरकार ने 1.25 लाख मीटरी टन चावल और 45,000 मीटरी टन मोटे अनाज मांगे थे। इस वर्ष केन्द्रीय भण्डार से राज्य को वास्तव में 1.12 लाख मीटरी टन चावल सप्लाई किया गया। केन्द्रीय सरकार ने मैसूर को अधिशेष राज्यों से 38.5 हजार मीटरी टन मोटे अनाज भिजवाने की व्यवस्था भी की थी। गेहूं के बारे में वर्ष भर में कोई विशिष्ट मांग नहीं की गयी। 1965 में केन्द्रीय भण्डारों से राज्य को पास्परिक परामर्श से प्रत्यक मास नियत की गयी और वास्तव में सप्लाई की गयी कुल मात्रा 1.41 लाख मिटरी टन थी।

मैसूर सरकार ने 1966 के लिये 9 लाख मीटरी टन खाद्यान्न मांगे हैं। अब तक उन्हें नियत की गयी मात्रा 1.48 लाख मीटरी टन है।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने की सुचनाओं के बारे में
RE : MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICE

पश्चिम बंगाल तथा मिजो पहाड़ियां जिले में स्थिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे पश्चिम बंगाल के बारे में 10 स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने की 20 सूचनायें मिली हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे रही है ?

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : सरकार 3.30 अथवा 3.15 पर जैसा आप उचित समझे वक्तव्य देगी।

अध्यक्ष महोदय : मिज़ो पहाडियों तथा पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में एक और स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण की सूचना आई है। क्या मिज़ो पहाड़ियों के बारे में भी सरकार कोई वक्तव्य दे रही है।

श्री सत्य नारायण सिंह : 3.15 पर दोनों वक्तव्य दिये जायेंगे।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : पश्चिम बंगाल और मिज़ो पहाड़ियों के सम्बन्ध मैने भी सूचना दी थी। परन्तु आप के कर्मचारियों ने बताया है कि वह रद्द कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि यह नामंज़ूरी किस प्रकार दी जाती है। क्या आप के कर्मचारियों तथा सरकार के बीच कोई परामर्श किया जाता है अथवा निर्णय उनको पहले ही पता होते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्तावों के होने के कारण (यदि वे लिये जायेंगे) मैं ध्यानकर्षण के लिये अनुमति नहीं दूगां। मैंने उन्हें स्थगन प्रस्तावों के साथ लम्बित रखा हुआ है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी कर्मचारी को मेरे निर्णय से ऐसी धारणा हो गई। मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Is the Labour Minister going to take any action to prevent the one day general strike in Bombay ?

Mr. Speaker : The hon. members will speak only when I have permitted them to do so and not of their own accord.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मेरा निवेदन है कि ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में जब काफ़ी समय तक कोई निर्णय न लिया जाये तो कम से कम हम लोगों को उनके निपटाये जाने के बारे में लिखित में सूचना अवश्य दी जाये । कोई सूचना न मिलने से हम लोग बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मुझे पता नहीं है कि यह तथा-कथित लावी असिस्टेंट और लाबी असिस्टेंट किस प्रकार नियुक्त किये जाते हैं । पहले एक लाबी असिस्टेंट था जिसके बारे में मैंने सचिव से कहा था कि सदस्यों के साथ उसका व्यवहार अच्छी नहीं था । परन्तु सचिव ने उस पर कोई विचार नहीं किया । दूसरा लाबी असिस्टेंट आया और वह अच्छा कार्य कर रहा था परन्तु उसका हटा दिया गया । अब तीसरा लाबी असिस्टेंट नियुक्त हुआ है । इन लोगों की योग्यताएं क्या होती हैं और उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ?

श्री हेम बरूआ : इस प्रकार से व्यक्तिगत उल्लेख किये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां उनके नियुक्त किये जाने तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में चर्चा किये जाने की अनुज्ञा नहीं दे सकता । यदि कोई ग़लती हुई है तो मैं उसके बारे में जांच करुंगा ।

आज सुबह मेरे पास 65 या 70 ध्यानमकर्षण सूचनाये थीं । जो मनीपुर के बारे में थी वह मैं ने नामंजूर कर दी हैं । मैं जांच करुंगा और मैं समझता हूं कि मामले को समाप्त करने के लिये इतना पर्याप्त होगा ।

श्री हेम बरूआ : मेरा निवेदन है कि लाबी असिस्टेंटों ने अभी तक बहुत अच्छा कार्य किया है । वे सब बहुत अच्छे थे ।

श्री कपूर सिंह : मैं "लाबी असिस्टेंट" और "तथा कथित लाबी असिस्टेंट" में भेंद जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अंग्रेज़ी भाषा में विशेषज्ञ नहीं हूं । माननीय सदस्य को "तथा कथित लाबी असिस्टेंट" कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

शायद माननीय सदस्य को कोई शिकायत है जिसके कारण उन्होंने ऐसा कहा है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मशीन से धान कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) दूसरा संशोधन नियम

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे) : श्रीमान, मैं, श्री गोविन्द मेनन की ओर से, मशीन से धान कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958, की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मशीन से धान कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) दूसरा संशोधन नियम, 1966, की एक प्रति जो दिनांक 19 फरवरी, 1966, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 259 में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5703/66 ।]**

भारतीय केन्द्रीय मसाले व काजू समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री शिन्दे : श्रीमान, मैं भारतीय केन्द्रीय मसाले व काजू समिति के वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5702/66 ।]**

सदस्य की रिहाई
RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे अलीपुर विशेष जेल के अधीक्षक का दिनांक 5 मार्च, 1966 का निम्न सन्देश प्राप्त हुआ है :

"मैं सादर निवेदन करता हूं कि लोक सभा के सदस्य सैयद बदरुद्दूजा को, जो इस जेल में 10 सितम्बर, 1965 से नज़रबन्द थे, इस जेल से 4 मार्च, 1966 को सरकारी आदेशों के अधीन रिहा कर दिया गया है ।"

श्री उमानाथ के पैरोल के बारे में
RE : PAROLE OF SHRI UMANATH

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री श्री उमानाथ के बारे में कोई वक्तव्य देंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं अपराह्न में वक्तव्य दे रहा हूं । उसी समय मैं पेरोल के सम्बन्ध में भी कुछ कहूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस मास की 2 तारीख को यानी पिछले बुधवार को, सभा ने एक नज़रबंद संसद-सदस्य के जो पेरोल पर रिहा किया गया हो, संसद के सत्र की बैठकों में उपस्थित होने के अधिकार पर चर्चा की थी और सभा के सब ही वर्गों ने उस का समर्थन किया था । परन्तु मुझे खेद है कि एक ओर सरकार ने आज वक्तव्य देने का वचन दिया हुआ है और दूसरी ओर मद्रास सरकार ने श्री उमानाथ को 2 तारीख की सायंकाल को नया आदेश दिया है कि वह दिल्ली नहीं जायेंगे । सभा में चर्चा 2 तारीख को सुबह हुई थी और वह आदेश उसी दिन सायंकाल को दिया गया था । इस सबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अगस्त-सितम्बर, 1965 में भी जब सर्वोच्च न्यायालय में लेख याचिका विचाराधीन थी, श्री उमानाथ व श्री नम्बियार मद्रास सरकार की लिखित आज्ञा से दिल्ली आये थे । वे आप से मिले थे और आप ने कहा था कि जहां तक आप का संबंध था वे संसद में उपस्थित रह सकते थे और आपने उनका अभ्यावेदन भी गृह मंत्री को भेजा था । गृह मंत्री ने उनको संसद में उपस्थित न होने और दिल्ली में और अधिक न ठहरने का आदेश दिया था परन्तु वे मद्रास सरकार की लिखित आज्ञा से यहां ठहरे रहे थे इस के पश्चात् मद्रास सरकार ने स्पष्टत: केन्द्रीय सरकार की हिदायतों पर, दो दिन के अन्दर ही इन नज़र बन्दों को मद्रास जाने के लिये लिखा था । यह उस समय हुआ था जब कि आप का निर्णय लम्बित था और आप उनके संसद में उपस्थित रहने के लिये सहमत थे । यह बहुत ही अपमानजनक था अत: वर्तमान मामले में जब कि सभा को मसले के बारे में पता है और सरकार का निर्णय दिया जाता है तो मद्रास सरकार द्वारा नये आदेशानुसार श्री उमानाथ का दिल्ली जाना रोका जाना न केवल इस सभा और सदस्य के विशेषाधिकार का भग किया जाना है बल्कि संसद के अवमान के बराबर है । इस के लिये जो भी उत्तरदायी है उसे सभा की "बार" के समक्ष लाया जाये और उसकी भर्त्सना की जाये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मेरे पास श्री उमानाथ क्या पत्र है जो माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये पिछले मामले के सम्बन्ध में है । मद्रास सरकार की कार्यवाही से संसद का अवमान हुआ है । अब गृह-मंत्री या तो अपने को दोषी मानें या इस बात से इन्कार करें ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब प्रश्न वक्तव्य के समय उठाये जा सकते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह एक विशेष रुप से निर्धारित मामला है जो सरकार की पहल पर स्थगित किया जा रहा है और स्थगन का कोई औचित्य भी नहीं दिया जा रहा है । शायद विधि मंत्री तैयार हो कर आये होंगे । अब जो मसला दोपहर बाद लिया जायेगा वह विस्फोटक है । मैं चाहता हूं कि जब कोई विशेषाधिकार संबंधी मामला हो तो वह दूसरे मामलों से अलग कर दिया जाये । सरकार को मसले के बारे में तथ्य देने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आरोप तो फिर भी है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं चाहता हूं कि आप इस दलील को केवल इस आधार पर खारिज न कर दें.....

श्री रंगा : मिज़ों और पश्चिम बंगाल के संबंध में सरकार ने दोपहर बाद वक्तव्य देने का वचन दिया है । यह तीसरा मामला है जिसके बारे में तथ्य सभा के समक्ष रख दिये गये हैं । दलील यह है कि यह मामला उन दो मामलों से अलग से निपटाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मामला इस विषय से संबंध रखता है । 3 (ख) में स्पष्ट लिखा है कि गृह-मंत्री श्री उमानाथ की रिहाई के बारे में और भी वक्तव्य देंगे ।

श्री रंगा : हां, यह अवश्य है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और अलग से उठाया जा सकता है परन्तु दुसरा मामला भी है जो तथ्यों से सम्बन्ध रखता है कि क्या यह सत्य है कि श्री उमानाथ को एक अलग से आदेश दिया गया है जबकी संसद को इस मामले की जानकारी थी और यह तय होना था कि क्या एक सदस्य जो पेरोल पर है सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखता है ? अतः उन दो मामलों के अतिरिक्त हम इस मामले को सरकार के साथ अलग से उठा कर उचित ठंग से निपटाना चाहते हैं ।

श्री नन्दा : चुंकि मेरा विचार था कि श्री उमानाथ को नये आदेश के दिये जाने के सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के बाद सभा को उचित सूचना दूं । अभी राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कल लिया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद 12 बजे लिया जाये ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पैंतालीसवां प्रतिवेदन
Forty-fifth Report

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 45 व प्रतिवेदन से, जो 4 मार्च, 1966, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Why are the demands of the Communications Department not being discussed ?

Mr. Speaker : That has been so recommended by them.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : In order to save time, it was decided at the meeting of Leaders of groups that the Demands of that Department might not be discussed.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Those should be discussed.

श्री भागवत झा० आजाद (भागलपुर) : टेलिफ़ोन विभाग की अकार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुये तथा इस कारण के संचार विभाग का हमारे दैनिक जीवन से निकट संबंध है, उस विभाग की मांगों पर चर्चा की जानी चाहिये । इस विभाग पर करोड़ों रुपये व्यय होते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : संचार विभाग के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा आयोग की मांगों पर भी चर्चा होनी चाहिये । वैसे तो इस विषय पर सामायिक चर्चा हो जाती परन्तु आज जब परमाणु विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के विकास का इतना महत्व है तो चर्चा अवश्य होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संशोधन के लिये प्रस्ताव कर सकते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : संचार विभाग के बारे में उठाये गये प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हुये यह अच्छा होगा कि यह मामला पुन: कार्य मंत्रणा समिति को भेज दिया जाये । इस समय सभा को समायोजन करना कठिन होगा । यदि संचार विभाग के लिये समय अभी अभी नियत किया जा सकता है तो ठीक है परन्तु परमाणु ऊर्जा आयोग को उचित समय दिया जाना चाहिये । यदि आप इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति के पास भेजना चाहे तो वह अच्छा रहेगा और वह इस का हल निकाल सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें सभा के समक्ष है । समिति में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के सदस्य अधिक आवाज़ उठा रहे हैं । अत: मैं केवल इस मामले को सभा के सामने रख सकता हूं । यदि माननीय सदस्य समय बढ़ाना चाहे तो वह संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं और तब से उसे सभा के सामने रख दुंगा ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह प्रस्ताव कहूंगा कि चूंकि परमाणु ऊर्जा आयोग के लिये समय बढाया जाये और संचार विभाग पर चर्चा की जाये, यह मामला कार्य मंत्राणा समिति को पुन: विचार करने के लिये भेंजा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु कठिनाई यह है कि कि क्या सभा यह चाहती है या नहीं । यह किस प्रकार सुनिश्चय किया जाये ।

श्री भागवत झा आजाद : अब इस पर मतदान करा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के नेता ।

श्री भागवत झा आजाद : ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के गैर-सरकारी सदस्यों को छोटे संशोधनों के लिये भी प्रस्ताव करने का अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में सभा नेता ही कुछ कह सकेंगे ।

श्री हरिश्चंद्र माथुर : मैं स्वयं आप के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि इन मसलों को कांग्रेस के सदस्य ही उठा सकते हैं । यह संभव नहीं है कि नेता हर कांग्रस सदस्य से परामर्ष कर सके। ऐसे बहुत से मसले हैं जिन पर पूर्व चर्चा और निणय संभव नहीं हैं ।

मैं यह ठोस सुझाव देना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति, सभा की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुये, इस मामले पर नये सिरे से विचार करे । परन्तु यदि आप यह उचित समझते हैं कि केवल यहां पर अधिक समय के लिये मांग करना ही संभव है तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग को 5 घंटे दिये जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : संचार विभाग को एक दिन दिया जाये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : संचार विभाग पर चर्चा किये जाने के प्रश्न को श्री कछवाय ने उठाया था परन्तु अब कांग्रेस के सदस्य भी इस के लिये मांग कर रहे हैं । अतः सभा इसे बहुमत की राय मान कर स्वीकार कर ले हालांकि कार्यमंत्रणा समिति ने कोई विशेष निर्णय किया है । कांग्रेस दल के सदस्यों पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है या उनके द्वारा अपने नेता के निर्णय से बाहर जाने का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे मुख से निकले शब्दों को पकड़ा जाता है । जब एक दल का नेता, प्रतिनिधित्व करता है तो यह समझा जाता है कि वह उनकी ओर से बोल रहा है और उसके दल का कोई सदस्य आपत्ति प्रकट नहीं कर सकता ।

श्री भागवत झा आजाद : जब दलों के नेता कार्य मंत्रणा समिति में बैठते हैं तो हम उनके निर्णयों का पालन करते हैं । मैं प्रथम बार कार्य मंत्रणा समिति की सिफ़ारिशों में संशोधन का प्रस्ताव कर रहा हूं । सभा नेता सारे कांग्रेस सदस्यों से परामर्ष नहीं कर सकता । आप की तथा सभा नेता की ओर से हमें इतनी ढील होनी चाहिये कि हम छोटे संशोधनों के लिये प्रस्ताव कर सकें ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे खेद है कि संचार विभाग जो मेरा विभाग है, चर्चा के लिय छूट गया है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैं ने कुछ नहीं कहा था । मैं ने सारा समय नियतन के लिये समिति के सामने रख दिया था और बग़ैर कुछ कहे उसके निर्णय को स्वीकार कर लिया था । अब समायाजन के लिये या तो कुछ मांगों के लिये दिया हुआ समय कम किया जाये अथवा कुछ मांगों पर चर्चा न की जाये । इस के सिवा और कोई चारा नहीं है । जो समय उपलब्ध है उसका पहले ही आवंटन कर दिया गया है । वित्तीय विधेयक भी एक नियत समय के भीतर पारित किया जाना है । अतः या तो मांगों को दिया समय घटाया जाये या कुछ मांगों पर चर्चा न की जाये और इस के लिये कार्यमंत्रणा समिति को दुबारा मामले पर विचार करने के लिये कहा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभा नेता और दलों के नेताओं ने बैठ कर निर्णय लिया था; मेरा उस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : हम ने आप के खिलाफ कुछ नहीं कहा था ।

कार्यवाही से निकाल दिये जाने के बारे में
RE : EXPUNCTIONS

Mr. Speaker : I want to refer to a matter. Dr. Lohia had used the word "head" (*Hhopari*) which I got expunged from the records. He has written to me saying that since this word is not appropriate, I should restore it. To-day he has brought that word in another way and put me in a position that if I permit it in today's records how can I omit it from that day's records. This is highly objectionable.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I may also point out my own objection to it. By getting word "head" (*Hhopari*) you have done great injustice to language. Lok Sabha and the courts are the two places where a language is properly developed. Hindi language does not lesser words than English language but the words in Hindi have not been fully developed. In English you have so many words *e.g.* "head", "skill", brain, mind and conscience. Similar is the case in Hindi. If you take out one word or such a series, you commit injustice to that language. You, therefore, please have a discussion on this matter.

Mr. Speaker : A word which has been got expunged from the records cannot be restored. I cannot do anything in respect of matter which has already been decided. So far as my knowledge of this language goes, the word "brain" (*Hhopri*) is not used in a good sense. Hence I objected to it, otherwise I had no other intention. If Dr. Sahib says that it is used and should be used in a good sense also, then it can remain today in records.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have to submit something under Rule 380. Last Friday I asked a question from the Commerce Minister. When its proceedings were received I discovered that certain words had been expunged. About wasting of public money in Khadi Commission, I used the word that for how long will government help the * *. I want to know why these words have been expunged.

Mr. Speaker : I felt that these words were not used in a proper sense and so I got these omitted. Today also these words will not go in records.

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पैंतालीसवां प्रतिवेदन
(Forty fifth Report)

Mr. Speaker : Does the House agree that this report be sent to Business Advisory Committee ?

Several Hon. Members : Yes, Sir.

Mr. Speaker : Then it is sent back to the Business Advisory Committee.

---

*अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

**—Expunged as ordered by the Chair.

रेलवे आयव्ययक, 1966-67 — सामान्य चर्चा
RAILWAY BUDGET—1966-67—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को मैं चार बजे बुलाऊंगा । श्री राजाराम अपना भाषण आरम्भ करें ।

श्री राजाराम (कृष्णगिरी) : महोदव, उस दिन मैं रेल मंत्री से निवेदन कर रहा था कि कोयले पर बढ़ाया हुआ किराया हटा दिया जावे । यात्रियों को दी जानेवाली सुविधाओं के बारे में कल ही श्री रवीन्द्र वर्मा ने कहा था कि रेलवे वालों ने इन सुविधाओं में 3.27 लाख रुपया व्यय किया । मद्रास से सेलम तक जाने वाली गाड़ी में एक सोने का डिब्बा लगा दिया जावे क्योंकि वैसे उसमें बड़ी भीड़ होती है । जो रेलवे लाइन सेलम और बंगलोर है इसे बड़ी लाइन किया जावे । ऐसे ही मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो रेलवे लाइन मद्रास और टयूटीकरन के बीच है उसे बड़ी लाइन बनाया जावे तथा उस लाइन को दोहरा किया जावे ।

मद्रास नगर की आबादी बढ़ती जा रही है । इस लिये उस नगर की रेलों का विद्युतीकरण कर देना चाहिये । इन में भी मद्रास से आरकोनम तथा मद्रास से गुम्मीदी-पुन्डोलाइन को प्राथमिकता दी जावे । मद्रास में नगर के चारों ओर जाने वाली रेलवे लाइन बनाई जावे । एक नई रेलवे लाइन भी दक्षिण में तिरुनेलवेली से कन्याकुमारी तक बनाई जावे । इन दोनों नगरों का अन्तर केवल 45 मील है और बीच में कोई पहाड़ी तथा नदी भी नहीं है । इन्हें चौथी योजना में शामिल कर लिया जावे ।

सेलम जिले को विभाजन करने के पश्चात धर्मपुरी भी एक ज़िला बन गया है । वहां एक रेलवे लाइन भी बना रहे हैं । इस लिये वहां कुछ विश्राम गृह बनाये जावें ।

रेलवे के श्रमिकों की स्थिति भी सुधारने में रेलवे विभाग बड़ी निष्ठुर है । केवल गोल्डन रौक कारखाने में 1,600 व्यक्तियों को फालतू घोषित कर दिया । वहां इन लोगों की भी तरक्की नहीं हुई जो 18 तथा 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं । मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जावे ।

रेल गाडियांसमय पर नहीं चलती और पहुंचती । एक खाने का डिब्बा भी है परन्तु वह प्रायः खराब ही रहता है । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री राणे (बुलढाना) : मैं रेलवे मंत्री की सेवा में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । पहला सुझाव तो मेरे हल्के के बारे में है कि जलना से खामगांव तक एक रेलवे लाइन तुरन्त बनाई जावे । दूसरा सुझाव यह है कि छोटे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिये सुविधा दी जावें । तीसरी योजना यह है कि केले लेजा ने पर किराया कम किया जावे । पाकिस्तान से जब पीछे हमारा युद्ध हुआ उसमें रेलवे विभाग ने बहुत शान्दार कार्य किया । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केला उगाया जाता है । पिछले युद्ध में कोई 15 दिन तक उन्हें ले जाने के लिये कोई डिब्बा खाली नहीं मिला । परन्तु जब मैं मंत्री महोदय से मिला तो एक दो दिन में ही उन्हो ने सब सुविधा दे दीं । मैं उनका आभारी हूं ।

रास्ते के स्टेशनों पर यात्रियों के लिये असन्तोषजनक सुविधायें हैं । एक दूसरी गाड़ियों के बीच का समय 16 घंटे है । मैं ने यह बात रेल मंत्री के सामने रखी परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया ।

अब मैं सब से महत्वपूर्ण समस्या की ओर आता हूं । वह है ताजे फल, सब्जियों जिनमें मुख्यरूप से केला है, के किराये घटाये जाना । मैं पिछले दस पंद्रसह वर्ष से इन्हे कम करवाने का

प्रयत्न कर रहा हूं । मेरा जिला 1.25 करोड़ रुपया रेल का किराया दे रहा है । मेरे विचार में यह किराया बहुत अधिक है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा की इस 50 प्रतिशत कम किया जावे ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेलों को चाहिये कि केलों को लेजा ने के लिये एक विशेष प्रकार के डिब्बे बनाये जावें । यह लकड़ी के होने चाहिये । भुसावल से दिल्ली पहुंचने में कोचिंग स्पेशल को 72 घंटे लगते हैं । यह समय घटा कर 36 घंटे कर दिया जावे । एक छोटासा सुझाव में समय-सूची समिति के बारे में दूंगा । इसे आप या तो समाप्त कर दीजियें वरना इसे अधिक शक्तिशाली बना दीजिये । मैं ने बहुत से सुझाव दिये परन्तु उन में से एक भी नहीं माना गया। जन्ता के सुझावों पर विचार करना चाहिये और समय-सूची में परिवर्तन करना चाहिये ।

बहुत से कार्य जिन से रेलवे लाइनों को दोहरा कर दिया जावेगा किये जा रहे हैं । यह कार्य बहुत धीमे रूप से चल रहा है । मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा है ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इन तकलीफ़ों की ओर ध्यान दें और यात्रियों को अधिक सुविधाये देने के लिये कुछ करें ।

Shri Gulshan (Bhatinda) : Mr. Deputy Speaker, I am going to speak on Railway Budget. Railways have made much progress after independance. New lines have been laid. There has been some improvement regarding provision of waiting rooms for passengers. But there are places where these things are yet to be provided.

Along with this improvement in the Railways we find that corruption is also rampant there. This should be looked into. I find that there is only one train which runs between Delhi and Ferozepore. This is inadequate for business men who go from Ferozepore, Bhatinda and other places. I also found that a large number of passengers were travelling on the roofs of the Compartments. I can tell the minitster the reasons also for this overcrowding. The highly salaried officials get special saloons for themselves and they get all amenities for themselves. The other passengers are put to hardship. Similarly in regard to residential accommodation, the high officials live in spaciou and big bungalows but the low paid employees get very small rooms to live in.

In corruption also some high officials were caught and yet they got off scot free. If some small fry is caught he is punished.

In regard to recognition of unions also, it is accorded to those which can get the favour of officers.

There are people who are working for a number of years and yet they have not been made permanent employees. I suggest that all those who have put in three to four years of service should be made permanent. The salaries of low paid employees is very inadequate and in disproportion to their work. The high officials get fat T. A. The plight of low paid employees working at Durgapur, Chitaranjan, Rourkela and Bhilai is very miserable. They have to stand in front of fire whereas those who get fat salaries stand away from that. Therefore I want that something should be done for these low paid employees.

About running of mail trains upto Pathankot I would request Sardar Iqbal Singh, who has now become a Deputy Minister to exercise his influence with the railway minister as he too used to complain about this matter when he was not the minister.

[Shri Gulshan]

I want to say something about employment of Scheduled Caste and backward classes. The posts reserved for these are not filled. If they are filled the person so selected is insulted after his appointment. I can cite examples also to support my contention. I know of cases where people are transferred but they were not given any work for three months.

Before concluding my speech, I want to say something about the land which remains unutilised on both sides of the railway track. That land should be used for cultivation purposes by the government.

The government should be very strict with those people who get high salary and who are caught for taking bribes etc. These officers have made much money in the sale of old wagons. The salaries of high officials should be slashed whereas the low-paid employees should be given some relief.

In the democracy of today, there is no room for the first class compartments. No saloons should be given to the high officials. There should be sleeping berths in Third class compartments. I want the Indian upper Express train to be extended from Delhi to Ferozepur. A shed should be provided for the use of passengers at Bhatinda junction. With these words I conclude my speech.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ सुझाव देने हैं। पहला सुझाव यह है कि कलकत्ता में नदी के पूर्वी भाग में एक और स्टेशन बनाया जाए। यदी एक उपाय है जिससे कि आप हावड़ा तथा सियालदाह स्टेशनों पर भीड़ कम कर सकते हैं। हावड़ा पुल पर से लगभग दो लाख यात्री रोजाना गुजरते हैं। इस वक्त स्टेशन को दक्षिणेश्वर, बड़ा नगर, बी० टी० रोड या श्यामबाजार में से किसी एक स्थान पर बनाया जावे।

मेरा दूसरा सुझाव है कि कलकत्ते में वृताकार रेलवे होनी चाहिये। इस विषय पर यहां कई बार चर्चा हो चुकी है। मुझे याद है कि सियालदाह स्टेशन को और पूर्व की ओर ले जाने की योजना है। यह रेलव के हित में होगा यदि ऐसा हो गया।

कुछ शब्द मैं गैर-सरकारी रेलों के प्रबन्ध के बारे में कहूंगा। इन में एक है बांकूरा-दामोदर रेलवे। कहते हैं कि इसे सरकार ने इस कारण अपने अधिकार में नहीं लिया कि इस से $4\frac{1}{2}$ लाख रुपया का प्रति वर्ष घाटा होगा। परन्तु साथ ही बी० डी० रेलवे को जो सरकार ने गारंटी दी है उसे निभाने के लिये $8\frac{1}{2}$ लाख रुपया प्रति वर्ष सहायता के रूप में दिया जाता है। यह रेलवे का अजीब अर्थशास्त्र है। यह रेलवे लाइन इस लिए नहीं ली जाती कि सालाना $4\frac{1}{2}$ लाख रुपये का घाटा होगा। दूसरी ओर $8\frac{1}{2}$ लाख रुपया तक सहायता के रूप में दिया जा रहा है। वर्तमान बजट में $8\frac{1}{2}$ लाख रुपये की इस रकम को बढ़ाकर 10.75 लाख रुपया कर दिया गया है। यह लाइन ले लेने के संबंध में सरकार को विकल्प प्राप्त है। यह विकल्प उसे दस वर्ष के अन्त में प्राप्त होगा।

अब फिर 31 मार्च 1967 को पुनः प्राथमिकता दी जा सकेगी। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को यह काम करना होगा। रेलवे को $4\frac{1}{2}$ लाख रुपया प्रति वर्ष नुकसान उठाना होगा अथवा 11 लाख रुपये की सहायता गर सरकारी रेलों को देनी होगी। मेरा विचार है कि यदि रेल को रेलवे बोर्ड सम्भाल ले तो शायद यात्रियों की संख्या बढ़ जाने से हानि कुछ कम हो जाय। इसी प्रकार दिनाजपुर जिले में पाकिस्तान सीमा पर अभी रेलवे लाइन की व्यवस्था नहीं हुई है। यहां का हिली क्षेत्र विवादास्पद क्षेत्र है। किसी भी समय मामला भड़क उठा तो सरकार के लिए काफी कठिन स्थाति हो निर्माण हो सकती है। श्री नन्दाजी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वह सीमा पुलिस के इन्चार्ज है। यदि सड़क अथवा कोई रेल की व्यवस्था होगी तो ही वहां पुलिस जा सकेगी। सड़कें तो बहुत बुरी दशा में और पुलों की कोई व्यवस्था नहीं। यदि इस दिशा में कुछ न किया गया तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी।

इसी तरह एक अन्य रेलवे लाइन है जो बासोल से राधिकापुर जाती है। यह छोटी लाइन है, मैंने कई बार निवेदन किया है कि लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आश्चर्य की बात यह है कि आस पास की सारी लाइनें छोटी लाइनों से बड़ी लाइनों में बदली जा चुकी है, परन्तु इस लाइन को छोड़ दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो आश्वासन दिये जाते हैं, और वायदे किया जाता हैं उन्हें पूरा क्यों नहीं किया जाता। मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय को इस बात की ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। इसी तरह बलूरघाट का मामला है। याचिका संसद में प्रस्तुत की गयी। इस याचिका पर 25,000 लोगों को हस्ताक्षर थे। कहा गया था कि जो सर्वेक्षण किया गया है, उसे कार्यान्वित किया जाये। यह ऐसा स्थान है यहां से खाद्यान्न सारे राज्य भर में जाते हैं, और खेद है कि रेलव लिक हैं ही नहीं।

अन्त में मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि दिल्ली के महत्व को समझा जाय। इसके बारे में पाकिस्तान विवाद खड़ा कर रहा है। इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बनाने की ओर मंत्री महोदय को समुचित ध्यान देना चाहिए।

श्री सुब्बरामन (मदुरै) : रेलवे की सामुहिक रूप से प्रगति ही हुई है। इसके लिए मैं रेलवे मंत्रियों तथा कर्मचारियों को हार्दिक मुबारक बात देता हूं। सबने अपने कर्तव्य का पालन बड़े शानदार ढंग से किया है।

यात्री यातायात में भी काफी प्रगति हुई है। इसमें लगभग 6.42 प्रतिशत की वृद्धि तो हुई है। माल यातायात में वृद्धि तो हुई है परन्तु यह कुछ कम है। इसकी प्रतिशतता 1.4 है। इसमें कमी का कारण यह है कि भाड़ा बढ़ गया है और माल गाड़ियों की गति बहुत धीमी है। एक गाड़ी एक हजार मील की यात्रा के लिए पूरा एक मास लेती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी है कि आजकल सड़क परिवहन से भी रेलवे का काफी तीव्र मुकाबला चल रहा है। मैं इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि सड़क परिवहन तथा रेलवे में किसी प्रकार से ठीक ढंग से समन्वय किया जाना चाहिए। इसके साथ ही रेलवे को मालगाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। माल ले जाने के बारे में भी रेलवे को सुविधायें प्रदान करना चाहिए। माल को प्रतिदिन 250 मील प्रति-दिन के हिसाब ले जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाय तो रेलवे को अधिक लाभ होगा और विकास का कार्य भी बढ़ा। यह हर्ष की बात है कि रेलवे ने इस प्रकार की एक्सप्रैस गाड़ियां चलाई हैं जो कि 200 मील प्रतिदिन के हिसाब से चलती हैं।

नई नई लाइनें भी बनाई जा रही है। जिन स्थानों पर आवश्यकता है वहां बड़ी लाइनों का निर्माण हो रहा है। ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी लाइन वाले क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ है। देश के दक्षिणी भागों को विकास के समुचित रूप से न कर पाने के कारण बहुत ही हानि उठानी पड़ी है। हम मद्रास से मदुरै होते हुए तूतीकोरिन तक बड़ी लाइन बिछाने की रेलवे से प्रार्थना कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परन्तु यदि यह सम्भव नहीं है तो त्रिचिरापल्लि और तूतीकोरिन के बीच रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त तिरूनेलवैली से कन्याकुमारी होते हुए नागरकोहल तक के क्षेत्र के सर्वेक्षण की स्वीकृति दी जा चकी है। परन्तु यह खेद की बात है कि इस कार्य को पूरा नहीं किया गया है। मेरा आग्रह यह है कि इस कार्य को शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए। कन्याकुमारी एक तीर्थ स्थान है और यातायात की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। इसका सर्वेक्षण तुरन्त किया जाना चाहिए।

तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधायें दी जानी चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि तीसरी दर्जे के जो यात्री रात के समय में 10 घंटे से अधिक यात्रा करते है उन्हें बिना कुछ वसूल किये सोने का स्थान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त गाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। विशेष रूप से डाक गाड़ियों में। मेरे विचार में भीड़भाड़ निरन्तर बढ़ती ही चली जा रही है। इसके

[श्री सुब्बरामन]

अतिरिक्त रेलवे प्लेटफार्मों पर जो खाना बेचा जाता है वह बहुत ही खराब और महंगा होता है। मेरा कहना यह है कि इसे घटा कर उचित स्तर पर लाया जाना चाहिए। मैं इस बात पर आग्रह करना चाहता हूँ कि यात्रियों में इस प्रकार की सामाजिक भावनाओं का निर्माण करना चाहिए कि वे प्लटफार्मों तथा शौचालयों को खराब न करे। इसके लिए 400-500 फुट लम्बी फिल्में बनाई जानी चाहिए, जिसमें इस बात की शिक्षा बड़े रोचक ढंग से दी जाय। उन्हें यह भी बताया जाय कि रेलों में लोग किस प्रकार अपने हित की दृष्टि से सफाई रख सकते है।

इस प्रकार का अनुसन्धान किये जाने चाहिए कि रेलों को मौसम के अनुसार बनाया जा सके। इस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापक आधार पर योजनायें बनाई जानी चाहिए। मेरा यह भी मत है कि विद्युतीकरण और डीजल की गाड़ियां चलाने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस दिशा में अपनाई जा रही तेजी मेरे विचार में ठीक नहीं है। बिना टिकट यात्रा करने वालों से 2.54 करोड़ रुपया प्राप्त किया गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते है कि कितनी संख्या में लोग बिना टिकट के यात्रा करते है। मेरे विचार में यदि प्रबन्ध व्यवस्था ठीक हो जाय तो इसे ठीक किया जा सकता है। इसी तरह भाडे के अधिभार में वृद्धि से भी बचा जा सकता है। इन शब्दों।

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : रेलव बजट ने लाखों यात्रियों की असुविधाओं का कोई उपचार दिखाई नहीं देता। मुझे इस बात पर बहुत ही आश्चर्य है कि नये निर्माण कार्यों के लिए जो भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसमें इतनी अधिक कमी क्यों की गयी है। हालांकि इस बात के पूरे प्रमाण हमारे समक्ष है कि यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गयी है। यदि इसी तरह चलता रहा तो इस का उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उद्योगों का भविष्य तो रेलों के साथ सम्बन्धित है। जिस प्रकार रेलवे का काम चल रहा है, उसे देखते हुए यह कहना पड़ता है कि रेलों के संचालन में सुधार होने की कोई आशा दिखाई नहीं देती। रेलवे प्रशासन बड़े पुराने ढंग से अपनी कार्य प्रणाली चला रहा है। मेरा निवेदन यह है कि रेलवे प्रशासन में सामूहिक रूप से सुधार करने की आवश्यकता है। इस बात की पूरी आवश्यकता है कि रेलों की दशा में सुधार करने के लिए नये क्रांतिकारी कदम उठाये जाय। इस बारे में दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। यह भी देखने में आया है कि रेलवे के अधिकांश ठेके उन लोगों को प्राप्त हो जाते है जो रेलवे के पुराने सेवानिवृत्त अधिकारी होते है। ऐसे लोगों को भारी रकमें देकर फर्मों अपने पास रख लेती है। इस सब का नतीजा यह होता है कि बहुत अधिक खर्चा नष्ट होता है। सारे काम पर वास्तव में व्यय केवल 50 प्रतिशत होता है और बाकी राष्ट्र की राशि बड़े बड़े अधिकारी और ठकेदार खा जाते है। इसे रोकने के लिए कोई व्यवहारिक हल तलाश किया जाना चाहिए।

हम इस बात पर प्रसन्न हो रहे है कि हम आत्मनिर्भर हो गये है। आत्म निर्भरता की बातें करते हुए हम थकते नहीं, परन्तु वास्तविकता यह है कि अभी तक अपने कारखानों और वर्कशापों के सभी पुर्जे हम नहीं बना पाये है। ऐसे बहुत से पुर्जे है, जिन्हें हमारे योग्य तकनीकी कर्मचारी बड़ी सालता से बना सकते ह, परन्तु सरकार उन योग्य इंजीनियरों को यह करने का अवसर ही प्रदान नहीं कर रही। तकनीकी कर्मचारियों को ऐसे काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं इस बात का भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हावड़ा और हुगली जिले की लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। सरकार को कलकत्ते में गोल तरह की रेलवे बनाने के बारे में निर्णय लेना चाहिए। वहां यातायात गहन है और नगर की परिवहन व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। और जिस प्रकार चला जा रहा है, उस प्रकार कार्य चलने की सम्भावना नहीं हैं। मेरा कहना है कि यदि उस लाइन का राष्ट्रीयकरण किया जाये और उसमें सुधार किया जाय तो नये उद्योग चालू हो जायेंगे। इस का यह भी लाभ होगा कि कलकत्ता तथा हावड़ा की भीड़भाड़ कम हो जायगी।

मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूँ कि लोगों ने चिनगोमल स्टेशन के स्थान को बदले जाने को पसन्द नहीं किया है। परन्तु ऐसा करने से यह होगा कि बरिमा पर जो उपरि पुल हैं उसको बदल देने में बड़ी कठिनाई होगी। रेलवे की भोजन व्यवस्था बहुत ही खराब हो गयी है। उसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह कितने आश्चर्य की बात है कि गैरसरकारी रूप से भोजन व्यवस्था करने वाले ठेकेदार तो मुनाफा कमा रहे हैं। परन्तु रेलवे की व्यवस्था में कोई मुनाफा नहीं हो रहा। इस सब का कारण भ्रष्टाचार है। यदि भ्रष्टाचार बन्द कर दिया जाय और प्रबन्ध में थोड़ा सुधार किया जाय तो रेलव द्वारा चल रही विभागीय भोजन व्यवस्था काफी अच्छी हो जायगी।

अब मैं रेलवे कर्मचारियों की बात करता हूँ। रेलवे कर्मचारियों को ठीक से मजूरी नहीं मिल पा रही। मेरा निवेदन यह है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए एक मजूरी बोर्ड की स्थापना की जाय। इस के बारे में रेलवे कर्मचारियों की ओर से कई बार मांग की जा चुकी है। मेरा अनुरोध यह है कि रेलवे मंत्री महोदय को इस बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय करना चाहिए। हावड़ा स्टेशन काफी पुराना हो चुका है, इसका विस्तार किया जाना चाहिए। यातायात का भार काफी बढ़ गया है। इसी प्रकार सियालदह स्टेशन को भी पुनः बनाया जाना चाहिए इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि रेलवे के विद्युतीकरण की जो योजना बनाई जा रही है वह तो ठीक है, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस के अधीन जो कर्मचारी नियुक्त किये गये है, उनकी दशा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उनकी दशा अच्छी नहीं बताई जाती। बताया जाता है कि उनको एक के बाद दूसरा काम दे दिया जाता है। सभी लोगों को अस्थायी रखा हुआ है। स्थायी रूप से किसी को नहीं रखा जा रहा। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आशु चटर्जी के साथ उचित न्याय होना चाहिए। वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। यदि इस मामले में उचित प्रकार से व्यवहार किया गया तो यह निश्चित है कि रेलवे की सभी वर्कशापों में भ्रष्टाचार प्रायः समाप्त हो जायेगा।

Shri Ramanand Shastri (Ramasanehighat) : Railways are progressing for this I offer my congratulation to the honourable Minister. But I find that with this progress of the railways the corruption is also very speedily increasing. I am of the opinion that if proper check is kept up railway can save crores of rupees. People who come forward to stand as witness for the acts of corruption, are very badly harassed and penalized. People who are caught for doing corruption are left scot free. Many a time it is seen that those who were removed from their jobs for commiting theft of coal are reappointed on the same job.

I would request that the railway administration should take a serious note of these things. Honourable Minister should see that experienced people are not removed from their jobs. One of the reasons of railway accidents is that technical hands are not appointed to handle technical jobs. I am very sorry to state that justice is not available in the railways now-a-days. Justice should be done to the poor people. The increase of officers increase corruption.

I want to appeal to the Minister that in the interest of the country and her defence the number of officers should be decreased. We are living in the democratic age and talk about socialism but in actual practice, we find great disparity in the salaries of the employees. The vigilance officers of the Ministry are also not doing their duties honestly. The illegal trade goes on with the connivance of the vigilant officers. I want to urge upon the Minister that he should go into all such matters and hold proper inquiry.

Shri R. S. Pandey (Guna) : I join with my other friends here to congratulate the Railway Minister for the performance of the railways. We have attained self sufficiency in many fields. The efficiency has increased by 25 per cent. In 1947, it

[Shri R. S. Pande]

was not possible to manufacture even one engine here in India while now we are manufacturing a thousand. Railway is being electrified and dieselisation is also on the way. We shall have to spend now less time in long journeys. I saw in Japan a train running at the speed of 125 miles per hour. We should see if we can also attain this much efficiency.

Ths arrangement of telecommunication should be made at the railway stations. I would suggest that there should be under ground railway on the big Stations. And all efforts should be made to provide money for this purpose and utilize all resources.

It is really very sad that people has to wait for hours together to catch the train.

If it is possible the double decker trains should be started in India also. It will prove very useful. I want to stress upon this that a research section should be opened in the Railways to find out new methods of improving the railway operations. Telecommunication should be set up in the railways so that the accidents could be minimised.

In order to increase the speed of rail transport, the underground railway lines should be laid down in Bombay, Calcutta, Kanpur and Madras. The running of late trains is also a serious matter. I am of the opinion that if the trains run late the passengers should be given a refund of the fare at the rate of 1 per cent per hour.

There are very few branch lines in Madhya Pradesh. For this purpose a high power Commission should be appointed to survey that area. There are many minerals which can be utilized if there are enough railway lines. There are eight districts in Madhya Pradesh which do not have even an inch of railway line. I also want to stress that narrow gauge lines should be replaced by broad gauge lines.

Shri B. P. Maurya (Aligarh): There is a national investment of about 2961 crores rupees in Indian Railways and there are about 13,20,000 employees working in Railways. In this huge undertaking the gross revenue is only 660.8 crores of rupees. It is not a satisfactory position.

The hon. Minister of Railways has proposed three per cent surcharge on goods traffic and it will fetch a revenue to the tune of Rs. 18.10 crores. He has given three reasons for this increase. Firstly, about seven crores of rupees more will have to be paid by way of dividend according to the recommendation of Railway Convention Committee, 1965; secondly, the prices of essential Railways equipment have gone up; and thridly, the expenditure on account of dearness allowance and house rent has increased.

One of the chief causes for this is that the target of goods traffic of 245 million tons has not been achieved. We have been able to reach up to 204 to ns only. Had we achieved this target, there would not have been any need of this surcharge.

I welcome the increase in the freight of salt. The hon. Finance Minister should also levy excise duty on salt. The administration of a country cannot be run on the basis of sentiments. The proposed increase of 0.18 per kg. on salt is not adequate. This increase should be the same for all parts of country.

I am glad the freight on tea, biscuits, sugar and medicines has been decreased, but I oppose decrease in the freight of vanaspati. It is not in the interest of common man. I request that a rebates should be given on the items which are exported. It will encourage exports. The details about accidents given by Dr. Ram Subhag Singh are misleading. He has given an average. But he has not given the true picture. I give a list of different categories of accidents during 1963-64 and 1964-65.

	1963-64	1964-65
Other failures rolling stock	298	309
Failure of permanent way	173	240
Attempted train raking	65	89
Fires	115	177
Collisions involving light engines	3	5
Other collisions	27	43
Derailment of light engines	22	24
Other derailment	76	95
Fires at Stations	18	45
Collisions involving passenger trains	30	30
Derailments involving passenger trains	160	173
Trains running into road traffic at level crossings at unmanned level crossings	110	113
Number of passengers killed	26	130
Cost of damages to permanent way	24,31,780	40,92,923

You can understand from this statement whether accidents are on the increase or decrease. I suggest that life insurance should be made compulsory for railway passengers as is in the case of air passengers. This will help the families of those who are killed in accidents.

The percentage of persons belonging to scheduled castes in the services under railways is very small. When I see this I am pained and enraged. Their number in class I and class II categories should have been given separately. Out of the total of 6,035 employees in these categories there are only 134 persons from these castes. Their percentage comes to only two. It is a matter of regret and shame.

Out of 5,35,856 employees in class III, only 42,614 belong to scheduled castes. That comes to 8 per cent. The per centage of Scheduled Castes in Class IV category is up to the mark. It is however not a thing to be proud of because in this class, caste Hindus are not available for appointment. The percentage of scheduled Castes is however not up to the mark in Class I, II and III jobs. In spite of the constitutional provision they are not getting their due. I am afraid when this concession is withdrawn there percentage will come down to Zero.

The casual labour is in a very difficult position. Their wages are now Rs. 3 per day. They are actually paid only Rs. 1/25 or Rs. 1/50 per day. The hon. Minister has made a wrong statement in this regard. These labourers are not provided any medical and other facilities. They have to give bribes to Government Officers every month. Government should do something for their welfare.

[Shri B. P. Maurya]

I had been to Ajmer recently. About one hundred years age people belonging to scheduled castes and scheduled Tribes had gone there in connection with the work of laying of railway lines. There number runs into thousands and they are employed in railways as casual labourers. I have gone to their residential areas. I found that their living conditions are very miserable. They have not been provided essential civic amenities. There are no urinals, latrines or drains in their areas. Government asks mill owners to construct quarters for their employees but Government is not doing anything for its own employees. Government must provide this casual labourers all facilities.

Government has increased the retirement age from 55 years to 58 years. Many persons who have approach up to Ministers or members of the Railway Board are granted further extensions even after the age of 58 years. It is not proper. We should change with time and younger people should be given opportunity.

We should do away with saloons. It is a luxury of British days. While other compartments of a train are over crowded, the big saloons attached to trains appear to be an anamoly and should be dispensed with. I make this demand as a representative of the Republican Party. I say once again that if saloons are not done away with, we would obstruct the running of these saloons. The existence of these saloons is not a harmony with the crowded compartments in the trains. The charges for departmental catering are very high. Once I had to pay Rs. 16/60 for my meals for one day. The quality of stuff provided is very low. Railway Ministry should introduce some improvements in this or this work should be entrusted to somebody else.

श्री रामचन्द्र मलिक (जाजपुर) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस बार रेलवे का कार्य बहुत ही सन्तोषजनक रहा है। रेलवे बजट भी बहुत शानदार है और मैं उसके लिये सभी रेलवे मंत्रियों को मुबारकबाद देता हूं। इस बात का भी सन्तोष है कि यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है। 37 अप और 38 डाउन हावड़ा-मद्रास एक्सप्रेस गाड़ी के उड़ीसा में कुछ स्टेशनों पर रूकने के जो प्रबन्ध किये गये हैं उनके लिये मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि रलवे बुकिंग कल्कों को इस बारे में कोइ अनुदेश नहीं दिये गये हैं और इस लिये वे टिकट नहीं दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि टिकट देने के आदेश जारी किये जाने चाहियें।

मेरा निवेदन है कि गत 20 वर्षों में उड़ीसा में कोई रेलवे लाइन नहीं बनाई गयी है। केवल पुरानी बंगाल-नागपुर रेलवे ही चलती है। दक्षिण पूर्वी रेलव में एक जनता गाड़ी चलती है। एसी अफवाह है कि हावड़ा से मद्रास तक जनता गाड़ी के चालू किये जाने के फलस्वरूप भद्रक और जानपुर-क्योंझर रोड़ स्टशनों पर मद्रास मेल नहीं रुकेगी। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। इसके विपरीत गाड़ियों को अधिक स्टेशनों पर रुकना चाहिये और उड़ीसा के लोगों को अधिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 'कोरादू के पैसेंजर हाल्ट' को फ्लैग स्टेशन में परिवर्तित किया जाना चाहिये। यदि ऐसा कर दिया जाये तो इस स्टेशन से आय बढ़ जायेगी। परादीप बन्दरगाह एक बड़ा बन्दरगाह है। जैसा कि उड़ीसा सरकार ने सुझाव दिया है इसको नयागढ़-हरिदासपुर या कटक के साथ मिलाने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। इससे यात्रियों को काफी सुविधायें हो जायेंगी।

जाजपुर उड़ीसा की पुरानी राजधानी है, अतः रेल द्वारा इसे बतरणी रोड या जाजपुर-कोंझर रोड से मिला दिया जाना चाहिये। कन्याकुमारी को रेल द्वारा त्रिवेन्द्रम् या त्रिन्नेवेलि से मिलाया जाना चाहिए। यहां पर हजारों यात्री भारत भर से यात्रा के लिए आते हैं। आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरी बातों पर विचार करेंगे।

Shri Pratap Singh (Sirmur) : I offer my congratulations to the Railway Minister for this Budget. The performance of the Indian Railways has been praiseworthy for the last few months. The amenities have also been provided to the passengers. Let me also state that although the Railways have done very fine work, there is still much scope in regard to the passenger amenities. The third class passengers have a very hard lot. They are terribly overcrowded and passengers have to face much inconvenience. Government should consider whether local trains can be introduced between big junctions in order to reduce overcrowding in the long distance trains.

We are generally talking about socialistic pattern of society. And I feel that the saloons are a misfit in a socialistic society. I am of the opinion that if we are really serious about socialism the saloons should be immediately abolished. I hope Ministry will pay some attention to this request of mine.

There are three types of railway lines in the country—broad gauge, metre-gauge and narrow gauge. I want to impress upon this demand that all the lines should be converted into broad gauge lines in order to improve the goods traffic. It should be very clearly understood that if proper attention is not paid to improve goods traffic the railways are likely to suffer a huge loss. The road transport is being developed day after day and businessmen are more attracted towards it.

There is a complaint towards which I want to draw the attention of the Minister that is that the number reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the railways, is not being fulfilled. It is not correct that proper persons belonging to these sections are not available. As far as Himachal Pradesh is concerned this is a backward area. My request is that Government should provide railway lines there. In this way we can take this backward area towards development. As the cement factory is going to set up at Panwala, it is very necessary that it should be linked with a railway line.

The plight of the small stations should also be attended to. Government should pay proper attention to class III and IV employees at Solan and their quarters should be convened. There is a great difficulty of drinking water also, this complaint should be removed. There is a great need of the Pathankot-Jogendra Nagar line should be converted into broad gauge.

पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SITUATION IN WEST BENGAL

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : चौबीस परगना और नदिया जिले के कुछ भागों में हाल ही में अराजकता की गम्भीर घटनायें हुई है। कलकत्ता में भी कई सरकारी बसों और ट्राम गाड़ियों को जला दिया गया है। विशेष रूप से 4 मार्च को कृष्ण नगर (नदिया) में तथा शान्तिपुर में और 5 मार्चको कृष्ण नगर में गम्भीर घटनायें हुई। इन घटनाओं के दौरान भीड़ ने 30 से अधिक कार्यालयों, उपभोक्ता सहकारी स्टोरों तथा अन्य स्थानों को आग लगा दी। आग लगने वाले भवनों में जिला स्कूल निरीक्षक का कार्यालय, उपभोक्ता सरकारी स्टोर, नगरपालिका कार्यालय, राज्य बैंक, अस्पताल, सहायता कार्यालय, पश्चिमी बंगाल के एक मंत्री के हबीबगंज में निवास स्थान तथा रेलवे स्टेशन इत्यादि शामिल है। रेलवे की पटड़ियों को भी तोड़ा गया है। कई सरकारी गाड़ियां

[श्री नन्दा]

जला दी गई हैं। पुलिस के 34 कर्मचारियों को चोटें आई। पुलिस का एक सब-इंस्पैक्टर और एक सिपाही मारा गया। तीन सिपाही लापता हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

4 मार्च को कृष्णनगर में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यू हो गई और दो व्यक्ति घायल हो गये। 5 मार्च को पुलिस ने लगभग 3,000 व्यक्तियों की एक भीड़ पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक की मृत्यू हो गई और 5 घायल हो गये। उसी दिन पुलिस को हिंसा पर उतारू 1,000 लोगों की एक और भीड़ पर गोली चलानी पड़ी। 5 मार्च को कृष्णनगर में भीड़ ने जिस प्रकार तेजी से और बड़े पैमाने पर हिंसात्मक कार्यवाही की इससे पश्चिम बंगाल सरकार के लिये सेना की सहायता लेना आवश्यक हो गया था। सेना के पहुंचने के पश्चात वहां कोई घटना नहीं हुई है।

स्थिति आम तौर पर शान्तिपूर्ण है परन्तु वामपंथी दलों ने 10 मार्च को 'बंगाल बन्ध' का नारा लगाया। राज्य सरकार विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पूरी तरह तैयार और दृढ़ निश्चय है और इसके लिये उसको केन्द्रीय सरकार का समर्थन प्राप्त होगा। देश में आजकल अभाव की स्थिति है। अनाज की कमी तथा ऐसी दूसरी समस्यायें सामने हैं। वर्तमान परिस्थितियों में हड़तालों से राष्ट्रीय हित को लाभ नहीं होगा। हिंसात्मक तरीकों को समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मैं कलकत्ता से सीधा आ रहा हूँ। मैंने देखा है कि वहां लोगों में आम निराशा है। खाद्य की स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है और लोगों के लिए स्थिति को और सहन करना असम्भव हो रहा है।

सरकार का कहना था कि वह इन नेताओं से मिलने के लिए तैयार नहीं। उन्हें भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत जेल में बन्द कर दिया गया है।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जन) : क्या आपको इस प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दे दी गई है ?

कुछ सदस्य : चुप रहो।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को इस प्रकार नहीं चिल्लाते रहना चाहिये। हमें यहां नियमपूर्वक चलना चाहिये। हमें यह देखना है कि हम यहां कुछ कह भी सकते हैं अथवा नहीं। क्या अब मैं श्री मुकर्जी से प्रार्थना करूं कि वे बोलें . . .

श्री ही० ना० मुकर्जी : भारत में इस समय जीवन दोभर बना हुआ है। खाद्यान्न तथा तेल आदि बाजार से गायब हो गये। नाडिया जिले में तो सेना भी बुला ली गई। जनता इस लिये नाराज थी क्योंकि सरकार उनकी समस्या हल करने में असमर्थ रही। हमारा उद्देश्य अब भी यह है कि वहां व्यवस्था कायम हो जावे। इसके लिये पहला कार्य यह हो कि पश्चिमी बंगाल की सरकार वहां के विरोधी पक्ष के नेताओं से मिले। वहां के मुख्य मंत्री ने कहा है कि वह विरोधी पक्ष के नेताओं से केवल तब मिल सकते हैं जब कि वे 10 मार्च की हड़ताल को वापस लेवें और सब हिंसात्मक कार्रवाहियों में भाग लेने से इन्कार करें। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार के घमंड के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि इसे सेना की सहायता मांगनी पड़ी। इस लिये इस पर चर्चा करने का हमें अवसर मिलना चाहिये जिसमें दोनों केन्द्रीय तथा राज्य सरकार शामिल हैं। पश्चिमी बंगाल में इस समय विधान सभा बिल्कुल कार्य नहीं कर रही क्योंकि वहां सदस्यों को निलम्बित किया गया है।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : वहां 12, 13 और 14 साल की आयू के बच्चे गोली से मार दिये। क्या संसदीय लोकतन्त्र का अर्थ बच्चों को मारना है। और यहां गृह-कार्य मंत्री कहते हैं कि वे कांग्रेस तथा सरकार के कार्यालयों को आग लगा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में जो भी हुआ है वह बहुत दु:ख की बात है। चाहे बच्चे मरे अथवा सरकारी नौकर मरे हम उन सब के लिये दु:खी हैं। अब तो मैं केवल यह सुनना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को यहां कैसे मंजूर करूं यह नहीं कि वहां कितने व्यक्ति मरे। कानून तथा व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और उस पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते। दूसरी बात है सेना के बुलाये जाने की। इस लिये हमें केवल इसे मंजूर करने के प्रश्न पर विचार करना है। यह देखना है कि क्या सरकार वहां लोगों को पर्याप्त मात्रा में अन्न देने में असमर्थ रही।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमें यह देखना है कि क्या केन्द्रीय सरकार की भी पश्चिमी बंगाल में उत्पन्न हुई स्थिति में कुछ जिम्मेदारी है। जो कुछ हुआ है वह इस कारण कि वहां खाद्यान्न की कमी है। इस लिये इसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।

दूसरी बात यह है कि वहां की स्थिति का केन्द्रीय सरकार को पता है। प्रधान मंत्री स्वयं वहां की स्थिति का अध्ययन करने गई थी। प्रधान मंत्री वहां के विरोधी दल के नेताओं से मिलना चाहती थी परन्तु उन नेताओं को वहां की सरकार ने बन्दी बना दिया।

इसके अतिरिक्त वहां सेना को भी बुलाया गया और यह सहायता केन्द्रीय ने उन्हें दी। इस लिये यह तो केन्द्रीय सरकार की असमर्थता है। परन्तु असली बात यह है कि यह सब खाद्यान्न की कमी के कारण यह सब हुआ है और यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री स० मो० बनर्जी से कहूंगा कि वे अपने प्रस्ताव के लिये अनुमति मांगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने काम रोको प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये सभा की मंजूरी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो इस प्रस्ताव के हक में हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जावें।

इसके हक में 50 सदस्य हैं। इस लिये इसे अनुमति दी जाती है। इस पर 4 बजे चर्चा होगी।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मिजो पहाड़ी जिले की स्थिति

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान आसाम के मिज़ो पहाड़ी जिले की नवीनतम स्थिति और इसके साथ ही वहां पर असैनिक प्रशासन की पुन: स्थापना के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : अभी कुछ दिन हुए मैं ने सभा को मिज़ो हिल्स की दु:खद स्थिति का ब्यौरा दिया। इस समय वहां स्थिति नियंत्रण में है। हमारी सेना के दस्ते एजल में 6 मार्च को पहुंचे। कुछ विद्रोहियों को पकडा है और सिल्चर तथा एजल के बीच की सड़क को यातायात के लिये खोल दिया है। एजल से लुंगलेह जाने वाली सड़क बहुत कठिन है। इस लिये वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हमें दु:ख है कि विद्रोहियों ने वहां के सीधे सादे व्यक्तियों को इतना कष्ट दिया। जब वह एजल से भागे तो वहां बाजार को आग लगा दी। मुझे विश्वास है कि सभा ऐसी समाजद्रोही कार्रवाहियों की भर्त्सना करेगा। इस से विद्रोहियों को भी घाटा ही रहेगा।

[श्री नन्दा]

प्रधान मंत्री स्वयं 7 मार्च को वहां के हालात का पता लगाने गोहाटी गई। वहां वह राज्यपाल, मुख्य मंत्री तथा अन्य अधिकारियों से मिली। सेना की सहायता से राज्य सरकार स्थिति का सख्ती से मुकाबला कर रही है। इस कार्य में केन्द्रीय सरकार उन्हें पूरी सहायता देगी। मुझे आशा है कि इस सदन के सब वर्गों की ओर से तथा मिज़ो पहाड़ी जिले में 'सब ठीक' सोचने वाले व्यक्ति इस कार्य में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को सहयोग देंगे।

श्री हेम बरुआ : आसाम के मुख्य मंत्री के अनुसार सरकार को मिज़ो आक्रमण का पहले से पता था। कुछ तत्वों ने 1948 से ही स्वतन्त्र मिज़ो हिल्स की मांग की थी। फिर क्या कारण है कि सरकार ने इस के समाधान के लिये उचित उपाय नहीं किये। क्या सरकार बता सकती है कि मिज़ो नेशनल फ्रंट के द्वारा किये गये विद्रोह में दूसरे देशों का भी हाथ है विशेषकर पाकिस्तान का।

श्री नन्दा : मैं ने उत्तर में कुछ सूचना दी थी। मैं ने कहा कि नवंम्बर-दिसम्बर में कुछ मिज़ो पाकिस्तान गये थे और वहां से हथियार भी लाये और उन्हों ने वहां प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उसके पश्चात हमें कोई सूचना नहीं मिली। साथ ही साथ हमने उचित कदम भी उठाये। वैसे वहां का क्षेत्र बड़ा कठिन है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी (केन्द्रपाड़ा) : इस सभा में यह कहा गया था कि मिज़ो नेशनल फ्रन्ट के पास कहीं पूर्वी पाकिस्तान में एक रेडियो है। क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान की सूचना में लाया है और क्या वहां से कोई उत्तर भी मिला है?

श्री नन्दा : हमने यह जानने का प्रयत्न किया परन्तु इस प्रकार के रेडिओ के होने का पता नहीं लग सका।

Shri Yeshpal Singh (Kairana) : Have you got any information about the arms caught as to which country they belong to?

Shri Nanda : We have not as yet received the details.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Is it a fact that your representatives are permitted to enter Mizo Hills only with permit?

Shri Nanda : That is correct. It has been done due to security reasons.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : What percentage of the local population in Mizo Hills was with the rebels and what percentage of the people were against them at the time of last invasion?

Shri Nanda : I do not have the details with me now.

Shri Bagri (Hissar) : Will the minister say as to why it could not be known in advance that trouble was brewing there and necessary steps to be taken to check the same?

Shri Nanda : We know about it and the state government also had knowledge about it and I have told the necessary steps taken to check it.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक ओर प्रधान मंत्री कहती हैं कि उन्हें पाकिस्तान द्वारा दिये गये शस्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। गृह-कार्य मंत्री ने दूसरी प्रकार का वक्तव्य दिया है। वे कहते हैं कि विद्रोहियों ने जनरल मानेकशा के हेलीकोपटर पर भी गोली चलाई। साथ ही पाकिस्तान मिज़ो के विद्रोह को उनकी स्वतन्त्रता का संग्राम कहां जाता है। क्या सरकार ने पाकिस्तान को यह सब सूचित कर दिया है?

श्री नन्दा : मेरे और प्रधान मंत्री के वक्तव्यों में कोई भिन्नता नहीं है। यह सत्य है कि विद्रोहियों ने हैलीकोप्टर पर गोली चलाई। हम पाकिस्तान के साथ यह मामला उचित ढंग से लेंगे।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : क्या सरकार ने मिज़ो लोगों का सहयोग मांगा है?

श्री नन्दा : हम अधिकाधिक सहयोग प्राप्त कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सरकार इस विद्रोह को दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ने से रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है। क्या यह केवल सैनिक रूप के ही हैं?

श्री नन्दा : सैनिक कार्रवाई तो हम केवल वहां करते हैं जहां दूसरे कदम निष्फल हो जावें। हमारा उद्देश्य तो यह होता है कि इस प्रकार के कदमों की आवश्यकता ही न पड़े।

Shri Madhu Limaye(Monghyr) : This is a bad habit of the government to conceal their failure of policy on the pretext that they have been deceived. I want to know when are they going to leave this habit?

Shri Nanda : I do not say that we have been deceived. If it is so, then whatever steps we have taken in that direction were reasonable. If we had taken these steps previously, it would have caused greater harm.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या मिज़ो विद्रोही आधुनिक शस्त्रों के प्रयोग में निपुण थे तथा आधुनिक शस्त्रों से लैसे थे, उन हथियारों के क्या नाम हैं तथा विद्रोहियों की संख्या कितनी है?

श्री नन्दा : सशस्त्र विद्रोही कोई 1000 या 1200 के लगभग होगी। दूसरों के पास तो लाठियां आदि थे। उनके पास मशीनगन, लाइट मशीन गन तथा मार्टर्स थे।

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

पश्चिमी बंगाल की स्थिति

श्री स० मो० बनर्जि (कानपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा अब स्थगित हो।

I want to bring to your notice what happened in 24 Parganas of Bengal on 20th or 21st of February this year. The police opened fire in Bashirhat area as a result of which one student was killed. Why this situation developed?

Mr. Speaker : About time I may tell the House that the mover can have 15 minutes whereas I think that for other members 10 minutes each will be sufficient?

Shri S. M. Banerjee : Sir, you should be a bit liberal to unattached members. You please give me some more time.

Mr. Speaker : They should attach temselves.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Member, Sir, I want to put this question to the government why the situation developed in such a way in the Bashirhat and other adjoining areas. When I was listening the speech of the Home Minister

[Shri S. M. Banerjee]

I fill that it was not a statement of the Home Minister but that of an ordinary sub-Inspector or Inspector of Police. He was repeatedlv telling us that people of Bengal took the law into their own hands and Police had no alternative but to open fire on them. It is really regrattable that unprovoked people were fired at and they were people who were continuouslv hungry for 14 davs. Instead of giving them food they were given bullets. In this struggle our government talks of national integration but people died there with this spirit of national integration and there was no difference between caste, creed & sect. But it is realy thev said that all this catastrophe could not move the government of Shri P. C. Sen. They could not even introduce modified rationing. Bengalies could not get rice. When there was great upheaval in Kerala for non-availability of rice our Food Minister could not foresee that such thing could happen in Calcutta. It is horrible to note that our government want to solve this problem with cudgel of D.I.R. I may humbly state if this will be the policy of the government, the people of India will have to accept this challenge. You fire on innocent people and we shall see how much toleration we have to face this perpetual tyrany. If we had guts, we would have positively arranged for our rice and food.

It is said that there was no human order in the statement of the Home Minister. Children of 10 or 15 years of age were killed and even sent to jails. Home Minister should know there we are living in democrative times and this type of Hitlerism will not be tolerated. Government have to take into consideration the views of the elected representatives of the people. I want to ask one straight question that if the government were aware that the food situation were worse. as had been stated by the Prime Minister, why no arrangement was made to meet this crisis. The Hon. Food Minister did not have the courtesy of going there and study the situation. You can order for an official probe of the lathi charge in the Banaras Hindu University but you are not doing it here when small children were killed by police brutalities and I think the State Government is responsible for it.

Bengal is wide awake today. We do not want 1943 to be repeated. I want the members of the Home and the Food Minister to accompanv me to Calcutta and see things for themselves. You take foreign dignitaries to Calcutta. Now come and see the deplorable condition of this metropolitan city. Small children and their mothers standing near dust bin waiting for food. Even there are quarels mother and children quarrelled amongst themeslves for small marsels. This is the birth place of Chaitanya Mahaprabhu where blood battle has taken place. Nandaji in full intoxication of power and fortified with DIR, Preventive Detention Act, Emergencv Rules came forward and trampled under these men, women and children with lathis and bullets. Let me categorically tell this government their food situation will not be solved by these tactics. I want to urge that there should be judicial enquiry of these incidents in Calcutta. It must be clearly brought out where bigwig have caused this catastrophe. I do not understand why the Home Minister is hesitant to have this enquiry. My hon. friends were clapping just now on Nandaji saying that Bengal government will face this situation on both instant boldly. But let them understand that this storm will not be counteracted with your DIR. No doubt poor people will have to shed their blood. Some responsible people will also be put behind the bars. I may state that if repression continues it will be resisted. If my child will be hit with a bullet, I will difinitely retaliate, if not with bullet, altered with a lathi. It is not proper to kill a man when he is begging food. If Shri Nanda thinks that he can solve the problem of the countrv with the help of DIR, he

should resign forthwith. Let me appeal to Smt. Indiraji that those who want to run the government with bullets & lathis, should be turned out of the government. This will give a rude shock to democracy in this Country. In the end I say that Shri Nandaji be asked to resign and judicial inquiry be conducted regarding incidents in Clacutta.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : खाद्य और कृषि मंत्रालय इस समय केवल खाद्य आयात मंत्रालय बन कर रह गया है। केरल की स्थिति को देखकर सरकार को कलकत्ता की स्थिति को बचाया जा सकता था। परन्तु सरकार की कठोरता के कारण ऐसा नहीं किया। पश्चिमी बंगाल में इस समय आप 2.50 रुपया में भी एक किलो चावल नहीं खरीद सकते। 24 परगना जिले के बसीरहट क्षेत्र में जनता ने आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जिसमें कांग्रेसी भी सम्मिलित थे। इसी प्रकार के आन्दोलन दूसरे स्थानों पर भी हुए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

कलकत्ता में सारे राजनैतिक दलों ने जिनमें कांग्रेसी भी शामिल थे मांग की कि वहां जो गोली चलाई गई उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। वहां के नेताओं ने मुख्य मंत्री से मिलने का भी प्रयास किया। परन्तु उस समय किसी ने एक बस को आग लगा दी। बस फिर क्या था कि मुख्य मंत्री ने विरोधी नेताओं के साथ बात चीत तक करने से इन्कार कर दिया। यहां नन्दा जी की बात सुनो तो कहते हैं कि वहां जनता पागल हो गई है और इसी कारण यह घटना घटी। आपको यह सुनकर अचम्भा होगा कि 24 परगना तथा नादिया जिले में कुछ पंचायतों ने सरकार की खाद्य नीति का विरोध किया है। इस पर भी वहां के मुख्य मंत्री अकड़ में रहे और साफ कह दिया कि वे उन नेताओं से बात करने को तैयार नहीं हैं। जब मैं प्रधान मंत्री से मिला तो मुझे वह बड़ी परेशान दिखाई दी क्योंकि मुख्य मंत्री ने बड़ा अड़यल रवैया अपना लिया है। और तो और पश्चिमी बंगाल के प्रजा समाजवादी दल के मंत्री का प्रधान मंत्री से भेंट करना निश्चित हो गया था परन्तु प्रधान मंत्री से मिलने के बजाय उसे पुलिस वाले बन्दी बना कर ले गये। यह चीजें वहां हो रही हैं। यह सब मुख्य मंत्री के अकड़ वाले रवैये के कारण है।

नादिया जिले के बारे में श्री नन्दा ने कुछ कहा है। इस जिले में शरणार्थियों की बहुत बड़ी संख्या एकत्रित थी। वहां भी पोलिस की गोली के कारण एक दस वर्ष के स्कूल के बच्चे को गोली से मार दिया।

अमृत बाजार पत्रिका जो कि कांग्रेस का समाचारपत्र है उसने भी पुलिस के अत्याचारों की भर्त्सना की है। कहते हैं कि लोग वहां पागल हो गये। परन्तु यह भी सोचा कि वे क्यों पागल हो गये हैं। मेरी सहयोगी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती कलकत्ता से कृष्णनगर जाना चाहती थी परन्तु उसे जाने से रोक दिया गया। वहां के जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी परन्तु नहीं दी गई। यह है जो वहां हो रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जिला अधिकारियों से लेकर मुख्य मंत्री तक वहां लोगों को लगातार उत्तेजित कर रहे हैं। मेरा विचार है कि मुख्य मंत्री की उत्तेजना से तो प्रधान मंत्री भी दुःखी हैं। परन्तु इस प्रकार का रवैया शायद चलने नहीं दिया जायेगा।

वहां की विधान सभा की कार्रवाई भी अजीब ढंग से चलाई जा रही है। विरोधी दल के लोगोंको दिन प्रति दिन निलम्बित किया जाता है। अनुदानों की मांगों को भी जल्दी से पारित किया जाता है। स्कूल के मुख्य अध्यापक तथा विद्यार्थियों तक को जेल में बन्द कर दिया जाता है।

भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को अन्न दे और उसे ठीक प्रकार से बांटे। श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में जब कभी ऐसी खाद्य की समस्या उत्पन्न होती तो वे कहत कि आओ सब मिलकर बैठें और इस का समाधान करें। मुझे पता है कि उन खाद्य समितियों की बैठक बहुत कम होती थी। परन्तु इसके पीछे एक इन्सानी जज़बा दिखाई देता था। परन्तु इस समय तो

[श्री ही० ना० मुखर्जी]

पश्चिमी बंगाल में कोई खाद्य समिति ही नहीं है। यदि कोई पागल हो गया है तो वह है पश्चिमी बंगाल की सरकार। हम सब के लिये कांग्रेस दल के नेता जिम्मेदार हैं। यदि ऐसा होता रहा तो कौमी एकता तो होली। याद रखना चाहिये कि भूख तथा गुस्से में बहुत कम अन्तर है। इस लिये सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी। वहां जो पोलिस ने गोलियां चलाई हैं उस की न्यायिक जांच होनी चाहिये।

यदि मुख्य मंत्री समझते हैं कि इस प्रकार के रवैये से होने वाली हड़ताल को वापस ले लिया जावेगा तो वह बड़ी ग़लतफहमी में हैं। ऐसी बात तो केवल अंग्रेज के जमाने में कही जाती थी। आज उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मेरे विचार में सब इस बात से सहमत होंगे कि पश्चिमी बंगाल में बड़ी दुःख की घटनायें हो रही हैं। इसके दो कारण हैं—एक यह कि कुछ छोटी आयू के बच्चों को गोली से मार दिया है तथा कुछ पोलिस अधिकारी भी मारे गये हैं। यह सब बड़े दुःख की बात है।

इस वर्ष सारे देश में खाद्यान्न की कमी है। बंगाल में सब से अधिक चावल उगता है परन्तु वहां खाया भी सब से अधिक जाता है। वैसे यह इस दिशा में सदा घाटे का राज्य रहा है। इस वर्ष तो खाद्यउत्पादन कोई 50 से 45 लाख टन वैसे ही कम है। इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जावेगा ? केन्द्रीय सरकार को सब राज्यों की कमी पूरी करनी होती है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया है कि पश्चिमी बंगाल को जितना गेहूं चाहिये वह देने को तैयार है। मुझे पता है कि जनता इस कारण दुःखी है।

6 जनवरी को मैं मुख्य मंत्री से मिला और उन्हें कुछ सुझाव भी दिये। 9 फरवरी को मेरी उन से टेलीफोन पर बात हुई और उन्होंने बताया कि इस मौसम में तो कुछ सब्जियां काफी सस्ते दामों पर मिलती हैं। उन्हें डर है कि अप्रैल के बाद सब्जी का मिलना कठिन हो जावेगा और जून से अगस्त-सितम्बर के महिने ऐसे होंगे जब खाद्यान्न की अधिक कठिनाई होगी।

मेरे विचार में खाद्यान्न के मामले में भारत शीघ्र ही आत्म निर्भर होने वाला नहीं है। परन्तु भारत ही नहीं बहुत से देश अपने खाद्यान्न के लिये दूसरों पर आश्रित हैं। परन्तु यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के पश्चात इस दिशा में वह कार्य किया है जो बहुत से देश नहीं कर सके।

10 फरवरी को मेरी जिला मजिस्ट्रेट से टेलीफोन पर बात हुई और उसने विश्वास दिलाया कि एक सप्ताह में संशोधित राशनिंग व्यवस्था सारे 24 परगना में लागू कर दी जावेगी। वैसे कलकत्ता शहर में तो पहले ही कानूनी राशनिंग है। वैसे इसमें चावल तथा गेहूं दोनों शामिल हैं।

मुख्य मंत्री के बारे में यहां कुछ कहा गया है। अब बताईये कि उस से मिलने के लिये भी तीन शर्तें लगाई गई थी। एक यह कि वह पहले माफी मांगे। दूसरे कि विरोधी दलों की मांगों को स्वीकार करें और तब जाकर वह विधान सभा को कार्य करने देंगे। लोक तन्त्र में विरोधियों के भी कुछ कर्तव्य हैं। कहीं भी लोकतन्त्र में वित्त मंत्री के बजट के कागजों को फाड़ कर फेंका गया है। फिर ऐसी स्थिति मे शान्त वातावरण कैसे रहता। अध्यक्ष की बात भी नहीं मानी गई।

इस वर्ष के आन्दोलन में अजीब बात यह थी कि इस वर्ष इस कार्य के लिये आठ आठ, नौ नौ और दस दस वर्ष के बच्चों को प्रयोग किया गया। उन में से दो बच्चे मारे गये। एक तो पांचवी कक्षा में पढ़ता था और दूसरा छटी कक्षा में पढ़ता था। इन बच्चों को तो आगे करदिया और इनके नेताओं ने अपनी जान जेल में बन्द होकर बचाई। साथ ही यह भी नही भूलना चाहिये कि जनता के कष्ट का कांग्रेसियों पर कोई असर नही पड़ रहा है। परन्तु यह ऐसा अवसर नही था कि सरकार

के कार्यालयों को जलाया जाता और कागजों को नष्ट किया जाता। क्या कारण है कि खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय को सब से पहले जलाया गया ? इस लिये कि इस में उद्ग्रहण के कागज थे और यह छोटे किसानों से उगाया गया था। सभा को यह याद रखना चाहिये कि बंगाल में लगभग गोरिला चालें चली गईं जिसके कारण खुली बगावत थी और उसे कोई सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि सरकार इस वर्ष सब को पूरा खाना नहीं दे सकी तो उन्हें दूसरे खाद्यपदार्थ जैसे सब्जी दे रही है। यदि यह आन्दोलन चलते रहे तो इस से इस समस्या के समाधान में कठिनाई ही होगी और इस से खाद्य उत्पादन के मामले में भविष्य में बहुत सी रुकावटें पैदा होंगी।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जोश आपको इस सदन में दिखाई देता है वह आज सारे भारत में है। फ्रांस की राजक्रान्ति के दृश्य भारत में दृष्टिगोचर होने लगे हैं। श्री गुह ने जिस जोश के साथ अपने विचार व्यक्त किये है उसे मैं समझ सकता हूँ। वह बहुत पुराने क्रांतिकारी है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न देने में असफल रही है। नदिया जिल में वितरण व्यवस्था भी बहुत असन्तोषजनक रही है। बंगाल के होने के नाते उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में बड़ी स्पष्ट बात की है। कोई सन्देह की बात नहीं कि सरकार इस दिशा में नितान्त असफल रही है। श्री नन्दा जी ने बहुत भय दिखाने का प्रयास अपने भाषण में किया है, परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि आखिर यह सब चार मास पहले क्यों न हुआ ? और यह सब कुछ केवल दो ही जिलों में क्यों हुआ ? यही कहा जा सकता है कि वहां अभी हालात इतने खराब नहीं हुए। मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुसंख्यक दल यहां बैठा है, उन लोगों का विश्वास उनसे उठ गया है। यह बात बिल्कुल गलत है कि इस सारे आन्दोलन की पीछे केवल वामपक्षी दलों का ही हाथ है। परन्तु वामपक्षी दल अन्य राज्यों में भी काफी मजबूत हैं। वहां गड़बड़ क्यों नहीं हुई।

श्री नन्दा ने इस बात को कई बार यहां कबूल किया है कि बाहुल्य वाले राज्यों को अपने कमी वाले क्षेत्रों की समस्या खाये जा रही है। आज स्थिति यह है कि गलत खाद्य नीति के फलस्वरूप सारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं। गांव गांव में शोर मच रहा है। दुःख यह कि देश में जो एकता का अभाव है उसका उत्तरदायित्व भी सरकार पर है। मैं यह आरोप सरकार पर लगाता हूँ कि वह दश में एकता नहीं होने दी रही। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी लोग बहुत दुःखी है, परन्तु वहां बंगाल जैसी स्थिति निर्माण नहीं हुई। कारण स्पष्ट है कि वहां सरकार असफल हो गयी है। जानकार लोगों की ओर से जो चेतावनियों को उन तक पहुँचाया गया, उनकी ओर वे नितान्त उपेक्षा भाव अपनाये रहें। महीनों उन्हें यह बताया जाता रहा कि हालात खराब हो रहे हैं ! केवल अन्न का ही अभाव नहीं और भी बहुत बातें है। केवल कम्यूनिस्टों का ही प्रश्न नहीं है, और वाम पन्थी दलों का मामला भी नहीं है, सारे देश आज सरकार की खाद्य नीति से परेशान हैं। उपभोक्ता लोग साधारण जरूरत के चीजों के लिए तड़प रहे हैं। आम जनता में सारे लोग मूर्ख नहीं है उनको आप भीड़ कह कर बदनाम कर सकते है, परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार भी हम सब को भीड़ कह कर हकादत की नजर से देखा करती थी।

बाल सेना महात्मा गांधी ने बनाई थी। आज तो आप आगे से अधिक बुद्धिमान हो गये होंगे ताकि इस प्रकार बाल सेना का प्रयोग कर सकें कि देश का लाभ हो। 1962 तक तो आपने अक्ल से कोई काम लिया नहीं था। आज जो स्थिति निर्माण हुई है वह दो तीन दिन की नहीं, काफी महीनों से यह चल रहा है। अब श्री गुह यह बता रहे हैं कि बंगाल कमी वाला इलाका ही रहेगा। देश ही इस दिशा में कमी वाला रहेगा। तब ही तो महीनों पहले से सरकार इस बारे में प्रयास कर रही थी। ऐसा करना सरकार का कर्तव्य था ही। मेरा निवेदन यह है कि लोगों पर गलत नीति थोपे जाने के कारण सभी जगह भूखमरी फैली है। देश के हालात खराब हो रहे थे तो खाद्य मंत्री क्या कर रहे थे। पश्चिमी बंगाल सरकार क्या करती रही है। यह बहुत ही दुःख की बात है कि गृह कार्य मंत्री ने दो युवकों की मृत्यु के बारे में खेद व्यक्त करना भी उचित नहीं समझा है। उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया है।

[श्री रंगा]

मेरा निवेदन यह है कि अब समय आ गया है कि जब सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि स्थानीय सरकार में कांग्रेस के एक गुट को किसी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त न हों। इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सभी दलों की सरकार बनाई जानी चाहिए। इस बात का वातावरण बने कि वह सरकार सब का प्रतिनिधित्व करे और जनता उनसे सन्तुष्ट हो सके। जांच की मांग के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि यह काम दूसरे कर लेंगे। मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि सरकार इस दिशा में असफल रही है और उससे हालात का मुकाबला ठीक ढंग से नहीं हो सका।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : हमने श्री मुकर्जी और बनर्जी के जोशीले भाषण सुने हैं। मैं श्री चटर्जी के भाषण की प्रतीक्षा कर रहा था। हालात सचमुच बहुत ही खराब हो रहे हैं, परन्तु इसके बारे में अनुभूति मेरे माननीय विपक्षी मित्रों को ही है, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस की फूट का उल्लेख किया गया है। कांग्रेस हमेशा एक रही है और रहेगी। यह दुःख की बात है कि लोग मरे और लाखों रुपयों की सरकारी सम्पत्ति खराब हो। मामला विधान सभा में बिगड़ा और बिगड़ता चला गया। मुख्य मंत्री श्री सेन की आलोचना की गयी है। मेरा निवेदन है कि वह बहुत ही उत्तम इन्सान है और एक सफल प्रशासक है। डा० राय के बाद उन्होंने बड़ी शानदार सफलता के साथ बंगाल के प्रशासन की बागडोर सम्भाली है। मेरा निवेदन यह है कि यह कहना गलत है कि सरकार लोगों की भावनाओं को नहीं समझती और वह अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही है।

मेरा निवेदन यह है कि पश्चिमी बंगाल में जो स्थिति निर्माण हुई, वह निश्चित रूप से निन्दनीय कही जा सकती है। और यह दशा सारे देश के लिए चिन्तनीय है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुँचाई गयी है। मेरा विचार है कि इस सारी स्थिति का उत्तरदायित्व विरोधी दलों पर है। वे लोग ही हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार है। मुख्य मंत्री द्वारा यह आशा प्रकट करना ठीक ही है कि विरोधी दल हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की निन्दा करे। परन्तु विरोधी दल ऐसा करने को तैयार नहीं। वे इन हिंसात्मक कार्यवाहियों की निन्दा नहीं करते। और शायद उन्होंने ऐसा न करने का फैसला कर रखा है। हमें इस बात को ठीक प्रकार से महसूस करना चाहिए कि यदि सरकार विरोधी दलों को इस तरह सम्पत्ति नष्ट करने की छूट दे देती है तो वह अपना कार्य नहीं कर सकती। जो कुछ हुआ है, यह न खाद्य आन्दोलन है न खाद्य प्रदर्शन, यह गुरिल्ला लड़ाई का प्रयोग है। इससे सारे संसदीय लोकतंत्र के ठप्प हो जाने की सम्भावना है। बड़ी स्पष्ट बात है कि यह सब राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। खाद्य आन्दोलन एक राजनीतिक चाल है। इसे उचित आन्दोलन नहीं कहा जा सकता। कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : खाद्य आन्दोलन ने देश भर में एक क्रान्ति पैदा कर दी है। यह क्रांति अनाज के लिए हुई है ताकि लोगों को भूख से बचाया जाय। मेरा निवेदन यह है कि 15 नवम्बर को सरकार द्वारा खाद्य की नई नीति की घोषणा की गयी थी। सरकार ने फालतू अनाज वाले जिलों से अनाज बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया और अनाज का एक दाना भी वहां से कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने की अनुमति नहीं दी। राज्य सरकार ने जो गेहूं केन्द्रीय सरकार या दूसरे फालतू अनाज वाले क्षेत्रों से जो अनाज प्राप्त किया था उसको कमी वाले क्षेत्रों में न भेजा। यह भी उल्लेखनीय है कि राशन व्यवस्था का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। मज़ेदार बात यह है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के खाद्य मंत्री अब भी यह कहते हैं कि उनकी खाद्य नीति बहुत ठीक है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सरकार लोगों को अनाज नहीं दे सकती, लोगों को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार लोगों को भूखा नहीं मारा जा सकता।

पश्चिम बंगाल की सरकार चाहे कुछ कहती रहे परन्तु यह सत्य है कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। कमी की कोई बात नहीं है। आज जो स्थिति निर्माण हुई है उसका कारण सरकार की गलत नीतियां है। मेरा केन्द्रीय सरकार पर यह आग्रह है कि उसे राज्य के मुख्य मंत्री को कम से कम यह

बता देना चाहिए कि उन्होंने वह सब कुछ नहीं किया है जो कि उन्हें करना चाहिए था। मगर खेद की बात है कि केन्द्रीय सरकार मुख्य मंत्री की प्रशंसा करती रहती है। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि वह पश्चिम बंगाल की खाद्य समस्या को हल करना चाहती है तो उसे समस्या के सारे कारणों को जानने का प्रयास करना होगा। यदि ऐसा न किया गया तो सारे बंगाल में गड़बड़ फल जायेगी। और सर्वत्र एक आग सी लग जायेगी।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : विरोधी पक्ष की ओर से काफी रोष व्यक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि जो कुछ हुआ है वह बहुत ही खेदजनक है। मुझे पुलिस की गोली से मारे गये बच्चों के बारे में भारी खेद है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि उसके लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रश्न उत्पन्न होता है कि कौन इसके लिए उत्तरदायी है? यह आन्दोलन खाद्य आन्दोलन नहीं था, इसे एक वर्ग द्वारा एक विशेष उद्देश्य से चलाया गया था। क्या केन्द्रीय सरकार इस दिशा में असफल रही है? यदि भीड़ इकट्ठी हो जाय, और ईंटे, पत्थर चलाने लगे तो पुलिस वालों को भी अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। उन्हें लाठी चार्ज भी करना पड़ता है और गोली भी चलानी पड़ती है। उन्हें अपनी भी रक्षा करनी होती है और स्थिति को भी बचाना होता है। ऐसी स्थिति में उन्हे किसी प्रकार भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : आप इस निष्कर्ष पर किस प्रकार पहुंचे? इसीलिये हम जांच की मांग कर रहे हैं। आप इस बारे में अपना मत क्यों देते हैं?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जिस प्रकार मेरे मित्र कुछ निश्चय कर सकते हैं और उन्हें इसका अधिकार है, उसी प्रकार मैं भी निश्चय कर सकता हूं और चाहे मेरा निर्णय सभा को पसंद न आये परन्तु कोई कारण नहीं, मैं उसे सभा के सामने न रखूं?

श्री वासुदेवन नायर : हम जांच के लिये तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं? यह सरकार को चुनौती है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह बिलकुल भी चुनौती नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को चाहिये कि मंत्री महोदय को ध्यान पूर्वक सुनें।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं विरोधी दल के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैं न्यायिक जांच के लिये सहमत नहीं हूं और उसके दो कारण हैं। प्रथम, मैं यह ठीक नहीं समझता कि इन परिस्थितियों में न्यायिक जांच का किया जाना आवश्यक है; दूसरे मुझे न्यायिक जांच के लिये आदेश देने की शक्ति नहीं है। यह राज्य सरकार का कार्य है।

श्री वासुदेवन नायर : ऐसी सरकार से हम क्या कर सकते हैं?

श्री शचीन्द्र चौधरी : उसको बाहर निकाल फेको यदि ऐसा कर सके तो।

डा० रानेन सेन : आप उस सरकार को हटा सकते हैं।

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस सब का आरम्भ पश्चिमी बंगाल विधान सभा से हुआ . . .

डा० रानेन सेन : यह सब बसीरहाट से आरम्भ हुआ था और बाद में पश्चिमी बंगाल विधान सभा में उत्पन्न हुआ था। बसीरहाट ही आरम्भ बिन्दु था।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी, नहीं। **(अंतर्बाधायें)**

उपाध्यक्ष महोदय : जो वह कहना चाहते हैं उन्हें कहने दिया जाये। आप लोग आपत्तियां क्यों उठाते है?

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : वह पहले बसीरहाट में हुआ और बाद में पश्चिमी बंगाल विधान सभा में आया। यह तथ्य रिकार्ड पर है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मेरे मित्र डा० सेन ने प्रश्न किया है कि क्या पहले बसीरहाट की घटना हुई थी या पश्चिमी बंगाल की ? मामला राज्यपाल के भाषण से आरम्भ हुआ था और यदि मेरी जानकारी ठीक है तो राज्यपाल का भाषण बसीरहाट की घटना से पहले हुआ था।

डा० रानेन सेन : आपको तारीखें याद नहीं हैं। एक जिम्मेदार मंत्री के नाते आप को तारीखें याद रखनी चाहिये थीं। क्या विरोधीदल के नेताओं ने कोई खाद्य नीति तैयार कर के सरकार को भेजी थी ?

डा० रानेन सेन : उन्होंने मुख्य मंत्री से बात करना चाही थी। पहले तो उन्होंने उन से मिलना स्वीकार कर लिया परन्तु बाद में मना कर दिया।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुख्य मंत्री उन लोगों को खाद्य नीति बनाकर सरकार को भेजने से नहीं रोक सकते थे। मैं यह मानता हूं कि खाद्य तथा मिट्टी के तेल संबंधी कठिनाइयां थीं। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इनका उचित और समान वितरण करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही थीं।

श्री रंगा : नहीं।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यदि मरे मित्र श्री रंगा सरकार में होते तो दूसरे तरीके से कार्य करते।

श्री रंगा : अवश्य; हम पहले नियंत्रणों को समाप्त करते। यह क्षेत्रीय प्रतिबंध भी समाप्त कर दिये जाते।

श्री शचीन्द्र चौधरी : पहले जब नियंत्रण नहीं थे तब भी खाद्य के वितरण संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं। अत: प्रतिबंध और नियंत्रण की आवश्यकता हुई। इस संबंध में मतभेद हो सकते हैं। नियंत्रण कायम रखे जायें या नहीं, इस संबंध में चर्चा भी कराई जा सकती थी परन्तु एक समुदाय का जिसमें स्कूली बच्चे भी थे संगठन किया जाने का कोई औचित्य नहीं था। फिर यदि यह बच्चे व्यस्कों के साथ जा कर इकट्ठे हों और मकानों को और सार्वजनिक सम्पत्ति को आग लगायें और पुलिस के सिपाहियों को जान से मारें तो क्या यह कहा जायेगा कि उनपर पुलिस द्वारा गोली चलाना ग़लत था ? या उन लोगों की ग़लती थी जो घरों में ही सुरक्षित रहे और जिन्होने बच्चों को आगे भेज दिया ? ग़लती यदि किसी की थी तो केवल उन लोगों की ही थी जिन्होंने इसका संगठन किया था और उपद्रव को बढावा दिया था।

श्री रंगा : नहीं, नहीं।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं वहां स्वयं गया था और श्री मुकर्जी की अपेक्षा मुझे कुछ अधिक जानकारी है। वह वहां नहीं गये थे परन्तु मैं वहां पर ही था। मैं ने देखा था कि कुछ मकानों को जानबूझ कर जलाया गया था। सरकारी सम्पत्ति के बरबाद किये जाने के अतिरिक्त छोटे छोटे लोगों, जैसे पोस्ट-मास्टर, चपरासी इत्यादि की भी निजी सम्पत्ति इन भवनों में थीं जो बरबाद कर दी गई हैं। उनके बच्चों को अग्नि और धुयें के कारण क्षति हुई है। सरकारी सम्पत्ति जो जलाई गई है उससे होने वाली क्षति का मैं अनुमान नहीं लगा सकता। क्षति बहुत भारी हुई है। भारतीय जनता की सम्पत्ति के बरबाद किये जाने से मेरे भाईयों को वहां वैसी ही क्षति हुई है जैसी कि हम को हो सकती है। इस सरकार का यह कर्तव्य है कि जनता की सम्पत्ति और जीवन की रक्षा करे। यदि ऐसा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है तो भी मुख्य मंत्री जिम्मेदार है और यदि वह उचित कार्यवाही करने में असफल रहते तो हम उनको ही उसका जिम्मेदार ठहराते। यदि वहां खाद्य की लूट मार होती या खाद्य

का अनुचित वितरण होता या पूरे राज्य में आग लग जाती तो भी सरकार को ही दोषी ठहराया जाता। परन्तु सरकार ने जनता की सम्पत्ति और जीवन की रक्षा के लिये पग उठाये हैं और उपद्रव को दबाने के लिये पर्याप्त प्रयत्न किये हैं। तब पश्चिमी बंगाल सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिये न कि उसकी निन्दा की जाये। मुझे इन बच्चों के मरने का दुःख है। मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह बच्चे मृत्यु के पात्र थे। इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दाजी (इन्दौर) : न्यायिक जांच क्यों नहीं कराते ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं न्यायिक जांच कराये जाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं इसका कारण बताऊंगा।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : सरकार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करे। इस सम्बन्ध में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : न्यायिक जांच कराना पश्चिमी बंगाल सरकार का काम है। परन्तु मैं इस कानूनी तर्क से ज्यादा प्रभावित नहीं हूं। मेरा तर्क यह है कि जहां तक सरकार का संबंध है सरकार का यह कर्तव्य है और अधिकार भी है कि वह इस पर विचार करे कि क्या यह मामला ऐसा है जिस पर न्यायिक जांच की जाय या नहीं। मैं पश्चिमी बंगाल सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।

श्री जी० म० कृपलानी (अमरोहा) : मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब तथ्यों के बारे में मत-भेद हैं तो सही तथ्यों का बिना जांच के किस प्रकार पता लगाया जा सकता है ? इस पक्ष और उस पक्ष द्वारा दिये गये तथ्य भिन्न हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय सरकार ही करेगी। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री जी० म० कृपलानी : यदि सरकार न्याय और कार्यपालन दोनों ही कार्य स्वयं ही कर रही है तो एक प्रख्यात वकील द्वारा ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाना ठीक नहीं है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह सरकार के देखने का कार्य है कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही सर्वोत्तम रहेगी। यदि कोई दल उस से असंतुष्ट है तो वह सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाकर सरकार को हटा सकते हैं।

श्री जी० म० कृपलानी : ऐसा वक्तव्य एकतांत्रिक न कि लोकतन्त्रीय सरकार द्वारा दिया जा सकता है। तथ्यों के बारे में मतभेद है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : एक लोकतंत्रीय सरकार भी विरोधी दल के सारे सुझावों को स्वीकार नहीं कर सकती। लोकतंत्रीय सरकार का कर्तव्य केवल विरोधी दल के प्रति ही नहीं है बल्कि सारे देश के प्रति है। हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था में सरकार को निर्णय करना है कि क्या न्यायिक जाच की जाये या नहीं और एक बार जब इस संबंध में कोई निर्णय हो जाए तो मामला वहीं समाप्त हो जाना चाहिये।

Shri U.M.Trivedi (Mandsaur) : The mistakes of an hungry people are venial. What sins can an hungry man not commit? Hunger makes virtue impracticable. As the saying goes, an hungry man is an angry man. We cannot therefore fasten faults on a hungry people. Instead we can only accuse the Government for long continuing neglect on their part and for opening fire on the starving Bengalis. Why did Government not prevent starvation in Bengal? All these questions now present themselves for consideration. Government say they have recovered levy of 75 lakh tons of rice. When 2½ lakh tons of rice was available, why did Government

[Shri U. M. Trivedi]

not supply it to the Bengalis? Besides, Government also supply wheat to them and they eat fish, too. So, inspite of all this, why did Government fail to give them enough food? Either Government should admit that the figures given by them regarding rice are incorrect or they will be regarded as having deceived the country. Government should admit that they did not have ability to manage things. If it is so, why do they fall foul of the starving public when they put up demonstrations in order to redress their grievances. Can the people have any other means for redressing their grievances?

As I have already said an hungry man is an angry man and can do any wrongs. But why did Government commit the wrong of firing on the defenceless, hungry people who were within their rights to demonstrate in a democratic set-up. It was Government's duty to have prevented them from starving. Government failed in its duty towards the people and instead of satisfying them, they took to force and opened fire on them.

I have been writing to the Food Minister about foodgrains rotting in different parts of the country because of Governments policy banning movement of those foodgrains from one part of the country to the other but he appears to have given no thought to the matter. The Bengalis demand *urad* but you do not allow it to be a moved into Bengal. So is the case with gram, it is rotting in most places in Rajasthan.

The Chief Minister of Bengal, Shri P.C. Sen, as his name indicater, must be a Hindu. He appears to be a congress worker also and he must have gone through the Constitution of India and its directive principles. He must be aware of the fact that cow-slaughter is totally banned in our country. But he is the man who exhorts the Bengalis to eat cows' flesh. I do not know how this man still continues to be in power. May be he is a cunning man.

But cunningness cannot long be of help. The need of the hour is to establish good relations with the people. What steps have government taken towards removing these famine conditions?

While demonstrations are being put up in West Bengal Government are sleeping over the matter here. I concur with Shri Kripalani who instead of an enquiry being made into the law and order situation of West Bengal, wants to know the reasons because of which the food situation worsened there. Why is Government hesitating from appointing a Judge to conduct inquiry into this matter? Government says there are no famine conditions in West Bengal, we say it is incorrect, people are dying of hunger there. In the circumstances, an enquiry to find the truth is imperative. Is it a man made famine. If so, government have no right to continue in power. Unless an enquiry is made into the whole matter, nothing can be said for certain. But why should government made the just and proper proposal for an enquiry being made into the matters? Government connot regain people's confidence in them unless they agree to an inquiry being conducted.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : पश्चिमी बंगाल और केरल में इन घटनाओं से जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उस पर हमें प्रशान्ति और निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिये । यह अकेली घटना नहीं है । मेरा विचार है कि यह देश में और भी गम्भीर समस्याओं के आने का लक्षण है । सरकार जिस ढंग से इन गम्भीर समस्याओं को निपटाने की कोशिश कर रही है, उस पर उसे शर्म आनी चाहिये । एक मास में तीन स्थगन प्रस्तावों के दिये जाने से यह स्पष्ट है कि सरकार देश की महत्वपूर्ण

समस्याओं के हल कटने में असफल रही है । आम चुनाव अब शीघ्र आ रहे है और मैं आशा करता हूं कि जनता सरकार इनके द्वारा छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों के वध किये जाने का उचित उत्तर देगी । पश्चिमी बंगाल की घटनायें कई दृष्टिकोणों से निन्दनीय है । कोई भी समझदार व्यक्ति वहां की विधान सभा के वातावरण को उचित ठहरायेगा तथा वहां की सरकार की कार्यवाही का समर्थन करेगा । पश्चिमी बंगाल में जो विधिहीनता और उत्तेजना है उस के लिये वहां की सरकार की उत्तरदायी है तथा केन्द्रीय सरकार उसे रोकने में असफल रही है ।

सारी सभा "ज़ोन" पध्दति के विरुद्ध है । सरकार कहती चली आ रही है कि वह इस पर विचार कर रही है । प्रश्न केवल "जोन" समाप्त करने का ही नहीं है । परन्तु पश्चिमी बंगाल में एक जिले से दूसरे ज़िले में अनाज लाने-लेजाने के प्रतिबंध भी है। क्या यह सत्य नहीं है कि नदि ज़िले में बर्दवान ज़िले से चावल आता था ? नदिया ज़िला सर्वदा ही कमी वाला जिला रहा है । बंगाल और केरल दोनों ही कमी वाले राज्य है । सरकार कमी वाले राज्यों को भी चावल दैने में असफल रही है । पश्चिमी बंगाल में अन्न है परन्तु एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लाने लेजाने संबंधी प्रतिबंधों के कारण लोगों तक नहीं पहुंच सकता । इसी लिये वहां कठिनाइयां है । सरकार कलकत्ता शहर के नागरिकों को किसी न किसी प्रकार संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रही है । वहां चोर बाजारे में चावल 3 रुपये प्रति किलों के भाव से बिक रहा है । वहां 1/3 जन संख्या के पास राशन कार्ड नहीं है और वह चोर बाज़ार से चावल खरीद कर खा रहे हैं । जब अन्न नहीं मिलता तो लोगों का अन्दोलन जोर पकड़ता है ।

अब प्रश्न यह है कि सरकार इस समस्या को किस प्रकार सुलझाना चाहती है ? कहा जा रहा है कि सारे देश में अन्न की कमी है और अभी कुछ वर्षों तक चलेगी। यदि इसी प्रकार कमी चलेगी और लोग निराश हो जायेंगे तो क्या ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने का सरकार के पास यही तरीका है कि उन पर गोली चलाई जाय ? यदि वे अन्न की मांग करें तो क्या उन्हें गोलियों से जवाब दिया जाना चाहिये ? पश्चिमी बंगाल में आज जो स्थिति है यदि वह इसी प्रकार चलती रही तो एक दिन लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जायेगा क्योंकि वहां की सरकार ने तानाशाही और एकाधिनायकवाद की मनोवृत्ति का परिचय दिया है । मुख्य मंत्री ने विधान सभा के सदस्यों तक को मिलनेका इन्कार कर दिया और वह भी जबकि विधान सभा के अध्यक्ष ने इस बात का सुझाव दिया था। क्या यह व्यवहार का ढंग है । क्या आप चाहते है की लोगों से इसी प्रकार का व्यवहार किया जाय । फिर यदि लोग विद्रोह करे उनका क्या दोष । जो कुछ हुआ है उसे लोक तंत्रीय ढंग नहीं कहा जा सकता। यह लोग, ताश्कन्द भावना का शोर मचाते है । पाकिस्तान और रुस में जाकर बात-चीत कर सकते है लेकिन अपने लोगों से बात-चीत कर के बात सुलझाना नहीं चाहते ।

न्यायिक जांच के लिये मांग की गई है । देश में कहीं भी ऐसी घटना के बाद में न्यायिक जांच के लिये मना नहीं किया गया है । यह माना गया है न्यायिक जाँच आवश्यक है । वित्त मंत्री ने भी बच्चों के मरने पर झूठे आंसू बहाये हैं परन्तु न्यायिक जाँच के लिये वह आदेश नहीं दे सके । बाद में वह इस बात से तो सहमत हुये कि पश्चिमी बगांल सरकार न्यायिक जांच के लिये आदेश दे सकती है । परन्तु सरकार यह क्यों नहीं मानती कि न्यायिक जाच कराई जानी चाहिये जबकि सामान्यत: ऐसी स्थिति में न्यायिक जांच कराई जाती है । सरकार मना क्यों कर रही है ?

यदि बच्चे किसी कारण से आ भी गये थे तो क्या उन पर गोली चलाये जाना ज़रुरी था । क्या उन पर गोली चलाना इस लिये आवश्यक था कि उसके पीछे कोई शक्ति थी या उन्हें कोई लाया था । यदि सरकार का ऐसा दृष्टिकोण है तो वह बहुत खतरनाक है।

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

मेरा मत है कि सरकार इस समस्या को सुलझाने में बिलकुल असफल रही है और भविष्य में भी रहेगी । मुझे इस समय सारे देश में स्पष्ट दिखाई देने वाली वृत्तियों पर चिन्ता हो रही है । यह वृत्तियां इस कारण नहीं है कि लोग परस्पर संमत से समस्याओं को नहीं सुलझाना चाहते । प्रदर्शन करने और लोगों को संगठित करने का वैध अधिकार हर व्यक्ति और राजनीतिक दल को प्राप्त है परंतु सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, समस्याओं को परस्पर संमत से हल नहीं करना चाहती । सरकार की अकड़ के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है । अतः पश्चिमी बंगाल की वर्तमान सरकार स्थिति का सामना करने के लिये बिलकुल असमर्थ और अक्षम है । जब तक यह सरकार वहां रहेगी स्थिति बिगड़ती जायेगी । वहां सरकार को बर्खास्त किया जाये और वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाये । आप न्यायिक जांच कराये या नहीं, यह अलग बात है परन्तु, भविष्य में लोगों के प्रजातंत्रिक अधिकारी को कम करने की वृत्ति को अवश्य रोका जाना चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जो घटनाएं हुई है, उनके लिए मुझे बड़ा दुख है । जिस थोड़ी अवधि में विवरण तैयार किये गये है और आंकड़े इकट्ठा किये गये हैं, उन बातों को जो मेरे दिमाग में थी, वास्तव में व्यय नहीं किया गया है **(अन्तर्बाधा)** ।

हमारे आपस के चाहे जो भी मतभेद हो परन्तु ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिये कि ऐसी घटनाएं फिर न हों । यदि सरकार की नीतियों के विरुद्ध रोष प्रकट करना है तो उसके लिये और भी तरीके है । हम सब को ऐसी घटनाओं पर खेद है ।

श्री ह० प० चटर्जी (नवव्दीप) : यह सब घटनाये मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुई है । मै दावे से कह सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार उस राज्य में लोकतन्त्र को समाप्त कर रही है । वहां पर बहुत असंतोष फैला हुआ है । वहां पर नौकरशाही अत्याचार कर रही है और केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । इस समय हम स्वर्गीय श्री शास्त्री की अनुपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं । मैं अपने जिले के बारे में अब कुछ बताऊंगा । इस जिले में अनाज की कमी है । हमारे ज़िले में दालें अधिक होती है और हम उन्हें वर्तमान जिले को भेजते थे और वहां से हमें धान प्राप्त होता था । अब जबकि कमी की स्थिति हो गई है तो सरकार ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है । सरकार ने ऐसे जिलों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया है जहां पर पहले हीं कमी है । ऐसे जिलों को अनाज देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

अब हमारे नेता कहते हैं कि हमें अपने खाने की आदतें बदलनी चाहियें । परन्तु खेद की बात है कि लोगों को कई कई दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिलता । सरकार ने ऐसे प्रतिबन्ध लगा रखे है कि साथ वाले जिलों से भी अनाज नहीं मंगा सकते । सरकार वामपंथी साम्यवादियों पर आरोप लगाती है परन्तु अब तो उनको जेलों में बन्द कर दिया गया है और उनपर मुकदमें भी नहीं चलाये जा रहे हैं । फिर सरकार स्वयं भी मुनाफाखोरी करती है । मुझे मालूम है कि सरकार धान 14 रुपये के दाम से खरीद कर तीन गुने दामों पर बेचती है । इस प्रकार सरकार कालेबाजार की दोषी है । पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती क्षत्रों में कई स्थानों पर अनाज बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होता है । हमारे मंत्रियों को वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है । पश्चिमी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अजय मुकर्जी ने इस स्थिति को देखते हुए ही त्यागपत्र दिया है । मैंने कांग्रेस पार्टी इसी लिये छोड़ी थी । मैं इसका 30 वर्ष से सदस्य चला आ रहा था और दस वर्षों तक ज़िला कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं । वहां पर कांग्रस वाले भी प्रदर्शन कर रहे है । पुलिस ने वहां पर बहुत अत्याचार किये है और निर्दोषी लोगों को गोली का निशाना बनाया है ।

केन्द्रीय सरकार प्रतिपक्ष वालों से लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह करती है । यह एक अच्छी परम्परा है । पश्चिमी बंगाल में इसके बिल्कुल विपरित हो रहा है । वहां के मुख्य मंत्री सभी लोगों को वामपंथी साम्यवादी समझते हैं ।

यदि हमें लोकतन्त्र को सफल बनाना है तो सभी को प्रयत्न करना होगा । सरकार को बंगाल की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । नहीं तो जनतन्त्र को बहुत क्षति होगी ।

हमें बताया गया था कि संकट कालीन स्थिति को समाप्त कर दिया जायेगा परन्तु मुख्य मंत्रियों के दबाव में आकर इस को जारी रखा जा रहा है । मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि इसने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया तो इसकी पूरे देश में खराब प्रतिक्रिया होगी और लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I blame both West Bengal Government and the Central Government for the critical situation obtaining in that state. The central government is supplying one lakh tons of rice to that state for one year. This quantity is not adequate, keeping in view the total population of that state this comes to 3 seers per head per year. This is not adequate at all. I think it is a good proof of our government's failure.

Now it is being said that people should change their food habits. About two hundred years ago there were riots in a country on the question of food. A great lady was associated with the rulers of that country also that lady did not know the eating habits of the people and wanted them to change their food habits. She said that they could eat things other than ordinary food. That lady was beheaded.

We see that entire West Bengal is in ferment. This thing can spread to other parts of the country. All this is not the handiwork of left communists, because the representative Krishan Nagar are not communists. This area is represented by Shri Kashikant Mitra who belongs to S.S.P. government is itself responsible for all this trouble.

The Central government is thinking in terms of lifting the emergency, but the Chief Minister is against this. The state government has created such situation there that it wants to continue the present emergency. If you see the sequence of happenings, you would be convinced that the state government wants to keep emergency powers with it. I demand that an enquiry should be held in all this. According Police Act and Riots Act an enquiry should be held in all cases of police firing. I know many times police resorted to firing in West Bengal and Bihar but the state governments are against enquiry being held into all this. Is it due to the fact that police is guilty of excesses. They do not want that the facts should come to light. It is said that public property was to be protected. It is no justification for resorting to firing and killing of human beings. Government could have taken action in some other form. I am told that mothers are leaving their minor children because they have no food to eat.

The 60 per cent population of our contry is suffering on account of food shortage. Government should give separate figures for this population and separate for the remaining 40 per cent. Our government claims that there is no death due to starvation. They do not know that people get less food for months together and a stage comes when they cannot sustain and die of Malnutrition. They do not get food and die of hunger. I understand that U.P. police is being sent to suppress people in Bengal. I would say that when there is mass agitation everywhere in the country, who will control them. ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर सभी सहमत है कि पश्चिमी बंगाल की घटनाएं बहुत दुःखद है । सभी को खेद है कि दो निर्दोषी बालक मर गये है और कुछ पुलिस के लोग भी मारे गये है । हम सब मरने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं । मैं पश्चिमी बंगाल सरकार के कामों के बारे में मै कुछ नहीं कहना चाहता । वह संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रही है । वहां पर जो कुछ हुआ है वह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है ।

मेरा कर्तव्य तो देश की खाद्य स्थिति तक ही सीमित है । मैं इसके बारे में पूरी जिम्मेदारी लेता हूं । मैं आशा करता हुं कि सभी दल स्थिति की गम्भीरता को समझेंगे और सरकार को सहयोग देंगे । इस वर्ष देश को अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । इसके फलस्वरूप उत्पादन कम हुआ है ।

इस वर्ष चावल का उत्पादन भी पिछले वर्ष की अपेक्षा में 60 या 70 लाख टन कम हुआ है । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को सभी राज्यों में न्यायोचित वितरण की व्यवस्था करनी है । पश्चिमी बंगाल में उत्पादन लगभग पिछले वर्ष के उत्पादन के समान ही हुआ है । हां, अन्य राज्यों में चावल का उत्पादन कम हुआ है । राज्यों के मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में चावल का सभी राज्यों का कोटा निर्धारित किया गया था । उस सम्मेलन में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे । फरवरी तथा मार्च के महीनों में हम पश्चिमी बंगाल को 15,000 टन चावल देते रहे है । राज्य सरकार को गेहूं भी पर्याप्त मात्रा मिल रहा है । हमने आयात द्वारा देश को महान संकट की स्थिति से बचा लिया है । हम सभी कमी वाले राज्यों का गेहूं वहां की आवश्यकताओं के अनुसार दे रहे हैं । हम इस स्थिति का सफलतापूर्वक सामना करने में इसी लिये सफल हुए है क्योंकि हमें विदेशों से अनाज मिल रहा है । इससे हम भुखमरी और अकाल की स्थिति से बच गये हैं ।

अब मैं अनाज की वसूली के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस बारे में भी केन्द्रीय सरकार समान रूप से जिम्मेदार है । साम्यवादी दल चाहता है कि सरकार को वसूली का कार्य पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले लेना चाहिये । हमें समझना चाहिये कि इस से बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेगी । एक और यह मांग है कि क्षेत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय और दूसरी और यह मांग है कि वसूली का पूरा काम सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । यह दोनों बातें कैसे साथ साथ चल सकती हैं। हमने फिर भी पश्चिमी बंगाल में एकाधिकार वाली वसूली की नीति को अपनाया है । और हम इसे सच्चे दिल से वहां प्रयोग में ला रहे हैं परन्तु इसके बावजूद वहां पर साम्यवादियों ने इसके विरुद्ध कार्यवाही की है ।

जब पश्चिमी बंगाल में गड़बड़ आरंभ हुई तो मैंने वहां के मुख्य मंत्री से टेलीफोन पर पूछा कि हम क्या सहायता कर सकते है तो उन्होंने हमें बताया कि इस गड़बड़ का कारण खाद्यान्नों की कमी नहीं बल्कि राजनीति है । इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि इस में केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार भी असफल नहीं रही है । हम स्थिति का पूरी तरह से सामना कर रहे हैं। हम लोगों की कठिनाईयां दूर करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने अनाज वसूली के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं दी है । क्या यह सच है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इस बारे में सहायता दी गई है और भविष्य में भी दी जायेगी ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The hon. Finance Minister has praised the Chief Minister very much and has given arguments against a judicial inquiry being held. It seems that the hon. Minister of Home Affairs could not give adequate answer to our general demand and he has deputed a famous lawyer to defend his unreasonable stand. As the Ministers do not agree with our statements, it is all the more necessary that an enquiry should take place. It will bring to light the facts.

In some districts of West Bengal people were not getting any type of foodgrains from government and the result was wide spread unrest. It developed into a situation of famine. In such circumstances people organised demonstrations. These demonstrations were fired upon by police. It is a pity that our Ministers have not condemned this firing. They have openly said that they would face the strik of 10th instant. They are going to make another Kurukshetra.

I urge the Prime Minister that the problem of West Bengal should not be given any political coulouring, as the West Bengal Chief Minister wants to do. I request that a meeting of leaders of all the parties should be convened to consider the situation of West Bengal. The Chief Minister wants to use D.I.R. for suppressing the poor people of that state. That state has been in the forefront of national movements. People in that state are in difficulty. It is essential that the requisite help is rendered to them.

We claim that we are progressing. We are going to establish socialism, but I would say democratic principles are being jeopardised. The majority of people of West Bengal are demanding that an impartial enquiry should be held into the happenings of West Bengal. We were given training by our great leaders that we should not associate with that government which causes harm to the masses.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित होती है ।"

लोकसभा में मतविभाजन हुआ । / *The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 28; विपक्ष में 113/Ayes 28; Noes 113

प्रस्ताव अस्वीकृत हूआ । / *The motion was negatived.*

The motion was negatived.

रेलवे आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

Shri Sheo Narain : I am thankful to you, Sir, for this opportunity.

Mr. Speaker : He may continue his speach tomorrow.

इसके पश्चात्, लोक-सभा बुधवार, 9 मार्च 1966/18 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, March 9th, 1966/Phalguna 18, 1887 (Saka) .

भा०स०मु०ना०—5—31 लोक सभा/66—23-6-67—600